खण्ड-440, अंक-2
गुरूवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1923
(27 सितम्बर, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2001)

खण्ड 440 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1–36
कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न			...	36
कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं० 66 तथा 51 के उत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	...	...	36
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	37
सरकार की पारदर्शिता नीति के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों से संबंधित पत्रों पर हुये आदेश अंकित करके न देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	37
प्रदेश में प्राइमरी अध्यापकों तथा पुलिस कान्सटेबिलों के वेतनमान में पूर्व की अपेक्षा अधिक अन्तर होने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना			...	37–38
अधिष्ठाता वेटनरी कालेज मथुरा तथा उपकुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	38
जनपद फिरोजाबाद के ग्राम दीदामई तथा अन्य ग्रामों में जल निकासी योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	38–39
उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी 1–4 तक की पदोन्नति में शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	39–40
जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के कतिपय ग्रामों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	40
जनपद कुशीनगर में 90 से अधिक शिक्षकों को विगत डेढ़ वर्ष से वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...		...	40
विधान सभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद नई विधान सभा गठित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	...	...	...	41–42
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अनुपूरक अनुदान की मांगों का विवरण का प्रस्तुतीकरण				42
विधान सभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद नई विधान सभा गठित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...	...	...	43–47
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण शासन द्वारा प्राप्त न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...		...	48
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना विषयक औचित्य का प्रश्न	...	...	...	48
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिकारियों द्वारा धन कमाने तथा अनियमितताएं किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	...		...	48

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रामवीर उपाध्याय की सुरक्षा हटाये जाने से उनकी जान माल का खतरा होने विषयक औचित्य का प्रश्न	49–51
उ०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उ०प्र० अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उ०प्र० जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	51
उत्तर प्रदेश राज्य महिला अयोग, अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	52
उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	52
सदन के पटल पर रखे गये अध्यादेश को उसी दिन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पारण कराये जाने पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 120(2) का उल्लंघन तथा नियम 125 के अन्तर्गत तद्विषयक विधेयक की प्रति सदन के पटल तथा विधान पुस्तकालय में न रखी जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	52–54
उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन, सिविल उ०प्र० सरकार (सदन के पटल पर रखा गया) ...	54
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996 तथा वर्ष 1997 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उ०प्र० अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उ०प्र० पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	55

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ०प्र० जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	55
उ०प्र० महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	55
उ०प्र० विनियोग विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	55
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	55
भारतीय भागीदारी (उ०प्र० संशोधन) विधेयक, 2001 .... (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	55–56
उ०प्र० विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2000–2001) का चौतीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	56
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000–2001) का उन्तीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	56
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	56–57
सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने वाले सदस्यों के संबंध में सूचना ...	57–61
उ०प्र० राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित)	61
पुलिस (उ०प्र० संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित)	62
उ०प्र० नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	62
उ०प्र० माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	62–63
उ०प्र० मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	63
उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	63
उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित)	63–64
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	64–88
कार्य-सूची की मद सं०–48 एवं 49 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2001 पर व्यवस्था का प्रश्न	88–89
कार्य-सूची की मद सं०–48 एवं 49 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2001 पर समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (...)	89

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	89–95
पुलिस (उ०प्र० संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित)	95–98
उ०प्र० राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 (पारित)	98–107
उ०प्र० नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित)	107–109
उ०प्र० मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	109–124
उ०प्र० माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	114–115
उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	115–117
उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर कार्यसूची में संशोधन मुद्रित न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	117
कार्य-सूची की मद सं०–48 एवं 49 उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 की अनुपूरक कार्य-सूची का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ...	118
लखनऊ में कतिपय व्यक्तियों की गोली लगने से हुई मृत्यु का प्रकरण (जारी) ...	118–119
संविधान (इक्यानवेवा संशोधन) विधेयक, 2001 पर संकल्प (सदन के पटल पर रखा गया) (जारी)	120
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पशु चिकित्सालय, विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान, विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित)	120
अनुपूरक कार्य-सूची तथा पुरःस्थापित किये गये विधेयक की प्रतियां प्राप्त न होने पर आपत्ति	120–123
उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये (आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 (जारी)	123–125
कार्य-सूची की मद सं०–47 घ में अननुमोदन के संकल्प पर व्यवस्था का प्रश्न ...	125
उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (जारी)	126–141
नई मदें सम्मिलित किये जाने पर संशोधित एजेण्डा की मांग विषयक व्यवस्था का प्रश्न	141–142

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ सदन के पटल पर रखा गया)	142
उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित ज़ातियों, अनु० जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	142–169
लखनऊ में कतिपय व्यक्तियों की गोली लगने से हुई मृत्यु का प्रकरण ...	169
संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 (स्वीकृत)	170
नियम 51 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के रूप में चयनित सूचनायें ...	170
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	170–171
नत्थी	172–174

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मुन्नालाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	मुराद लारी, श्री	देवरिया
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	मुस्लिम, डा०	रायबरेली
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
काजिम अली खां उर्फ		राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
नवेद मियां, श्री	रामपुर	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
गंगा बक्श सिंह, श्री	उन्नाव	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
देवेन्द्र सिंह उर्फ		राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया	विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही	वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
बच्चा पाठक, श्री	बलिया	श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
बाबूराम, श्री	जालौन	श्रीराम, श्री	मऊ
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं	हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर

सत्यमेव जयते

गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2001

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राम औतार शाक्य–

[मा० सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाया गया ।]

महाराष्ट्र और गुजरात की भांति उ० प्र० में गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*2–श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र [illegible] की भांति क्या उ० प्र० सरकार भी गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश में गोवंशीय पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में उ० प्र० विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 को महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित है । भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे लागू कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 में माननीय सदन द्वारा पेश किया गया इस नीयत के साथ कि राजकीय अस्मिता और सम्मान के तहत गऊ को ''माता'' का दर्जा प्राप्त है । विभिन्न समयों में संशोधन के बाद इसको 1992 में एक अधिनियम बनाया गया था कि इस राजकीय सम्मान का दर्जा रखने वाली गऊ माता के विकास तथा संरक्षण के लिये निश्चित रूप से इस तरह के संशोधन की आवश्यकता होगी । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1992 से यह भारत सरकार के पास महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति के लिये गया हुआ है । मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कृपया बताने की कृपा करेंगे कि 1992 से अब तक लगभग 9 साल बीत गये हैं और अभी तक इस अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है इस बारे में प्रदेश सरकार द्वारा इन वर्षों में क्या प्रयास किये गये और वर्तमान समय में इसमें कब तक अनुमति प्राप्त होने की संभावना है ? आज तक के लागू हुए कानूनों के तहत गो-वध एक संज्ञेय अपराध है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कानूनों के तहत अब तक कितने लोगों का चालान हुआ है ? छूट रही गौ-माता के संरक्षण के लिये कितने गोशालाओं का निर्माण किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

बाद वाले दोनों अनुपूरक प्रश्न बहुत विस्तृत हैं । मंत्री जी पहले वाले प्रश्न का जवाब दे दें ।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 विधान मण्डल उ० प्र० द्वारा पारित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु इसको भारत सरकार सचिव गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को 29-5-92 को संदर्भित किया गया । भारत सरकार द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा 20-12-93 को भेजा गया । 11-12-97 और 9-6-1998 को राज्य सरकार द्वारा फिर पत्र भेजा गया है । 5 अगस्त, 2000 को भारत सरकार के पत्र का उत्तर पुनः भेजा गया । जनवरी, 2001 में अनुस्मारक पत्र भेजा गया है । तत्कालीन मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा 2 सितम्बर, 1998 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की ओर से 6-8-2000 को प्रधान मंत्री भारत सरकार से भी उक्त विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया । वर्तमान में हमारे मुख्य मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तिथि बता दें ?

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, केन्द्र में और यहां दोनों ही जगह इन्हीं की सरकार है । यह जो कभी नारा लगाते थे "देश धर्म का नाता है, गऊ हमारी माता है" । आज भी लगाते हैं । गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक बनाकर यह गऊ माता की रक्षा की बात करते हैं और 1992 से अभी तक यह अधिनियम केन्द्र सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमोदित होकर नहीं आ पाया है । संविधान के आर्टिकल 74 में महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि एड एन एडवाइज के लिए मंत्रि-परिषद् होती है उसके अनुसार काम करते हैं, केन्द्र में बी०जे०पी० की सरकार है उनकी जो गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति है उसमें बदलाव आ गया है जो एड एन एडवाइज देकर लम्बित पड़े विधेयक को पारित नहीं करा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

केन्द्र सरकार के बारे में मंत्री जी क्या उत्तर नहीं दे पायेंगे ?

श्री बी०आर० वर्मा–

मंत्री जी की तरफ से पांच सालों में क्या प्रयास किए गए इस संबंध में ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बताया तो कि केन्द्र सरकार को लिखा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

एड एन एडवाइज तो दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा है कि मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र इस संबंध में लिखा है ।

श्री संजय गर्ग–

महाराष्ट्र में गो-वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध है उसी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा यहां पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी बी०जे०पी० की सरकार है यहां पर अनुमति न देकर यह अपनी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं । अनुमति कब तक मिलेगी ? इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है जब माननीय उत्तर प्रदेश सदन ने इस बात के लिए अधिनियम बनाकर अपना मन्तव्य स्पष्ट करने का प्रयास किया तो उसके क्रियान्वयन की क्या योजना है ? गोशालायें खोलकर गो-वध को रोका जाए, गो-रक्षा के लिए क्या योजना बनाई है ?

श्री अध्यक्ष–

यह अलग से प्रश्न करें ।

श्री संजय गर्ग–

दूसरे प्रदेशों में गायों को ले जाकर गो-वध की घटनायें सामने आ रही हैं, गो-वध के अन्तर्गत कितने लोगों का चालान इस प्रदेश में हुआ ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इनमें बहुत विवरण की आवश्यकता होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 को 23 अप्रैल, 1992 को, भारत सरकार को, पारित कराकर भेजा गया, इसमें स्वीकृति कब तक प्राप्त करा ली जाएगी, महाराष्ट्र और गुजरात में गो-वध निवारण अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त हो गई है फिर इस अधिनियम को भारत सरकार की स्वीकृति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है ? दूसरी बात वर्तमान कानून में जो व्यवस्था हमारे पास है उसका दुरुपयोग करके गायों को बाहर ले जाकर गो-वध किया जा रहा है गायों को काटने के लिए न ले जाया जाए इसके लिए सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, जो हमारे प्रदेश का गो-वंश बाहर जाता है उसमें चेकिंग करते हैं अभी बनारस में कुछ दिन पहले और आगरा में, बैलों की भरी हुई ट्रक पकड़ी गई, कितने चालान किए गए, कितने पकड़े गये इसमें निश्चित रूप से सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण को, गो वध निवारण (संशोधन) 1955, 23 अप्रैल, अधिनियम 1992 को इस विधान सभा ने पारित करके भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया । इसमें अन्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

दोनों अधिनियम देख लें ?

श्री फागू चौहान–

अगर कहें तो अधिनियम को पढ़ दूं जो 1955 वाला है और जो 1992 वाला है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

1955 का अधिनियम है और यह अभी तक बिल है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

प्रस्ताव और अधिनियम में क्या अन्तर है ? 1955 और 1992 में क्या अन्तर है ? कृपया मंत्री जी सदन को बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री बता सकते हैं तो बता दीजिए । वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस सरकार की मंशा है कि जो हमारे यहां गो-वध होता है उस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय और उसके संबंध में एक विधेयक पारित हुआ और अनुमोदनार्थ संदर्भित है तो इस संबंध में मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा । एक तो यह कि इस सरकार ने अपनी उस मंशा को पूर्ण करने के लिए विधेयक पारित कर दिया प्रतिक्षा कर रहे हैं अनुमोदन की । तो क्या इस सरकार ने इस विधेयक को पारित करने के बाद इस गो-वध को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये और दूसरा पिछले पांच वर्षों में कितने स्लाटर हाऊस को लाइसेन्स निर्गत किये हैं ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, एक भी स्लाटर हाऊस के लिए लाइसेन्स निर्गत नहीं किया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, स्लाटर हाऊस को लाइसेन्स देने का कोई प्राविधान है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत दुखी मन से पूछ रहा हूं । कुछ सरकारें जनता के बीच में कुछ कहती है और सदन में उनका रवैया दूसरा हो जाता है । उनकी कथनी और करनी में अन्तर रहता है । मान्यवर, 1992 में यह भाजपा सरकार एक अधिनियम लायी जिनका फर्क बताने में वह अपने आपको असमर्थ भी पा रही है । तो नौ साल बीत जाने के बाद भी यह अनुमोदित नहीं करा पाये हैं जबकि इनकी सरकार दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में कब-कब इन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया और पारित कराने के लिए क्या कहा गया ? दूसरा यह अनुस्मारक की तिथियां बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

तिथियां तो बता दी गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक तिथि आयी है । दूसरा यह कि वह सरकार वचनबद्ध है वह गो हत्या नहीं कराना चाहती है । तो क्या सरकार एक परिवर्तित अध्यादेश आज जारी करने का आश्वासन सदन को देगी दो अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस है क्या यह सरकार यह आश्वासन देगी कि इस दिन से गो-वध नहीं होगा ?

श्री फागू चौहान–

माननीय, पूर्ण रूप से गो-वध हो इस आशय से विधेयक 92 को भेज दिया गया है । यह महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहां लम्बित है । जब तक भारत सरकार से हमारे पास इसके एक्सेप्ट या रिजेक्ट का प्रस्ताव नहीं आ जाता तब तक हम कोई वचन नहीं दे सकते हैं । जहां तक अनुस्मारक की तिथियों का सवाल है वह मैंने बता दी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने कहा कि चूंकि भारत सरकार से या महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो क्या उस समय के गो-वध को रोकने के लिए प्रदेश सरकार दो अक्टूबर से पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री फागू चौहान–

इस पर विचार किया जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम औतार शाक्य–

[मा० सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाया गया]

किसानों को सस्ते दामों पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की मांग

*2–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों को सस्ते दामों पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

भारत सरकार द्वारा उर्वरक एवं बीज पर अनुदान दिया जा रहा है अतः प्रदेश द्वारा कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को सस्ते दामों पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के पास है या नहीं ? जब यह पूछा जाता है तो माननीय मंत्री जी का जवाब होता है कि केन्द्र सरकार कुछ सस्ता कर रही है ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में खाद और बीज को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार बनाएगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने की कार्यवाही चल रही है और इसके अलावा माननीय सदस्य कौन सी योजना जानना चाहते हैं ? उर्वरक पर भारत सरकार की निश्चित छूट है, फास्फोटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर साथ में जिंक या और भी अच्छे माइक्रो लिन्ट्रेन्ट्स पर प्रदेश सरकार ने कोई कर नहीं लगाया है । बीज पर भी भारत सरकार से छूट

लिखकर दी गयी है तो इसके बाद कौन-कौन सी नई योजनाएं हमको बनानी हैं । हम ऐसे किसानों को खाद, बीज और उर्वरक सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं । इसलिए कोई यह नहीं मानेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है । प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है और भारत सरकार से भी हमको सहायता मिल रही है और हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं । किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक और बीज उपलब्ध करा रहे हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह खाद और बीज के लिए क्या कर रहे हैं । ऐसे साथ में जब किसानों को इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती है तो प्रदेश सरकार इसमें क्या कोई विशेष छूट की व्यवस्था कर रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार की ओर से व्यापार-कर, बिक्री-कर, फास्फोटिक और पोटेशिक, उर्वरकों पर और माइक्रो लिट्रेन्ट्स, जिंक सल्फेट पर पूर्ण रूप से छूट दी गयी है । इसके साथ ही बीज पर तो भारत सरकार हमको छूट दे ही रही है । इसके अलावा हम लोग अच्छे बीज पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं । प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बीज योजना तैयार की है जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक प्रयास किया जा रहा है । जो हमारे किसान मित्र चुने गये हैं उनको हम फाउन्डेशन एफ–1 छूट उपलब्ध करा रहे हैं और उस पर भी हम छूट दे रहे हैं । मान्यवर, इसके बाद कोई हाईबर सीड पैदा करता है उसे हम एक हजार रु० प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक हाईबर सीड प्रदेश में उपलब्ध हो सके । मान्यवर, किसान मित्र द्वारा ग्राम बीज योजना चलायी जा रही है उसमें जितना अनुदान भारत सरकार का है उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान अनुदानित कर रही है ताकि सस्ते दाम पर एफ०–1 सीड उपलब्ध कराये जा सकेंगे । जो बीज उपलब्ध होता है साधारण एफ–1, सर्टिफाइड बीज जो बिकता है उस रेट पर, उसमें जो सामान्य दर है गांव में, वे उस रेट पर स्वयं इस्तेमाल करें या किसानों को उपलब्ध करा सकें ।

मान्यवर, यह योजनायें इसलिये चलायी जा रही है ताकि अधिक से अधिक उत्तम बीज जो लघु और सीमान्त कृषक हैं, उन तक पहुंच सके ।

श्री लालजी वर्मा–

श्रीमन्, मान्यवर, यह नारा दिया जाता है कि देश का विकास का रास्ता खेतों, और खलिहानों से होकर गुजरता है । उस पर मा० मंत्री जी का उत्तर आ रहा है कि फास्फेटिक और पोटेशिक खादों पर छूट देने की बात कर रहे हैं । आज रसायनिक युक्त, नाइट्रोजन युक्त रसायनिक उर्वरकों की बहुत जरूरत है तो जो नाइट्रोजन युक्त रसायनिक उर्वरक की जो खाद है उसमें क्या छूट देने की योजना बना रहे हैं । दूसरे, इन पिछले 2-3 वर्षों में नाइट्रोजन युक्त रसायनिक उर्वरकों के दामों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? तीसरे, जो किसान मित्र योजना में बीज उत्पादन में अनुदान देने का काम कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का अनुदान दे रहे हैं ? मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में किसी तरह का इस प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, चौथे बीज विकास निगम में जो बीज उत्पादन कर रहे हैं, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है । प्रदेश सरकार दिवालिया हो गयी है जो बीज उत्पादक किसान हैं उनको भुगतान नहीं कर रहे हैं, साधारण रेट पर उन्हें बीज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो जो आज का नारा है वह कैसे पूरा होगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जहां तक प्रश्न है किसान मित्रों के माध्यम से बीज उत्पादित करके, उपलब्ध कराने का तो जो हमारा कार्यक्रम है।

विलेज लेविल क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एण्ड एक्सचेन्ज प्रोग्राम

ग्राम स्तर पर उचित मानक के बीज का उत्पादन, पैदावार और उनके आदान-प्रदान का कार्यक्रम है।

रु० 500/–पर क्विंटल सब्सिडी आन फाउन्डेशन सर्टीफाइड सीड टु ग्रोवर इज इक्सचेंज प्रोग्राम।

मान्यवर, जो किसान इस आदान-प्रदान के कार्यक्रम में भाग लेंगे जो किसान मित्र जिनको यह फाउन्डेशन सीड और सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करा रहे हैं उनको जो अनुदान भारत सरकार से मिल रहा है बीज पर 200 रु० प्रति क्विंटल उसके अतिरिक्त 500 रु० प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश सरकार अनुदानित कर रही है यह केवल हम इसलिये कर रहे हैं कि सस्ते दाम पर फाउन्डेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, विशेष रूप से एफ–1 सीड उपलब्ध करा रहे हैं किसान मित्रों को और उनके माध्यम से ग्राम बीज योजना चलाकर उत्तम किस्म का बीज पैदा करके गांवों का प्रयास कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

यह लागू नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यह लागू है और हो रहा है। मैं किसी एक ब्लाक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। किसान मित्र इसे पा रहे हैं। दूसरे यह कहा गया कि टी०डी०सी० को जो बीज उपलब्ध करा रहे हैं उसके दाम नहीं मिल रहे हैं। सरकार दिवालिया है वह कहा गया। मान्यवर, सरकार और टी०डी०सी० यह दो संस्थायें हैं। टी०डी०सी० निगम है, वह अपने संसाधन से बीज पैदा करता है, खरीदता है जो उसके कांस्ट्रक्ट के ग्रोअर्स हैं, उनसे पैदा कराके बीज खरीदता है और फिर उसको किसानों में बांटता है। मान्यवर, टी०डी०सी० दिवालिया नहीं है यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मान्यवर, टी०डी०सी० का जो पैसा है, जैसे-जैसे उनके बीज वितरित होते रहते हैं धन आता रहता है वैसे-वैसे पुराने देनदारों की देनदारियां देते रहते हैं। दूसरी बात नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर सेल्सटैक्स की तो श्रीमन्, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर साढ़े 6 प्रतिशत प्रदेश में लिया जा रहा है। अपने प्रदेश में अभी तक स्थिति यह रही है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अत्यधिक होता रहा और किसान पोटेशिक और फास्फेटिक का इस्तेमाल नहीं करता था। इसी सदन में मैंने ही गतवर्ष के सत्र में कहा है। हमने यह निर्णय लिया कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर जो सेल्सटैक्स ले रहे हैं उसे कम नहीं करेंगे ताकि हमारी इस फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़े। चूंकि यह प्रश्न इससे संबंधित नही था, मैं इसके आंकड़े नहीं लाया हूं लेकिन आपके माध्यम से बता सकता हूं कि चूंकि उस समय नाइट्रोजन का ही उपयोग हो रहा था पोटेशिक और फास्फेटिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था लेकिन अब किसान पोटेशिक और फास्फेटिक का इस्तेमाल करने लगे हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने का नतीजा यह होता है कि इससे उर्वरक शक्ति घटती है बढ़ती नहीं है। इसलिये यह प्रदेश के हित में, किसानों के हित में, प्रदेश की उत्पादकता के हित में जो स्थिति है उसको ऐसे ही बहाल रखा जाय।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों बाढ़ ने पूर्वांचल को तबाह किया है। बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो मण्डलों, विशेषकर बस्ती और

गोरखपुर मण्डल इससे पूरी तरह से तबाह हुए हैं और लाखों एकड़ किसान की फसल चौपट हो गयी है, सैकड़ों की जानें गयी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में क्या प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित इन दो मण्डलों में खाद और बीज पर छूट देकर इसे सस्ती दर पर उपलब्ध करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

बाढ़ पर आज नियम–56 में एक सूचना है उसमें यह प्रश्न करते, यह जानकारी प्राप्त करते, तो अच्छा रहता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इसमें राहत योजना अलग से चलती है प्रदेश सरकार की जैसी योजना होगी उसका क्रियान्वयन किया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जो खाद पर सब्सिडी दी जा रही थी पिछले दिनों उस छूट पर कटौती की गयी तो उसका नतीजा यह हुआ कि खाद के दामों में बढ़ोत्तरी हुई तो क्या उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई उपाय करेगी या कोई कार्य-योजना बनायेगी अगर मंशा लाभ पहुंचाने की है ? समर्थन मूल्य पर यह भी महसूस करते हैं कि खरीददारी नहीं हो पाई है, लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाता तो इन कतिपय मामलों को देखते हुए जो पिछले दिनों भारत सरकार ने छूट में कटौती की है क्या उसकी पूर्ति करेंगे ? पिछले दिनों भारत सरकार ने छूट में कितनी कटौती की है, इसको हम जानना चाहेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश सरकार की जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने कोई कटौती नहीं किया है और न उर्वरक के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है । भारत सरकार द्वारा कुल कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इसका विवरण यदि आप कहें तो मैं प्रस्तुत कर दूं ।

श्री अध्यक्ष–

विस्तार से रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या छूट दी जा रही है इसका ब्योरा प्रस्तुत करा दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, डी०ए०पी० पर अधिकतम बिक्रीकर भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित है वह 8,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । इस पर भारत सरकार द्वारा जो छूट दी जा रही है वह 2880 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । जो अपने देश में निर्मित डी०ए०पी० है, उस पर 950 रुपये प्रति मीट्रिक टन और जो आयातित डी०ए०पी०, एम०ओ०पी० है, उसका अधिकतम बिक्रीकर मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है, वह 4225 रुपये प्रति मीट्रिक टन है और इस पर भारत सरकार द्वारा छूट 2800 रुपये प्रति मीट्रिक टन दी जा रही है । मिश्रण उर्वरक जो हैं, इसमें जो फास्फेटिक, पोटेशिक, नाइट्रोजनल रेशियो होता है, उसके आधार पर भारत सरकार अनुदान अनुमन्य करती है । यह अनुदान भारत सरकार सीधे फैक्ट्रियों को अनुदानित करती है, उनको एम०आर०पी० दे दिया जाता है, उससे अधिक पर नहीं बेच सकती है, बल्कि उससे कम दाम पर भी ही बेच सकती है ।

10-26-26 का जो मिश्रण है, इनका अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 7880 है, इस पर अनुदान 2791 रुपये है । इसी प्रकार 12-32-16 का अधिकतम मूल्य 7960 रुपये है और अनुदान 2674 रुपये है । 14-26-14 का अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 7820 रुपये और अनुदान 2493 रुपये है । इसी प्रकार 4-35-14 का अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 8100 रुपये और अनुदान 2800 रुपये है । 15-15-15 का अधिकतम मूल्य 6620 और अनुदान 2015 रुपये है । इसी प्रकार 16-30-0 का अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 6700 रुपये और अनुदान 1577 रुपये है । 17-17-17 का अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 7600 रुपये और अनुदान 2283 रुपये है । 19-19-19 का अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 7840 रुपये और अनुदान 2552 रुपये है । 22-23-0 का अधिकतम बिक्रीकर मूल्य 7540 रुपये और अनुदान 2015 रुपये है ।

श्री लालजी वर्मा–

मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि पिछले 5 वर्षों में नाइट्रोजन युक्त खादों के दामों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसका उत्तर नहीं आया, इसको क्या दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं पिछले साल का रिकार्ड नहीं लाया हूं इतना जरूर सदन को बता सकता हूं कि नाइट्रोजनस यूरिया का एम०आर०पी० जो भारत सरकार ने निश्चित किया है, उससे कम दाम पर इस समय बिक रहा है ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक तरफ विश्व व्यापार समझौते के तहत और ग्लोबलाइजेशन के तहत पूरी दुनियां के जो विकसित देश हैं उनके किसानों द्वारा जो कृषि उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उसका मुकाबला अब उत्तर प्रदेश के किसानों को करना है । मान्यवर, वहां पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के कारण और उच्च तकनीक का प्रयोग करने के कारण उनकी उत्पादन लागत बहुत कम आती है । उत्तर प्रदेश के किसान इसका मुकाबला कर सकें और जो माननीय रामललित चौधरी जी ने सवाल पूछा है कि क्या सरकार किसानों को सस्ते दामों पर खाद एवं बीज उपलब्ध करायेगी, तो विकसित देशों के किसानों के उत्पाद का मुकाबला उत्तर प्रदेश का किसान कर सके इसके लिए 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा । मेरा पहला सवाल है, मंत्री जी ने बताया कि जो खाद पर सब्सिडी भारत सरकार देती है, वह फैक्ट्रियों को सीधे दी जाती है लेकिन तमाम देशों में किसान को सीधे सब्सिडी मिलती है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश के किसान को भी सीधे सब्सिडी मिल सके क्या ऐसा कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार को भेजने पर विचार करेगी ? मान्यवर, दूसरा सवाल जो है और जैसा मंत्री जी ने बताया कि हमने किसान मित्रों का चयन किया है । उत्तर प्रदेश में आज धान की फसल, खरीफ की फसल चल रही है, धान का एफ–1 सीड इन्होंने दिया होगा और एफ–2 सीड तैयार हो रहा होगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान मित्रों के माध्यम से धान, मक्का, बाजरा आदि का कितना बीज किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम एफ–2 सीड या सर्टीफाइड सीड किसान मित्रों के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे ? वह किस दर पर बेचा जायेगा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का बीज । क्या इसके लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, किसानों को जो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, आन प्लान्ट वह सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि किसानों को मार्केट में जो उर्वरक मिले वह सस्ते दाम पर मिले । आन.प्लान्ट सब्सिडी में यह है कि जहां इनका प्रोडक्शन होता है उसी प्रोडक्शन को ही सब्सिडाइज्ड कर दिया जाता है ताकि किसानों को सस्ते दर पर उर्वरक मिल सके । यह तो किसानों को ही सीधा-सीधा लाभ दिया जा रहा है । सब्सिडी आन प्लान सब्सिडी देकर खाद के दाम कम किए जा रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने सुझाव दिया है कि दुनियां के तमाम देशों में सीधे किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, क्या उसी प्रकार से यहां के किसानों को सीधे सब्सिडी देने में कोई दिक्कत है ? क्योंकि जो जानकारी है इसमें काफी घपला किया जाता है, सरकार तो सब्सिडी देती है लेकिन उसका भरपूर लाभ किसान को नहीं मिल पाता है । सब्सिडी किसानों को सीधे मिल सके इसके बाबत कोई प्रस्ताव भारत सरकार से मिल करके कराने की कृपा करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इसके मायने किसान अधिक दाम पर उर्वरक खरीदे और फिर रसीद लेकर सब्सिडी का क्लेम करे । इसको दृष्टिगत रखते हुए ही आन प्लान सब्सिडी की व्यवस्था की गयी है । आज से 15 साल पहले यही योजना थी, जब किसान को सब्सिडी क्लेम करनी पड़ती थी और उसमें कितना भ्रष्टाचार लिप्त रहा है, कितनी जांच हुई है, यह इस सदन के रिकार्ड में देखा जा सकता है ।

मान्यवर, प्रयास यह किया गया है कि किसानों तक इसकी पूरी छूट उपलब्ध हो जाये । मान्यवर, किसानों के हित के लिए ही यह रेट कम किए जा रहे हैं ताकि पूरी की पूरी सब्सिडी किसानों तक पहुंचा दी जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर न्याय पंचायत क्षेत्र में कितने किसान मित्रों का चयन कराया है और उत्तर प्रदेश में क्या लक्ष्य रखा है ? एफ०वन, एफ०टू० या सर्टिफाइड सीड तैयार करेंगे व कितने किसानों को इसे उपलब्ध कराया है और जो तैयार होगा उसको किस दर पर किसानों को उपलब्ध करायेंगे, इसके बारे में मा० मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं, क्या कार्य योजना बनाई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

किसान मित्रों का चयन पिछले डेढ़ वर्षों से किया जा रहा है, कितने किसान मित्रों को नियुक्त किया गया इसकी सही जानकारी मैं लेकर नहीं आया हूं । जो किसानों को बीज उपलब्ध कराने की कार्य योजना है उसको अब लागू कर दिया गया है । वह किस रेट पर बीज बेचेंगे यह सरकार निर्धारित नहीं कर रही है । यह उनके ऊपर निर्भर है जो बीज पैदा कर रहे हैं, प्रतिबन्ध सिर्फ इतना है कि वह बीज मार्केट में बेचा नहीं जाएगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आज जितने उन्नत देश हैं वह हर प्रकार के रसायनिक खादों के उपयोग से भाग रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार अगले 15 वर्षों में जहां इनका प्रयोग बहुतायत में हो रहा है वहां की लगभग 67 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जायेगी और आप इन्हीं रसायनिक खादों को अधिक से अधिक मात्रा में सस्ते दामों में उपलब्ध कराकर किसानों का शोषण कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने प्राकृतिक खादों जैसे हरी खाद वगैरह के उपयोग के बारे में क्या विचार किया है और कौन सा कदम उठा रहे हैं ? क्या इस खाद को अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्री डंग साहब ने जो प्रश्न किया है वह आज के मौजूदा हालत में बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन रसायनिक खादों के अन्धा-धुन्ध उपयोग को दूर करने के लिए हम लोग अलग से प्रस्तावित कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन इसकी पूरी सूचना हम अभी लेकर नहीं आये हैं। प्रयास यह किया गया है कि किसानों में फसल चक्र को पुनः एडाप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। जहां पर किसान तीन फसल ले रहे हैं वहां प्रयास यह किया जाय, उनसे अनुरोध किया जाये कि इस तीन में एक फसल कम से कम दलहनी होनी चाहिए ताकि उसके आगे वह फसल लें उसमें नाइट्रोजन्स या रसायनिक खाद का उपयोग कम हो। एक चीज और आती है कि जितना अधिक रसायनिक उर्वरक और कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल होगा उतनी ही लागत बढ़ती है। हमारा मुख्य प्रयास यह है कि किसानों की उत्पादकता प्रभावित न होते हुये उनकी उत्पादन लागत को कम कैसे किया जाये ? इस किस्म की कई कार्य योजनायें इस प्रदेश में चलायी जा रही हैं। एक हरी खाद है, फसल चक्र में दलहनी फसलों का उपयोग हो। किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि ''नेडक'' सिस्टम या बायो एग्रीकल्चर आ गया है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। बायो फर्टीलाइजर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की अपनी लेबोरेट्री है, वहां भी निर्माण प्रारम्भ करके वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी यह मैन्डेट दे दिया गया है कि बायो फर्टीलइजर का प्रोडक्शन करें और किसानों को वितरित करें। बनारस में ''कृभको'' द्वारा प्लान्ट लगाया गया है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री आफ कास्ट भूमि उपलब्ध करायी है जिससे बायो फर्टीलाइजर बना करके किसानों को पहुंचाया जाये।

(तारांकित प्रश्न सं०–3 पुकारे जाने पर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का समुचित रूप से उत्तर नहीं आया। अगली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, एक अन्तर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार आगामी 15 वर्षों में 67 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि ऊसर हो जायेगी। प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, केमिकल खादों का प्रयोग न हो इसको बचाने के लिए एक पम्पलेट भी नहीं छपा है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी-बड़ी बातें बतायीं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि धरातल पर क्या कार्य किया जा रहा है इसके बारे में चिन्तन स्पष्ट नहीं है ? किसान रसायनिक खाद इसलिए प्रयोग करता है कि अधिक से अधिक अन्न उपजायें लेकिन इन जैविक और रसायनिक खादों से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नई-नई बीमारियां हो रही हैं। इस पर चिन्तन और अध्ययन होना चाहिए। सरकार यही आश्वासन दे कि विशेषज्ञों की समिति बैठाकर चिन्तन करके 6 महीने या 3 महीने में एक कार्य योजना बनाये ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कार्य योजना बनायेंगे नहीं, बन चुकी है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार क्या कर रही है ? इसके विषय में बखान किया है और यह उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश की तरक्की का रास्ता

खेत और खलिहान से होकर जाता है, यह नारा तो देते हैं, किसान भगवान है, यह नारा तो देते हैं किसान को छलने के लिए । लेकिन माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोई नीति किसानों को बीज और खाद में सब्सिडी देने की है ?

इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या प्रयास है, यदि नहीं है तो क्या इस पर विचार करेंगे ? दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार यह प्रयोग करने जा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट आ सकता है । ऐसी स्थिति में जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, यह सरकार पिछड़ों की बातें करती है, जो छोटे किसान हैं जिनके पास 10 बिसवा, 1 बीघा, 2 बीघा जमीन है क्या उनको निःशुल्क बीज और खाद देने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसानों तक सस्ते बीज पहुंच सके, खाद पहुंच सके, इन सारी योजनाओं को मैंने सदन में बताया है । इसके आगे कौन सी नयी योजना बनाने की आवश्यकता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की सरकार डपोरशंखी सरकार है । इह डपोरशंखी सरकार समय-समय पर गुमराह करने के लिये असत्य निर्णय लेती रही है । इस सरकार के पास कोई कारगर योजना नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन की बेहतरी हो सके । यह सरकार न सस्ती खाद दे सकती है न बीज दे सकती है न सब्सिडी दे सकती है । यह हमेशा भारत सरकार का नाम लेती है । मान्यवर, गन्ने के दामों में समय-समय पर मांग के मुताबिक दामों में बढ़ोत्तरी करती है, जब सरकार दामों में बढ़ोत्तरी कर सकती है तो किसनों को सस्ती खाद और बीज भी उपलब्ध करा सकती है । यह सरकार भारत सरकार का रोना क्यों रो रही है ? जो सरकार का रवैय्या है वह किसान विरोधी है । सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, जन विरोधी है और पूंजीपतियों की समर्थक है । सरकार किसानों का कोई ख्याल नहीं रख रही है खाद और बीज देने में, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

जनपद फिरोजाबाद/आगरा के कतिपय विकास खण्डों में भू-कटाव रोकने सम्बन्धी परियोजना का विचाराधीन प्रकरण

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद टूंडला, शिकोहाबाद और जनपद आगरा के विकास खण्ड एत्मादपुर, बरौली अहीर, खदौली, फतेहाबाद, पिनाहट,

बाह, जैतपुर आदि भू-कटाव, भू-क्षरण की भयानक स्थिति से बुरी तरह ग्रसित है और कृषि भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर भु-कटाव से बड़े-बड़े खारों में परिवर्तित होता जा रहा है ? यदि हां, तो भू-कटाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

इस क्षेत्र को भू-कटाव से बचाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार वाह्य सहायता तथा नाबार्ड की सहायता से प्राप्त धनराशि से भूमि संरक्षण योजनाएं संचालित कर लगभग 97.568 हे० क्षेत्र संरक्षित/उपचारित किया गया है । ई०सी० सहायतित एबीटेड स्थिरीकरण परियोजना, जर्मन सहायतित एकीकृत जल समेट क्षेत्र विकास योजना तथा नाबार्ड सहायतित बीहड़ सुधार की विशिष्ट परियोजनाएं उक्त क्षेत्र के भू-कटाव को रोकने के लिए विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र के बारे में मैंने प्रश्न किया है इसमें तीन बड़ी नदियां हैं । यमुना, चम्बल, उटंगन इनके बीच का यह क्षेत्र है आपने 97,568 हे० जमीन संरक्षित की है, उपचारित की है क्या आप यह बता सकते हैं कि इतनी जमीन उपचारित करने के बाद मैंने जो प्रश्न किया है भू-कटाव, भू-क्षरण है कि भयानक स्थिति से बुरी तरह से ग्रसित है और कृषि भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर भू-कटाव से बड़े-बड़े खारों में परिवर्तित होता जा रहा है । आपने कहा है कि जी हां । क्या भू-कटाव को नियंत्रित करने में इतने क्षेत्र को उपचारित करने के बाद क्या नियंत्रित करने में कोई आपको सफलता प्राप्त हुई है ? यदि हुई तो 264 एकड़ प्रतिवर्ष भू-कटाव चम्बल नदी के और 266 एकड़ जमीन का कटाव प्रतिवर्ष यमुना से हो रहा है । इस भू-कटाव की स्थिति को देखते हुए जो एक जमीन के लिए कैंसर की तरह है तो क्या इस क्षेत्र के भू-कटाव व भू-क्षरण को रोकने के लिए इस योजनाओं को लागू करने में जल्दी करेंगे ? .

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यह जो समस्या है यह तीन नदियों से सम्बन्धित है मा० वर्मा जी ने यमुना, चम्बल, उटंगन नदी से सम्बन्धित प्रश्न पिछले सत्र में किया था पिछली बार यह नदियों के नाम से पूछा था कि इन नदियों के बीच के क्षेत्र में भू-कटाव की क्या स्थिति है । यह सारे आंकड़े उस समय भी मैंने वर्मा जी को अभिलेख में उपलब्ध कराये थे इसी प्रश्न को अब इन्होंने विकास खण्डों में परिवर्तित कर दिया । मैं पुनः इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

जब पूर्व में अभिलेख उपलब्ध कराये थे तो अब वह तिथि आप बता दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कुछ परिवर्तन जो हुआ है उसको बताने का प्रयास करूंगा । हमारी जो योजनाएं हैं ई०ई०सी० की जो योजना है । अलग-अलग योजनाएं बताये देता हूं । एक जर्मन योजना है जो जर्मन सरकार के सहयोग

से चलाई जायेगी । आज की तारीख में इसमें प्रगति यह है जब वर्मा जी ने पिछली बार प्रश्न किया था तब यह योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में विचाराधीन थी अब वहां से स्वीकृत होकर इकोनामिक अफेयर में पहुंच गई है इसमें यथाशीघ्र निर्णय हो जायगा व इसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी । ई०ई०सी० की जो योजना है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है उसकी कार्य योजना तैयार हो गई है व कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है । नाबार्ड की जो योजना है, आर०आई०डी०एफ० की योजना है वह प्रदेश सरकार में विचाराधीन चल रही है जैसे ही क्लियर हो जायेगी उसे नाबार्ड से स्वीकृत करा लिया जायेगा । भारत सरकार तक जाने की आवश्यकता नहीं है । शीघ्र ही उस पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री स्मुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । भू-कटाव के सम्बन्ध में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जमीन को नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं हो पाया है ।

मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि नाबार्ड की जापान की और ई०ई०सी० की जर्मन की वाह्य सहायता की योजनाएं हैं, इनकी कार्य योजना बनाने के लिये, आपका जो इन्स्टीट्यूट है जो भू-कटाव का अध्ययन करता है, उसने लेटेस्ट टैक्नोलाजी तैयार की है, उनसे आप सलाह क्यों नहीं ले लेते ? भारत सरकार का जो एक इन्स्टीट्यूट है, उसकी सलाह लेकर भू-कटाव को रोकने के कार्य और इस योजना को इसी वर्ष में प्रारम्भ कराने का प्रयास करें । यदि इस योजना को अभी प्रारम्भ कर देंगे तो किसानों का बहुत भला कर देंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, ई०ई०सी० की योजना तुरन्त प्रारम्भ होने जा रही है, इसकी स्वीकृति होकर आ गई है और इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको प्रारम्भ करने जा रहे हैं । मैं क्षेत्रफल भी बता देता हूं । जिन-जिन जगहों के लिये उसमें जनपद आगरा में जर्मन सहायतित की पिनहट, बाह, ज़ैदपुरकलां, बरोली, फतेहाबाद, खन्दौली । फिरोजाबाद में 26,474 हेक्टेयर का क्षेत्र है उसमें से समस्याग्रस्त है 14,316 और उपचारित है 8614 हेक्टेयर । अवशेष 5702 हेक्टेयर है जो फिरोजाबाद में उपचारित्र करना है । कार्यवाही हमको करनी है और हम तुरन्त करने जा रहे हैं । फिरोजाबाद में कई पुरानी योजनाएं 87-88 और 92-93 के बीच चली थीं, पुरानी हैं, मैंने आपको बताया है । ई०ई०सी० की पांच वर्ष की योजना फिरोजाबाद के लिये है । 3,650 हेक्टेयर क्षेत्रफल है और वित्त 5 करोड़ 74 लाख का है जिस पर हम इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं । आपने जो बताया कि हमारे पास एक संस्थान है । मैं उसको देख लूंगा कि जो कार्य योजना बनाई गई उसमें इस संस्थान का सहयोग प्राप्त किया गया कि नहीं । भारत सरकार का एक जो सेन्टर है, निश्चित रूप से उसमें परामर्श किया गया होगा । नहीं किया गया होगा तो जो उचित व्यवस्था हो सकेगी, करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस भू-कटाव को रोकने के संबंध में तीन योजनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं हैं यह कब तक स्वीकृत हो जायेंगी । नाबार्ड

में तो आपको भारत सरकार से ही करना है। दूसरी बात यह जानना चाहते हैं कि जो योजनाएं इन्होंने भेजी हैं उसमें क्या उपाय और क्या प्रारूप हैं इस भू-कटाव को रोकने के लिये ?

श्री अध्यक्ष–

यह अन्तिम प्रश्न है, इसके बाद और नहीं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि बताया नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० की योजना विचाराधीन है जैसे ही यह क्लीयर हो जायेगी वैसे ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी, जो जर्मन वाली है इसमें तकनीकी आधार पर प्रस्ताव बन रहा है इसकी सूचना नहीं लाए हैं।

श्री श्रीराम पाल–

आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो ई०ई०सी० योजना का कानपुर देहात में कार्यालय बना है जौनपुर के काल्पी में भी ट्रैक्टर वगैरह समतलीकरण के उपकरण इकट्ठा हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद जालौन का कितना क्षेत्रफल इस स्कीम में लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

आपने जनपद जालौन के बारे में प्रश्न किया है इसकी सूचना तो नहीं होगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इन्होंने जनपद जालौन और कानपुर के संबंध में कहा, यह योजनायें इन जगहों पर लागू का विवरण नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद महराजगंज, थाना बृजमनऊ के ग्राम नौसगरा के निवासी श्री रघुनाथ की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

1–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के वर्ष 2001 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–136 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नौसगरा, थाना बृजमनऊ, जिला महराजगंज निवासी श्री रघुनाथ पुत्र बृजलाल के पट्टे की भूमि नं० 1734 रकबा .053 एअर पर उनका कब्जा बनाये रखने का सिविल न्यायालय फरेन्दा, महराजगंज द्वारा जुलाई, 2000 में आदेश किये जाने के बावजूद जबरन प्रहलाद पुत्र दयाराम एवं दयाराम पुत्र अक्षयवर द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर विकास खण्ड बसखारी के ग्राम हंसवर के पंचायत घर एवं उसकी भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

2–श्री लालजी वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हंसवर, विकास खण्ड बसखारी, जनपद–अम्बेडकर नगर के पंचायत घर एवं उसकी भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पंचायत भवन एंवं उसकी भूमि को खाली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी हां । ग्राम पंचायत, हंसवर के प्रस्ताव दिनांक 3-6-63 के द्वारा पंचायत भवन श्री रांगेय राघव इण्टर कालेज-हंसवर, अम्बेडकर नगर को मासिक किराये पर दिया गया था, जो विद्यालय के कब्जे में है । पंचायत भवन की शेष भूमि पर कुछ व्यक्तियों का कब्जा है ।

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया । पुनः जिला पंचायत राज अधिकारी से विधिक परीक्षण करके खाली कराने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया जा रहा है तथा उप निदेशक को जांच करने के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद कुशीनगर, ग्राम महजवलिया, थाना कुबेरगंज की सार्वजनिक रास्ते पर दस अवैध कब्जे का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

3–श्री शिव सिंह चक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहजवलिया, थाना–कुबेरगंज, जिला–कुशीनगर (पडरौना) के सार्वजनिक रास्ते को असामाजिक तत्वों द्वारा बन्द कर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में श्री दीपलाल भारती स०वि०स० का पत्र दिनांक 26-3-2001 अपर जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

सार्वजनकि रास्ते पर अवैध कब्जे एवं निर्माण का मामला जांच में सही पाया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवां में राजस्व परिषद् इलाहाबाद का तालाब नं०–218 से जबरियन मछलियां निकालने का कथित प्रकरण

4–श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवां में राजस्व परिषद् इलाहाबाद के मत्स्य पालन स्थगन आदेश दिनांक 22-2-2001 के बावजूद भी ग्राम प्रधान

उमाशंकर उपाध्याय व उनके अन्य साथियों द्वारा दिनांक 26-2-2001 को तालाब संख्या–218 से जबरियन मछलियां निकलवा ली गयी थीं ? क्या जबरियन मछली निकाले जाने की सूचना दिनांक 26-2-2001 को उपजिलाधिकारी, सहजनवां व जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मछलियों से प्राप्त धनराशि राजस्व विभाग सहजनवां में जमा की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जबरन मछली मारने की शिकायत निराधार पायी गयी । अतएव किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

5–श्री राम चन्द्र यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

श्री भानु प्रताप त्रिपाठी, सेवानिवृत्त भूलेख निरीक्षक तह० मुसाफिर खाना, जनपद सुल्तानपुर को अवशेष धनराशि को नियमानुसार भुगतान करने के संबंध में पत्र

6–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भानु प्रताप त्रिपाठी, सेवानिवृत्त भूलेख निरीक्षक, तह०–मु० खाना, जनपद सुल्तानपुर से दिनांक 31-6-90 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इनका 1988-89 का बोनस सन् 1986 तक संशोधित पेंशन लाभ तथा 90 प्रतिशत जी०पी०एफ० का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवशेष देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । श्री भानु प्रताप त्रिपाठी दिनांक 31-5-90 को सेवानिवृत्त हुए हैं ।

सन् 1988-89 का बोनस तथा 90 प्रतिशत जी०पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री भानु प्रताप त्रिपाठी दिनांक 31-5-90 को सेवानिवृत्त हुए हैं इसलिए सन् 1986 में पेंशन संशोधन का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ज्योतिबाफुले नगर तहसील अमरोहा के ग्राम सभा असरफपुर फैजगंज में पात्र व्यक्तियों को भूमि पट्टों आवंटन का कथित प्रकरण

7–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा असरफपुर फैजगंज तहसील–अमरोहा, जिला–ज्योतिबाफुले नगर में पात्र व्यक्तियों को 95 भूमि पट्टे ग्राम प्रधान ने वर्ष 1991 में प्रस्ताव पारित कर आवंटित कर दिये थे, जिसकी स्वीकृति परगना अधिकारी अमरोहा से प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या पात्र व्यक्तियों को 95 पट्टों का परगना अधिकारी द्वारा कब्जा दिलवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुरादाबाद, तहसील सम्भल, ग्राम सभा मढ़न में अनुसूचित जाति के आवंटित भूमिहीनों को पट्टा आवंटन का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

8–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मढ़न, तहसील सम्भल, जिला–मुरादाबाद में भूमिहीन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को 73 भूमि पट्टे ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव पारित कर परगना अधिकारी, सम्भल द्वारा विगत वर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी ? क्या भूमिहीन अनुसूचित जातियों के पात्र व्यक्तियों को 73 पट्टों का परगना अधिकारी द्वारा कब्जा दिलवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि उप जिलाधिकारी की स्वीकृति के तत्काल बाद ही प्रश्नगत आवंटियों के विरुद्ध ग्राम के ही शेर सिंह आदि 31 व्यक्तियों द्वारा अपर जिला अधिकारी के न्यायालय में आवंटन निरस्त किए जाने हेतु वाद सं०–27/36 अन्तर्गत धारा 122 का वाद दायर कर दिया जो वर्तमान में उक्त न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसमें 4–10–01 की तिथि साक्ष्य हेतु लगी है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसांवा के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा चुनाव आयोग की अधिसूचना की अवहेलना का कथित प्रकरण

9–श्री रमेश राही–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसांवा के ग्राम सभा सरोसा की ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती द्वारा सम्पन्न हुये पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद पंचायत सेक्रेटरी से मिलकर भगीरथ ग्रामीण बैंक अरथाना-सीतापुर से रुपये 76,000 निकाल लिया जबकि अधिसूचना के उपरान्त सरकारी धन निकालने पर रोक लगा दी जाती है ? यदि हां, तो चुनाव आयोग के निर्देशों का अवहेलना करने के आरोप में ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती तथा पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

11–श्री विनोद मणि–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा के प्रधान द्वारा विकास कार्यों हेतु आहरित धनराशि की जानकारी

12–श्री समरपाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा के प्रधान श्री बानेश्वर सिंह यादव द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2000 को दशम् वित्त की धनराशि वर्ष 1999–2000 में रुपये 1.58,000 विकास कार्यों हेतु आहरित की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धनराशि को प्रधान द्वारा विकास कार्य में न खर्च करके अपने निजी कार्यों में

खर्च कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

14—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

15–16–श्री भोनू राम सोनकर

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद मुजफ्फरनगर, परगना शेरपुर, ग्राम भोजाहेडी के प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

17–श्री रणधीर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भोजाहेडी, परगना शेरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रधान श्री अजब सिंह व ग्राम विकास अधिकारी चरण सिंह के कार्यों की जांच जिला स्तर से कराने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/ एम/47400/ मुजफ्फरनगर/2001, दि० 9-6-2001 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

ग्राम भोजाहेडी, परगना शेरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रधान श्री अजब सिंह व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, श्री चरण सिंह के कार्यों की जांच अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुजफ्फरनगर से कराई जा चुकी है । निर्माण कार्यों में जांच अधिकारी द्वारा अंकन 19,827.00 रु० की वसूली निकाली गयी है । वसूली के लिए प्रधान को नोटिस जारी किया जा चुका है तथा श्री चरण सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिनांक 3-9-2001 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 10-5-2001 को अता० प्र० सं०–47 द्वारा उत्तरति]

19–श्री परवेज हलीम–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

20–श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री दिलीप कुमार–

[मा० सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

उ०प्र० लखनऊ अलीगंज में राजकीय अलंकृत पौधशाला में दैनिक वेतन भोगी मालियों को वेतन एवं बोनस का भुगतान

21–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एव खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी मालियों को वर्ष 2000 का नियमित वेतन एवं बोनस विभाग द्वारा दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो वर्ष 2000 का नियमित वेतन एवं बोनस न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार दैनिक वेतन भोगी उक्त मालियों को वर्ष 2000 से नियमित वेतन एवं बोनस उपलब्ध कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव) -

जी नहीं । नियमित कर्मचारी न होने के कारण नियमित वेतन एवं बोनस अनुमन्य नहीं है । दैनिक वेतन भोगी मालियों को वर्ष 2000 के चिट्ठों का भुगतान कर दिया गया है । तदर्थ बोनस की सुविधा कृषि कार्य पर लगे दैनिक श्रमिक/खेतिहर मजदूर/दिहाड़ी मजदूरों को अनुमन्य नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के भा० मजदूर संघ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के कर्मचारियों द्वारा पांच सूत्रीय मांगों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

22–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 11 जून, 2001 को अध्यक्ष, भा० मजदूर संघ, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मजदूर संघ इकाई, लखनऊ और निदेशक, उद्यान के मध्य संघ की पांच सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पांच सूत्रीय मांगों के संबंध में कोई निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी हां ।

जी हां ।

पांच सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई ।

1–मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित अन्तरिम निर्देशों के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की गई है, जो मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

2–माह अगस्त, 2000 से जनवरी, 2001 तक के दैनिक श्रमिकों के चिटठों का भुगतान दिनांक 3-9-2001 को कर दिया गया है ।

3–तदर्थ बोनस की सुविधा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनुमन्य है । कृषि कार्य पर लगे दैनिक श्रमिक/खेतिहर मजदूर/दिहाड़ी मजदूरों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं है ।

4–उप श्रमायुक्त के निर्देशानुसार देयकों का भुगतान हो रहा है ।

5–उपर्युक्त स्थिति के अनुसार आदेशों की अवमानना का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मंडल में फर्जी कोल ब्रिकेट की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री जन्मेजय सिंह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में फर्जी कोल ब्रिकेट चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री-(श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

गोरखपुर मंडल में कोल ब्रिकेट निर्माण की कुल 18 इकाइयां पंजीकृत हैं । परिक्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, उद्योग के माध्यम से कोल आधारित इकाइयों की जांच भी कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप 5 इकाइयों की स्पांसरिंग निरस्त की गयी एवं उनका लघु उद्योग पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया । 01 इकाई वर्ष 2000 में एवं 04 इकाइयों का पंजीयन वर्ष 2001 में निरस्त किया गया ।

जनपद फर्रुखाबाद के सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी श्री माखन लाल को पुनरीक्षित वेतनमान एवं समस्त लाभ दिलाये जाने की मांग

24–श्री शिव पूजन राम–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र०सं०–2 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1350-2200 का वेतनमान पुनरीक्षित कर 4500-7000 कर दिया गया है ? यदि हां तो क्या उक्त सहायक विकास अधिकारी (पं०)को 4000-6000 का वेतनमान प्रदान कर पेंशन आदि की गणना की गयी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या सरकार 4500-7000 का वेतनमान देते हुये, समस्त लाभ दिलाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25–26–श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री दिलीप कुमार–

[मा० सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद जौनपुर ग्राम असबारा विकास खण्ड मुफ्तीगंज निर्वाचित प्रधान के हस्ताक्षर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित न करने के सम्बन्ध में जांच

27–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत निर्वाचन में ग्राम असबारा विकास खण्ड मुफ्तीगंज जनपद जौनपुर की प्रधान कमला देवी निर्वाचित हुईं हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निर्वाचन के बाद आज तक उक्त प्रधान, जो अनुसूचित जाति की है, का हस्ताक्षर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित न करने से पूरे ग्राम का विकास कार्य अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

28-29–श्री राजेन्द्र यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

30–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

31–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड, गौदला मऊ की ग्राम पंचायत कोठावां में ग्राम प्रधान आदि द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री अक्षयवर लाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खंड, गोदला मऊ की ग्राम पंचायत कोठावां में बहुउद्देशीय कर्मी तथा ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में की गयी अनियमितताओं सम्बन्धी पंचायत सदस्य श्री दिवाकर सिंह एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र दिनांक 3-5-2001 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

संबंधित प्रधान श्रीमती मोहिनी देवी को दिनांक 10-7-2001 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरिवंश कुमार त्रिपाठी को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा गढ़िया रंगीन से जनगवां मार्ग पर डामरीकरण की जांच

33–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो मंडी परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा गढ़िया रंगीन से जनगवां मार्ग पर कराये गये डामरीकरण की जांच के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को दिनांक 7-12-2000 या इससे आस-पास प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने उपरोक्त पत्र दिनांक 9-12-2000 को कृषि मंत्री को भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र पर जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा तकनीकी अधिकारियों से जांच कराने हेतु टीम का गठन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उटता ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा स्थल चयन की जांच तथा भूमि प्रबन्ध समिति में किन व्यक्तियों द्वारा भाग लेकर हस्ताक्षर लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

34–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के पांचवें गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–61 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा स्थल

चयन की जांच किस अधिकारी से कब करायी गयी तथा भूमि प्रबन्ध समिति में किन–किन व्यक्तियों ने भाग लेकर हस्ताक्षर किये ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां । जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर से स्थल चयन की जांच दिनांक 10-11-99 को करायी गयी तथा भूमि प्रबन्धक समिति की आयोजित बैठक दिनांक 5-12-98 में ग्राम प्रधान श्री रामदास सिंह, लेखपाल श्री राज बहादुर, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बालिसटर सिंह, सदस्य ग्राम पंचायत श्री नेत्रपाल, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती कमला देवी ने भाग लेकर निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर किये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35,36–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो मंडी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच के संबंध में था, मंत्री जी को दिनांक 7-12-2000 या इससे आस-पास प्राप्त हुआ है.? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ग्राम्य विकास मंत्री को दिनांक 9-12-2000 को भेजा गया था ? यदि हां, तो, उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

संदर्भित पत्र में निहित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री दशरथ सिंह, सेवानिवृत्त पावरलूम निरीक्षक के अवशेष देयों के भुगतान

39–श्री तेजभान सिंह––

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के 6ठें गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न सं०–10 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

श्री दशरथ सिंह, सेवा निवृत्त पावरलूम निरीक्षक के अवशेष वेतन मंहगाई भत्ता, नकदीकरण का भुगतान माह जुलाई, 2001 में किया जा चुका है । बोनस के भुगतान हेतु बिल कोषागार में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

जनपद कुशीनगर के खड्डा तथा उप तहसील में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के संबंध में जानकारी

40–श्री दीप लाल भारती–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा तथा कप्तानगंज को उप तहसील बनाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उप तहसील भवनों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धन आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा जिला पंचायत द्वारा मार्ग निर्माण में फर्जी भुगतान विषयक पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-5-1998 जो जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 1995-96 में मार्ग निर्माण में फर्जी भुगतान किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम–आचिन्तपुर खूबपुर में बाढ़ राहत संबंधित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

42–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-98 को या इसके आस-पास जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम–अचिन्तपुर, खूबपुर, विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ राहत दिलाये जाने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम खूबपुर में 65 पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान के रूप में रु० 75,400/- तथा 62 पात्र व्यक्तियों को अहैतुक सहायता के रूप में रु० 62,000/- का वितरण किया गया । ग्राम अचिन्तपुर के 74 पात्र व्यक्तियों में गृह अनुदान के रूप में रु० 1,06,000/- , 75 पात्र व्यक्तियों में अहैतुक सहायता के रूप में 75,000/- का वितरण किया गया । इसके अतिरिक्त ग्राम अचिन्तपुर एवं खूबपुर के बाढ़ पीड़ितों में गुड़, चूरा, चना, नमक, माचिस, आटा, दाल, चावल, मिट्टी का तेल, पूड़ी के पैकेट, गेहूं का बीज आदि आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्धक दुग्ध संघ द्वारा श्री रामेश्वर दयाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उत्पीड़न विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

43–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

मा० दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-98 या इसके आस-पास मुख्य मंत्री को, श्री ए० सी० मिश्रा, प्रबंधक दुग्ध संघ द्वारा श्री रामेश्वर दयाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न के विषय में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री जयपाल सिंह)–

मा० प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र दिनांक 8-5-98 नहीं बल्कि 28-4-98 प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त शिकायती-पत्र पर क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, बरेली से जांच करायी गई, किन्तु इसी मध्य श्री रामेश्वर दयाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उनके स्वयं के अनुरोध पर दुग्ध संघ, शाहजहांपुर से दुग्ध संघ बरेली स्थानान्तरण कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 3-9-98 द्वारा सूचित किया गया कि दुग्ध संघ शाहजहांपुर से स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपनिदेशक प्रशासन बरेली को खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

44–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या–127 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-6-98 की जांच, उपनिदेशक प्रशासन बरेली को करने तथा खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौन से हैण्ड पम्प ठीक कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां। उप निदेशक (प्रशासन) बरेली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में निदेशक मण्डी परिषद् से कतिपय बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति, तिलहर के प्रस्ताव संख्या–28 दिनांक 24 2-96 के अन्तर्गत अनुमोदित 25 हैण्डपम्पों की स्थापना सहित खराब हुए सभी हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 10-5-2001 को अता० प्र० सं०–47 द्वारा उत्तरित]

पूर्व सैनिकों के बच्चों को खेल संस्थाओं में निःशुल्क प्रवेश दिलाये जाने की जानकारी

46–श्री मेजर जगतपाल सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सैनिकों के प्रतिभाशाली बच्चों को खेल संस्थाओं में प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क प्रवेश देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

जी नहीं ।

खेल विभाग के अन्तर्गत जनपद में निर्मित क्रीड़ा प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन अभ्यास के लिये आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों/खिलाड़ियों से निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर वर्ष भर निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है । इसी प्रकार प्रदेश में स्थापित स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, गोरखपुर में प्रवेश लेने वाले बच्चों से शिक्षा शुल्क जमाकर निःशुल्क भोजन, किट व प्रशिक्षण वर्ष भर दिये जाने की व्यवस्था है जो सभी वर्ग के बच्चों के लिये सामान्य रूप से लागू है ।

जनपद हरदोई तहसील सण्डीला ग्राम मुन्नू खेड़ा मजरा ककराली में दबंग व्यक्तियों द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटवाने की मांग

47–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुन्नू खेड़ा मजरा ककराली तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई स्थित गाटा संख्या–1936, 3 बीघा 2 विश्वांसी तथा गाटा संख्या–1963 रकबा 9 विश्वा 10 विस्वांसी पर कतिपय दबंग व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री शहिजादे आदि का प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 19-2-2001 को राजस्व मंत्री को तथा दिनांक 28-2-2001 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । भूमि नम्बर 1936 क्षेत्रफल 3 बीघा 2 बिस्वांसी (0.760 हे०) के श्री अजीज अहमद जमील अहमद, शहिजादे पुत्रगण शेर अली निवासी ग्राम ककराली संक्रमणीय भूमिधर है और इन्हीं खातेदारों का कब्जा है । भूमि नं० 1963 क्षेत्रफल 9 बिस्वा 10 विस्वांसी (0.120हे०) के संक्रमणीय भूमिधर शहिजादे पुत्र शेरअली ग्राम ककराली है । इस भूमि नम्बर 1963 पर श्री जमील अहमद पुत्र शेर अली और श्री बेच्चू पुत्र चिन्ना निवासी ग्राम ककराली द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था । राजेन्द्र निरीक्षक सण्डीला द्वारा मौके पर दिनांक 17-9-2001 को भूमि की पैमाइश की गयी और उक्त अवैध कब्जा धारी व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया गया है और अब मौके पर खातेदार शहिजादे पुत्र शेर अली द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ तहसील बक्शी का तालाब में भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम पंचायत उमरिया की भूमि पर अवैधानिक रुप में आवंटित भूमि के प्रकरण की जांच की मांग

48–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-3-96 भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम पंचायत उमरिया, परगना महोना, तहसील बक्शी का तालाब, जनपद–लखनऊ द्वारा भूमि खसरा सं०–235/56–14–10 व 242/14–2–10 जोखन पुत्र विक्रम, समरू पुत्र बरसाती, सेवक पुत्र मक्का, श्यामदेव पुत्र बनारसी, मराछी पुत्र राजदेव, तुलसी पुत्र भरोसे, श्रीमती पत्नी केशव, पुरुषोत्तम पुत्र लेखू, सकटू पुत्र मीना, हीरालाल पुत्र तुलसी, चन्द्रदेव पुत्र भगीना, स्वानकली पत्नी राजरूप, शिवबरन पुत्र शिवादीन व प्रताप पुत्र बल्देव आदि को अवैधानिक रूप से आवंटित की गयी जो ग्राम उमरिया के स्थायी निवासी नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

49–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

50–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[1 ले मंगल में अता० प्र०सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर परगना बिहड़ा तहसील टाण्डा में अपात्र व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम दसरैचा जनपद अम्बेडकर नगर परगना बिड़हा तह० टाण्डा की भूमि को अपात्र व्यक्तियों को, बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आवंटित किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर, विकास खण्ड बसखारी, जनपद–अम्बेडकर नगर के पत्र के साथ दिनांक 24-7-2001 को प्रमुख सचिव राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पंत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद फैजाबाद ग्राम सभा शिवतर तहसील बीकापुर में ग्राम समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

53–श्री राम हर्ष सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा शिवतर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में गाटा संख्या–123 जो ग्राम समाज की भूमि है, पर लगे हुये 50,000 रुपये के बांस उक्त ग्राम सभा के सदस्य श्री लल्लन सिंह द्वारा कटवा कर बेच दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी पंचायत सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां !

दोषी पंचायत सदस्य के विरुद्ध ग्राम समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के कारण ज०वि०अधि० की धारा 122 बी के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है जो विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर पशु चिकित्सालय मीरान्पुर कटरा में सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री मैकूलाल के समस्त देयों के भुगतान की मांग

54–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधेश्याम पुत्र स्व० मैकूलाल चपरासी, पशु चिकित्सालय मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर से दिनांक 16-7-1998 को सेवा निवृत्त हो गये थे ? यदि हां, तो क्या सेवा निवृत्त कर्मचारी को दिये जाने वाले सभी देयों का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राधेश्याम दिनांक 31-7-1999 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए । श्री राधेश्याम के जी० आई० एस० को छोड़कर शेष समस्त सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान कर दिया गया है । जी० आई० एस० का प्रकरण बीमा निदेशालय, लखनऊ के स्तर पर लम्बित है ।

जिला देवरिया तहसील रुद्रपुर के ग्राम नगवा खास निवासी श्री राम बिलास राव का भूमि पर कब्जा करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम विलास राव भू० पू० सैनिक निवासी ग्राम नगवा खास तहसील रुद्रपुर जिला देवरिया की भूमि पर कब्जा करने विषयक प्रश्नकर्ता का विधायक कोष्ठक का पत्र सी०एम०वि०को०/एम–2 48945–2001 सुल्तानपुर दिनांक 16-7-2001 जिलाधिकारी देवरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां !

संदर्भित पत्र के संबंध में स्थलीय जांच करायी गयी, जिससे स्पष्ट हुआ है कि विवादित भूमि श्रेणी–6 (2) आबादी के खाते की भूमि होने के कारण राजस्व अभिलेखों में किसी के नाम अंकित नहीं है, और न ही उक्त खाते की भूमि का सीमांकन करने का अधिकार ही राजस्व अधिकारियों में निहित है, बल्कि आबादी की भूमि पर भौमिक अधिकार व सीमांकन द्वारा कब्जा दिलाये जाने पर अधिकार सिविल न्यायालय में निहित है ।

उ० प्र० लखनऊ राजस्व परिषद् में कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

56–श्री सूर्यभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ में विगत 5 वर्षों या उससे अधिक समय से कितने कर्मचारी एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) वर्तमान में कुल 62 कर्मचारी 5 वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही अनुभाग में तैनात हैं ।

(ख) समूह ''ग'' के कर्मचारियों के लिये शासन की वर्तमान स्थानान्तरण नीति में अनुभाग परिवर्तन हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर ग्राम डभौरा के विकास खण्ड जैतीपुर में बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता की मांग

57–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र माननीय मुख्य मंत्री को बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19-10-2000 को या इसके आस-पास प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांचोपरान्त तहसील तिलहर के ग्राम डभौरा विकास खण्ड जैतीपुर में अतिवृष्टि एवं सैलाब से क्षतिग्रस्त मकानों के सभी पात्र 146 गृह स्वामियों को रुपये 87,600/- की धनराशि वितरित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी को जिला योजना में आवंटित धनराशि का विवरण

58–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी शाहजहांपुर को एक अप्रैल, 97 से मार्च, 2001 तक शासन तथा जिला योजना से प्रत्येक वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में प्राप्त हुई तथा उससे कब-कब कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार उपरोक्त विवरण की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

कार्यालय जिला मत्स्य अधिकारी, शाहजहांपुर को 1 अप्रैल, 1997 से मार्च, 2001 तक शासन एवं जिला योजना से प्रत्येक वर्षों में मदवार प्राप्त धनराशि तथा उससे कराये गये कार्यों की सूची/विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 172–174 पर)

59–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

60–श्री योगेन्द्र कुमार–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद जौनपुर तहसील मछली शहर, ग्राम सभा रामपुर पत्रालय-दान, विकास खण्ड–सुजानगंज, की गांव समाज की जमीन पर अवैध कब्जा/निर्माण को समाप्त करने का प्रकरण

61–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा–रामपुर, पत्रालय–दान, विकास खण्ड–सुजानगंज, तहसील–मछलीशहर, जनपद– जौनपुर की गांव समाज की जमीन पर अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–100 लो०शि०–2/2001, दिनांक 10-1-2001 जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हा, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[।ले बुधवार में अता० प्र० सं०–116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तिलहर शाहजहांपुर में अतिवृष्टि व सैलाब से गिरे मकानों हेतु आर्थिक सहायता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000 जो तिलहर शाहजहांपुर में अतिवृष्टि व सैलाब से गिरे मकानों के मालिकों को आर्थिक सहायता दिलवाये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हा, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांचोपरान्त ग्राम जगत पिपरथना में 47 व्यक्तियों को रु० 26,000/- ग्राम रुद्रपुर में 25 पात्र व्यक्तियों को रु० 16,600/-, ग्राम डभौरा में 146 व्यक्तियों को रु० 87,600/– ग्राम बस्ती नगला में 9 व्यक्तियों को रु० 5,400/- ग्राम रपडिया में 27 व्यक्तियों को रुपये 16,200/- गृह अनुदान के रूप में वितरण किया गया तथा ग्राम मरेना में एक व्यक्ति को रु० 2000/- ग्राम जगत पिपरथना में 2 व्यक्तियों को रु० 4000/- व ग्राम रुद्रपुर में 4 व्यक्तियों को रु० 52,500/- अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा गैसड़ी के भदरहवा मार्ग का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

64–श्री बिन्दु लाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में शासन द्वारा वर्ष 1998-99 में मदरहवा सम्पर्क मार्ग व बलेहसा सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई ग्राम नरायनपुर तहसील सण्डीला, के निवासी श्री फकीरे लाल के घर राजस्व कर्मियों द्वारा लूट-पाट की कथित घटना

65–श्री दीप लाल भारती–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–149 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीरे लाल निवासी ग्राम नरायनपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई के घर राजस्व कर्मियों द्वारा की गयी लूट-पाट की घटना की अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी, सण्डीला द्वारा की गयी जांच में तहसील सण्डीला के कौन-कौन राजस्व कर्मी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जांचोपरान्त शिकायत निराधार व असत्य पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर थाना भीटी तहसील अकबरपुर के ग्राम राम नगर कर्री के भूमि पर कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री छोटेलाल पुत्र श्री अंगनू निवासी ग्राम राम नगर कर्री, थाना भीटी, तहसील अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर ने अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को दिनांक 25-5-2001 को कोई प्रार्थना-पत्र अपनी खतौनी की भूमि पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिये जाने सम्बन्धी दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलरामपुर तहसील तुलसीपुर के लेखपालों की नियुक्ति करने की मांग

67–श्री बिन्दु लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर तहसील, जनपद बलरामपुर में कितने पद लेखपालों के हैं ? इस समय कितने लेखपाल तुलसीपुर तहसील में कार्य कर रहे हैं ? क्या उक्त संख्या मानक से बहुत कम है ? यदि हां, तो मानक के अनुसार लेखपालों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तुलसीपुर तहसील जनपद बलरामपुर में लेखपालों के कुल स्वीकृत पद 149 है ।

वर्तमान में 136 लेखपाल तहसील तुलसीपुर में कार्यरत हैं ।

वर्तमान में जनपद प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध नहीं है, प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

68–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद लखनऊ तहसील बक्शी का तालाब ग्राम सभा उमरिया, की भूमि पर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत जानकारी

69–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा उमरिया, तहसील बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ की भूमि संख्या 7/0-7-0 व 12/1–17–10 व 16/0/15–0 व 29/0–18–8 व 106/0–6–17 व 195/0–0–10 व 232स/0–10–0 व 235/56–14–10 व 242/14–2–10 कुल 9 किता रकबा 75 बीघा 16 विस्वा ग्राम सभा उमरिया की जायदाद (मिलकियत राज्य सरकार) की सम्पत्ति राजस्व अभिलेख में वर्तमान समय वर्ष 2000-2001 में ग्राम सभा के नाम दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त गाटों का आवंटन ग्राम सभा के स्थायी मूल निवासियों को किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम उमरिया परगना महोना तहसील बक्शी का तालाब जिला लखनऊ चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है, आधार वर्ष 1395 फ० से 1400 के अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

70–श्री विश्वनाथ–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बाराबंकी तहसील रुदौली में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्यभार ग्रहण करने के आदेश

71–श्री दीप लाल भारती–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या–114 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 24-2-2001 को तहसील रुदौली में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो को जनपद बाराबंकी में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो दिनांक 24-2-2001 को निर्गत निर्देश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

72–श्री विश्वनाथ–

[माननीय सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद जौनपुर तहसील–केराकत ग्राम जमुआरी खुरखुरी में अग्निकाण्ड मे प्रभावित श्री रामफेर पुत्र राम भगत चमार को सहायता राशि प्रदान करने की मांग

73–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-6-2001 को श्री रामफेर पुत्र राम भगत चमार ग्राम जमुआरी खुरखुरी तहसील–केराकत जनपद जौनपुर का पूरा मकान अग्नि काण्ड में जल कर नष्ट हो गया है तथा उनकी पत्नी शीला देवी, पुत्री बबीता की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को सहायता राशि प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

दिनांक 7-6-2001 को कोठे पर रखी डिबरी का असावधानी के कारण गिर जाने से मकान आंशिक रूप से जला था तथा श्री राम फेर की पत्नी व पुत्री की मृत्यु हो गयी थी ।

घटना असावधानी से गिरी डिबरी के कारण घटित हुई इसलिये घटना दैवी आपदा की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः राहत निधि से धनराशि प्रदान किया जाना अनुबन्ध नहीं है ।

जनपद जौनपुर तहसील केराकत के ग्राम खुटहना–जरैला में किसानों द्वारा चक मार्गों पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

74–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत ग्राम खुटहना, जरैला में चक मार्गो को किसानों ने अपने खेतों में मिलाकर अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त से अवैध कब्जा हटाकर चक मार्गों को खाली कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा मण्डी सचिव द्वारा फर्जी तरीके से दुकान आवंटन को निरस्त किये जाने संबंधी विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा मंडी सचिव द्वारा फर्जी तरीके से दुकान आवंटन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/48677/मथुरा/2001 दिनांक 7-7-2001 निदेशक कृषि मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद्, आगरा से जांच करायी गयी । जांच में शिकायत सिद्ध नहीं पायी गयी है । प्रश्न नहीं उठता ।

76–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद सहारनपुर, पो०–नकुड़ के श्री कुंवर पाल सिंह द्वारा चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

77–श्री प्रदीप कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर चकबंदी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में श्री कुंवर पाल सिंह, निवासी कुल्हेड़ी, पो०–नकुड़, जनपद–सहारनपुर का पत्र दिनांक 14-8-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद सीतापुर विकास खण्ड ऐलिया के ग्राम कमोलिया के मिलान पुत्र संकटा का एलंगवा में भूमि के पट्टे पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये कब्जे को हटवाने की मांग

79–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के ग्राम कमोलिया के मिलान पुत्र संकटा आदि को वर्ष 1997 में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा 29-6-97 को खाता सं०–8/0.178, 34/0.239, 53/3.697, 71/0.049 ग्राम सभा कमोलिया एलंगवा में भूमि के पट्टे किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त पट्टे की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को दबंग व्यक्तियों से मुक्त कराकर आवंटियों को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा जनपद के कस्बा गोवर्धन में उप कृषि मण्डी उत्पादन समिति की स्थापना पूर्ण करने के सम्बन्ध में जानकारी

80–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मथुरा जनपद के कस्बा गोवर्धन में उप कृषि मण्डी उत्पादन समिति की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक उप मण्डी समिति की स्थापना पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा के उप मण्डी स्थल गोवर्धन के निर्माण हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1)/-17 की अधिसूचना दिनांक 25-9-2001 को निर्गत कर दी गयी है । धारा 6(1)/17 की अधिसूचना यथाशीघ्र निर्गत हो जाने के उपरान्त उपमण्डी स्थल के निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील मथुरा ग्राम आजमपुर की खसरा नं० 164 की कृषि भूमि की गर्जन से मुक्त कराये जाने का प्रकरण

81–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–48610/मथुरा/2001, दिनांक 5-7-2001 जो कि ग्राम आजमपुर की खसरा नं० 164 की कृषि भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जपनद मथुरा की तहसील मथुरा के ग्राम आजमपुर के खसरा नं० 164 क्षेत्रफल 3.625 हे० भूमि का अर्जन मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के सुनियोजित आवासीय विकास योजना हेतु किया गया है । जिसका कब्जा प्राधिकरण को दिनांक 11-2-2000 को हस्तान्तरित किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्राधिकरण का नाम दर्ज है । अतः वर्णित स्थिति में भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अनुसार अर्जित भूमि को अब अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया की ग्राम पंचायत अर्थलिया ग्रंट की आम रास्ते की अवरुद्ध भूमि को खुलवाने की मांग

82–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया की ग्राम पंचायत अर्थलिया ग्रंट की भूमि गाटा सं०–873 क्षेत्रफल 0.630 हे० भूमि पर विगत वर्ष मोहन पुत्र दुजई तथा प्रभु पुत्र दुजई ने आम रास्ता बन्द कर दीवाल खड़ी कर दी है जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आम रास्ता खुलवाये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । प्रश्नगत गाटा सं०–873 क्षेत्रफल 0.630 हे० के बजाय गाटा सं० 173 क्षेत्रफल 0.130 हे० पर आम रास्ता था, जो कि आंशिक रूप से अवरुद्ध किया गया था ।

खुलवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में स्पोर्ट्स कालेज, के छात्रों को आहार हेतु सब्जी, फल, राशन इत्यादि की आपूर्ति हेतु पृथक-पृथक टेण्डर कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

83–श्री जय प्रकाश–

क्या खेलकूद युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहन सिंह रावत गांववासी का शिकायती-पत्र दिनांक 7-1 2000 को गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में छात्रों को आहार हेतु सब्जी, फल, राशन इत्यादि की आपूर्ति हेतु पृथक-पृथक टेण्डर कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं । पत्र प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्न ही नहीं उठता ।

कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तर पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, क्रम संख्या–27 पर मेरा अतारांकित प्रश्न लगा है तीन महीने पहले प्रश्न लगा था और जबाव आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है जबकि बहुत छोटा सा सवाल है तीन महीने से सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लें ।

कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–66 तथा 51 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

अध्यक्ष जी, मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या–66 पर सवाल किया था मेरा प्रश्न है–"क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री छोटेलाल पुत्र श्री अंगूनी निवासी ग्राम नगर कर्री, थाना भीटी, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर ने अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को दिनांक 25-5-2001 को कोई प्रार्थना-पत्र अपनी खतौनी की भूमि पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिये जाने संबंधी दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, इसका जवाब दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है यह ए०डी०एम० के अपर जिला कार्यालय में अभिलेख मौजूद होंगे इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं थी जिसमें सूचना एकत्र करने की आवश्यकता थी, इस तरह से प्रश्नों को टालने का जवाब दिया जा रहा है जो रजिस्टर देखने से सूचना प्राप्त हो सकती है तो निश्चित रूप से इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन है, जो हमारे अधिकार हैं उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है इस तरह से जबाब दिये जा रहे हैं इसी तरह से मान्यवर, प्रश्न संख्या–51 है उसका भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–66 की बात कही है यह अन्तरिम उत्तर है । प्रश्न संख्या–27 का उत्तर अन्तरिम है संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नों के उत्तर जल्दी मंगा लिया करें ।

श्री कौकब हमीद–

श्रीमन्, मैंने नियम 311 में सूचना दी है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–56 मे आ गयी है । अब मं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं । आज दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओ में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्री आर्य राम शरन श्री अजय कुमार पोइया, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री रणधीर सिंह की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं । श्री प्रदीप कुमार एवं श्री कोविद कुमार अनुपस्थित हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची की दो सूचनायें ले रहे हैं । पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है यह दोनों सूचनायें भी पढ़ी हुई मानी गयीं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं श्री रामपाल, श्री विजय पाल सिंह, श्री राजीव कुमार सिंह, मेजर जगतपाल सिंह तथा श्री ददूद प्रसाद ।

सरकार की पारदर्शिता नीति के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों से सम्बन्धित पत्रों पर हुए आदेश अंकित करके न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शिता की नीति के अन्तर्गत एक तरफ जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जनता को सूचना का अधिकार दे रही है ।

फाइलों को देखने का अधिकार भी । अगस्त क्रान्ति दिवस के दिन से प्रदेश की जनता को दिया गया, सरकार निश्चय ही बधाई की पात्र है ।

वहीं दूसरी ओर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को माननीय मुख्य मंत्री जी व उनके सचिवों द्वारा पत्रों पर किये गये आदेश अंकित करके नहीं दिये जाते ।

लिखित तौर पर संज्ञान में लाने के बावजूद यह निर्णय भी किया कि स्थानान्तरण व अधिकारियों की शिकायत के प्रकरणों को छोड़कर शेष को यह अधिकार दिया जायेगा ।

वह भी लागू नहीं किया गया । खेद है कि पारदर्शिता व फाइल देखने का अधिकार जनता को जनता के कार्यों से सम्बन्धित पत्रों पर हुए आदेश अंकित करके न देना क्या विसंगति नहीं है ।

मैं इस प्रश्न का सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में प्राइमरी अध्यापकों तथा पुलिस कान्सटेबिलों के वेतनमान में पूर्व की अपेक्षा अधिक अन्तर होने के सम्बन्ध में निंयम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर्य राम शरन–

[मान्यवर, माननीय सदन के समक्ष एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी प्राइमरी अध्यापकों को सम्पूर्ण उ० प्र० के पुलिस कांसटेबिलों को आज से 28 वर्ष

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पूर्व एक रुपया के अन्तर से वेतन मिलता था जबकि आज की स्थिति में अध्यापकों एवं कांसटेबिलों के वेतन में 1500/- रुपया का अन्तर है यानि पुलिस के सिपाहियों की अपेक्षा अध्यापकों को 1500/- रुपया अधिक मिलता है जो सरकार का खुला सौतेला व्यवहार है । इस सौतेले व्यवहार से सिपाहियों में रोष व्याप्त है और साथ ही साथ मनोबल भी गिरता जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त समस्या के निदान हेतु सम्बंधित विभाग के अधिकारियों/सरकार का निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

अधिष्ठाता बेटनरी कालेज मथुरा तथा उप कुलपति चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं !

मथुरा जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1952 में वृजभूमि में श्री कृष्ण भगवान की सांस्कृतिक कार्य-कलापों क्रीड़ाओं की मर्यादाओं को प्रोत्साहन देने व घी–दूध मक्खन की ज्यादा जरूरत को देखते हुये राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र माधुरी कुंडकों कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति जिससे सम्बद्ध है जिसमें 1400 एकड़ जमीन है जिसको सिंचाई हेतु बम्बा तथा लोअर केनाल आगरा द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जिसकी लगभग 5 करोड़ की सम्पत्ति है, अधिष्ठाता बेटनरी कालेज मथुरा एवं चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के स्वयंभू–उपकुलपति द्वारा षडयंत्र के तहत भ्रष्टाचार के चलते हुये समाप्त किये जाने का निर्णय ले लिया गया है तथा कार्यरत सभी अल्पवेतन भोगी सभी कर्मचारियों को जो दैनिक मजदूर स्थानीय है को वेटनरी कालेज मथुरा में भेज दिया गया है जो धनराशि वेतन के रूप में प्राप्त होती है उसको आने-जाने मार्ग व्यय में करने के पश्चात् अवशेष कुछ नहीं बच रहा है भरण-पोषण कहां से होगा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं कर्मचारियों में तथा क्षेत्रीय जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र माधंरा कुण्ड जनपद मथुरा के नाम को मिटाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये जहां स्थित है वहां रहे सभी कर्मचारियों को कार्य कराने के साथ उसको विशेष धन एवं सुविधाओं के साथ खुशहाली हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही की जाय ।]

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम दीदामई तथा अन्य ग्रामों में जल निकासी योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[महोदय, माननीय सदन का अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सानुरोध है कि फिरोजाबाद क्षेत्र के ग्राम दीदामई उसके उपग्राम सैलई उसके उपग्राम–रामगढ़,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आसफाबाद, टापा कला–मोहम्मदपुर, गजमलपुर, नगला बरी आदि की घनी आबादी का क्षेत्रफल दो बूंद पानी पड़ने पर जल भराव का शिकार बन कर डूब जाता है । आबादी सड़कों के सहारे पर छोड़ कर भाग उठती है । जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है । नाला नाली नहीं होने के कारण आबादी भयग्रस्त रहती है और गंदगी में जीने को मजबूर हैं ।

मेरे उक्त प्रश्न पर जांच हुई और जांच में उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से जल निगम फिरोजाबाद शाखा ने मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश में उक्त ग्रामों की जल निकासी को 344 लाख रुपये की योजना बनाकर सरकार को वर्ष 2000 में प्रस्तुत की गई ।

अस्तु अनुरोध है कि 1-9-2000 को भेजी गई 344 लाख रुपये की जल निकासी की जनहित की महत्वपूर्ण योजना पर कार्यवाही कराने के निर्देश देने की कृपा करें ।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी- 1-4 तक की पदोन्नति में शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह--

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

उ० प्र० सचिवालय निजी सचिव (श्रेणी–1) (श्रेणी–4) तक की डी०पी०सी० 6-8-2001 को हुई थी जिसमें (श्रेणी–1) (श्रेणी–4) में पदोन्नति हेतु उपलब्ध कुल 32 रिक्तियों के विरुद्ध रोस्टर के अनुसार 07 पदों पर अनु० जा० के निजी सचिव (श्रेणी–1) की पदोन्नति प्रस्तावित थी । डी० पी० सी० के कुल 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय आर० के० सब्बरवाल बनाम स्टेट आफ पंजाब जे०टी० 1995 (2) सु० को० 351 को उद्धृत करते हुए कहा कि आरक्षण नियतांश पूर्ण हो जाने के पश्चात् घटित रिक्तियों पर रोस्टर लागू नहीं होना चाहिए । तत्संबंध में उत्तर प्रदेश, कार्मिक अनु०–2 के शासनादेश सं०–18/3/97–का–2/1997 दि० 26-12-97 एवं अनुवर्ती शासानदेश सं० 18/3/1997–का-2/ 1998 दि० 17-6-98 में मा० उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त उद्धृत निर्णय एवं तत्क्रम में पारित अन्य निर्णयों को प्रदेश शासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए पदोन्नति में रोस्टर के संबंध में शासन की व्यवस्था स्पष्ट कर दी गयी है ।

उपरोक्त दोनों शासनादेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक से अधिक पदों के संवर्ग पर पदोन्नति हेतु शासन द्वारा निर्गत रिक्तियां का वर्तमान रोस्टर लागू होगा । डी० पी० सी० में उद्धृत मा० उच्चतम न्यायालय के संदर्भित निर्णय का संबंध एकल पद से है जब कि निजी सचिव (श्रेणी–1) से श्रेणी–2 पर की जाने वाली पदोन्नति के मामले में 32 पद आते हैं, इस प्रकार उक्त उद्धरित निर्णय के परिपेक्ष्य में अब कोई कार्यवाही नये सिरे से किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है जबकि शासन द्वारा पूर्व में ही उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में शासनादेश जारी कर दिये गये हों । यह भी सादर सूच्य है कि प्रशासकीय विभाग के पत्रांक 2300/बीस)/ई-2–2001 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दि० 6-7-2001 को आयोजित

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डी०पी०सी० में 21 व 2 प्रतिशत के अनुसार निर्धारित 12 पदों के विरुद्ध रोस्टर प्रणाली का अनुसरण करते हुए 13 कर्मियों की प्रोन्नति के आदेश दिनांक 30-7-01 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

कदाचित आप सहमत होंगे कि शासकीय विभाग द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियों में विरोधाभाष स्पष्ट परिलक्षित प्रतीत हो रहा है । उल्लेखनीय है कि रोस्टर संख्या में कुल पदों पर लागू नहीं होगा अपितु घटित रिक्तियों पर लागू होगा ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आर० के० सब्बरवाल बनाम स्टेट आफ पंजाब के निर्णय को अब ऐसी परिस्थिति में संज्ञान में न लेते हुए शासन द्वारा जारी शासनादेशों दि० 10-10-94, 26-12-98 के अनुरूप पदोन्नति किये जाने की सरकार से मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के कतिपय ग्रामों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा न दिये जाने में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद–जौनपुर के तहसील–केराकत में ग्राम–मोजरा अति वृष्टि तथा जल प्लावन से कई मकान गिर गये हैं, अब तक कोई सहायता शासन द्वारा नहीं मिली है । तहसील–केराकत के अन्य कई ग्रामों से यह शिकायत प्राप्त है कि न ही कोई सक्षम अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेता है, न समय से मुआवजा मिलता है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद कुशीनगर में 90 में अधिक शिक्षकों को विगत डेढ़ वर्ष से वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार–

[मान्यवर, जनपद कुशी नगर में 90 से अधिक शिक्षकों को विगत लगभग डेढ़ वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है । शिक्षकों को वेतन दिये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने स्पष्ट निर्देश भी दिये हैं और यही नहीं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी समय-समय पर यथोचित निर्देश दिये गये हैं । वेतन का भुगतान न होने कारण शिक्षकों के समक्ष जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया है तथा एक तरफ जहां उनके लड़कियों की शादी धनाभाव के कारण नहीं हो पा रही है वहीं उनके बच्चों की शिक्षा एवं परिवार की चिकित्सा भी प्रभावित हो रही है । यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है । शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के संदर्भ में आदेश न दिया जाना मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है जो अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है इससे जहां शिक्षकों में रोष व्याप्त है वहीं शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है ।

अतः इसे नियम–301 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति प्रदान करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विधान सभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद नई विधान सभा गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27-9-2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक बहुत ही ज्वलन्त प्रश्न पर औचित्य के प्रश्न के रूप में आपकी व्यवस्था जानने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज सम्पूर्ण प्रदेश और कुछ अंश तक देश यह जानना चाहता है कि यह सरकार 18 अक्टूबर के पहले त्याग-पत्र देगी कि नहीं । क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के गठन के बाद से जिस दिन इसका गठन हुआ, पांच वर्ष 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है और जब पांच वर्ष पूरा हो रहा है तो उसके बाद इस सरकार को इस सम्मानित सदन को और सम्मानित सदस्य को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिये कि संविधान के किस अनुच्छेद मे या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की किस धारा में विधायक का कार्यकाल निश्चित है कि वह कितने समय के लिए निर्वाचित होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप तो विद्वान हैं । मैं आपकी हर शंका का समाधान करूंगा । मैं पहले कुछ तर्क रख दूं । मैं यथा समय प्रयास करूंगा कि आपकी शंका का समाधान हो । आज मैं इस विश्वास के साथ आया हूं कि मुझे सुनने के बाद आप अपना फैसला बदल देंगे । मान्यवर, यह लोकतन्त्र है । हम एक सम्मानित सदस्य हैं । मान्यवर यह सदन नियमों से बना है । आप तो जानते ही हैं कि यह खुद नीति निर्धारित करता है जब संकट के बादल नैतिकता पर आते हैं । मान्यवर, इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस विधान सभा का गठन 17 अक्टूबर, 1996 को हो गया था । एक तथ्य और है और इससे कोई अलग नहीं जा सकता कि इस कार्यकाल में हमने वेतन भत्ते लेना प्रारम्भ कर दिया था । यही नहीं इसके बाद हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा और विधान परिषद् के लिए विधायक के रूप में मतदान भी किया था । मैं इस औचित्य के प्रश्न के रूप में नैतिकता के नाते दुहाई दे रहा हूं कि इस विधान सभा का चुनाव करायें । मान्यवर, कितना बड़ा विरोधाभास होगा कि सदन का कार्यकाल पांच वर्ष का सम्मानित सदस्य का कार्यकाल साढ़े पांच वर्ष का रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद जी आप यह बतायें कि पहली और पांचवीं विधान सभा गठन के बाद कितने दिनों तक चली । यह पांच वर्ष के बाद तक चली है और उस समय आपकी ही सरकार थी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उस समय न तो आप अध्यक्ष थे और न मैं ही था ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा का मामला आज भी सन्दर्भित है। पांचवीं विधान सभा का मामला आज भी सन्दर्भित है। इसलिए उस पर निर्णय हो तो यह भी बताया जाए कि पहली और पांचवीं विधान सभा कब तक चली थी उस पर भी विचार होता है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसको समाप्त न किया जाय बल्कि इस बिन्दु पर विचार हो। मान्यवर, एक प्रश्न का और मैं जवाब चाहता हूं। जस्टिस रजा की खण्डपीठ में हमी"गुर जिला पंचायत के केस में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई, गठन पहले हो गया लेकिन उसकी बैठक बाद में हुई। जस्टिस रजा ने पूरे विद्वतापूर्ण निर्णय में यह कहा कि जिस दिन से गठन हुआ उस दिन से ही कार्यकाल माना जाए। मैं पूरा आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इसका सन्दर्भ दे दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

जी अध्यक्ष जी, मैं दे दूंगा। अध्यक्ष जी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह भाजपा की सरकार बड़ी नैतिकता की बातें करती है, उसकी दुहाई देती है, सिद्धान्तों की दुहाई देती है। माननीय मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं कि रामायण से यह निकाल दिया जाय– "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय पर वचन न जाई" ? मुख्य मंत्री जी तो यह चुनौती दी कि अगर विपक्ष तैयार हो तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब जब सारा विपक्ष तैयार है तो आप मैदान से क्यों हट रहे हैं ? शायद आपको इस बात का डर है कि यह समय भाजपा के लिए अनुकूल नहीं है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था कि विपक्ष जब चाहेगा तब चुनाव करा दूंगा ?

दूसरा मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 12.20 से पहले एक प्रश्न उठा दूं।

श्री अध्यक्ष–

12.20 हो गया है। 12.20 बज रहे हैं, माननीय प्रमोद जी आपके विचार जारी रहेंगे पहले यह अनुपूरक अनुदान हो जायें।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुपूरक अनुदान की मांगों के लिए विवरण का प्रस्तुतीकरण

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रतियां नहीं मिली।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

बांटी जा रही है ।

विधान सभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद नई विधान सभा गठित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार जी अपने विचार जारी रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि कोई दल दो-तिहाई बहुमत से आ जाये, तीन-चौथाई बहुमत से आ जाये या इस तरह राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति जी उसे आमंत्रित कर लें । आमंत्रित करने के बाद वह दल जो सरकार बना ले, विधान सभा न बुलायें या लोक सभा न बुलायें या बहुमत में 2-4-10 सदस्यों का अन्तर होगा तो महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति कहेंगे कि सदन बुलाकर बहुमत साबित कर लें अगर अगर बहुमत पूर्ण है तो यह शर्त नहीं लगेगी । अध्यक्ष महोदय आप सदन बुला नहीं सकते, वह बुलाया जायेगा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मंत्रि-परिषद् के अनुरोध पर अब पांच महीने तक कोई सदन न बुलाये यह मैं एक मौलिक प्रश्न, नैतिकता का प्रश्न आपके सामने उठा रहा हूं उन परिस्थितियों में क्या होगा ? एक दल जो तीन चौथाई बहुमत से आया हो, वह सरकार 5 महीने तक सदन को न बुलाये उसके बाद 5 महीने बाद सदन बुलाये तो फिर बात 5 साल 5 महीने की आ जायेगी क्योंकि सदन की बैठक 5 महीने बाद हुई थी ।

मान्यवर, ऐसी परम्परा को तो बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा । मान्यवर, हमारा दायित्व क्या है ? हमारी परम्परा क्या है, जिस समय 12वीं विधान सभा खत्म हुई, 13वीं विधान सभा के लिये अधिसूचना जारी हुई है 17 अक्टूबर, जिस समय जारी हुई उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, विधान सभा निलम्बित की गयी । उस क्षेत्र और उस क्षण के बीच में कोई क्षण आया होगा वह क्षण होगा विधान सभा के जीवन का राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये एक क्षण हो सकता है एक मिनट हो सकता है 5 मिनट हो सकता है एक क्षण का 100 वां हिस्सा पर जीवित हो गयी तेरहवीं विधान सभा । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होंगे । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं खड़े होंगे नहीं तो उनको याद आ जायेगा कि मैंने विपक्ष से कहा था कि अगर विपक्ष चाहे तो हम चुनाव कराने के लिये तैयार हैं और अगर वह कहते हैं तो हम सब कह देंगे कि हां करायें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने रामायण कभी न कभी पढ़ी होगी ही ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप नियम में ले आयें ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह नियम में सब बोल रहा हूं नियम में ऐसे ही आता है । मान्यवर, मैंने परम्परा का उल्लेख कर दिया । फिर एक परिस्थिति मैंने बतायी आपने पूछा कि सदन के विधायक का कार्यकाल निरुपित है, आपने कहा कि 5 साल निरुपित नहीं है मैं प्रतिउत्तर में आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं 6 वर्ष निरुपित है क्या कहीं साढ़े पांच वर्ष निरुपित है । कदाचित ऐसी परिस्थितियां 1976 में आयी, विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने लगा, तत्कालीन सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आयीं संविधान संशोधन हुआ 42वां संशोधन हुआ और उसके बाद मान्यवर, अगर आप देखें तो मान्यवर, 44वें संशोधन द्वारा सदन का कार्यकाल 6वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया । मान्यवर, उन्होंने लोक सभा का

कार्यकाल बढ़ाया था, उन्होंने संविधान के सैंशोधन का सहारा लिया था । यह भी संविधान के संशोधन का सहारा लें । उसका प्रस्ताव ले आयें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष दिया गया है, 6 वर्ष रखें । बेईमानी द्वारा, अनैतिक ढंग से, ऐसे ढंग से जहां मालूम हो कि सरकार का कोई भविष्य न,हो सरकार को जबरदस्ती एक एक दिन चलायें यह जनता के साथ धोखा है लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है । आप उस गरिमामय सीट पर बैठकर ऐसा न करने दें ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान का अनुच्छेद तो बता दें कि विधायक किसी निर्धारित अवधि के लिये या जनप्रतिनिधित्व कानून का बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि विधायक एक निर्धारित अवधि के लिये होता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि आप मुझे बता दें कि कहां लिखा है 6 वर्ष रहेगा, कहां लिखा है कि 4वर्ष रहेगा . निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वह 5 वर्ष के लिये कराता है यह स्पष्ट है आप भी जनता के बीच में गये होंगे सदस्य के रुप में गये होंगे कहा गया कि 5 वर्ष के लिये निर्वाचित कर दो । ये तो खुद अविश्वसनीय बन रहे हैं और पूरे सदन को बना रहे हैं । अभी हुकुम सिंह जी खड़े हो जायेंगे वह कहेंगे कि समाजवादी पार्टी इस्तीफा देकर चली गयी आप भी इस्तीफा देकर चले जाओ । प्रश्न यहां यह नहीं कि कौन इस्तीफा देगा और कौन नहीं देगा ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न सीधा यह है कि संविधान के अनुसार विधान सभा का कार्यकाल कितना है ?

श्री प्रमोद कुमार–

उसका जवाब मैंने दे दिया है । मान्यवर, इस धरती की उच्च न्यायालय ने, जस्टिस रजा की खण्डपीठ ने कह दिया है कि उसी दिन से जोड़ा जाय । वह रिकार्ड मैं आपको दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था फिर कैसे दूं ? मुझे व्यवस्था देनी है तो बिना उस निर्णय की प्रतिलिपि के कैसे व्यवस्था दे पाऊंगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो मैंने कहा है उसको सामान्यतया सच माना जाय तो यह कह दें कि यह सही नहीं है । मैंने स्पष्ट रुप से कह दिया कि नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर, मुख्य मंत्री की चुनौती के आधार पर और माननीय अध्यक्ष के अधिकार पर 5 वर्ष से अधिक चलाना अनैतिक होगा । इसके बाद राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू किया जाय । 17 अक्तूबर के बाद और यथाशीघ्र नवम्बर तक चुनाव करा लिया जाय । 17 अक्तूबर के बाद एक दिन भी इस सरकार को चलाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, अलोकतांत्रिक होगा ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के किस अनुच्छेद में विधान सभा की कार्यावधि निर्धारित है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने लिखकर दे दिया है नोटिस में ।

श्री अध्यक्ष–

नोटिस तो मेरे पास है इससे सारा सदन जानेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक दल जिसको बहुमत दो तिहाई मिला हुआ है तो वह 5 माह सदन न बुलाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको कल व्यवस्था दे दूंगा आज मैं सुरक्षित करता हूं इस शर्त पर कि आज उस निर्णय की प्रतिलिपि मुझे दे देंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं सारे सदन का संरक्षण आपके माध्यम से चाहता हूं । मान्यवर, आपके बारम्बार यह प्रश्न उपस्थित करने के पश्चात् कि संविधान की किस धारा में पेज में विधायकों के कार्यकाल का निर्धारण हुआ है, माननीय सदस्य ने उत्तर न देकर पूरे सदन को, पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का अधिकार आप किसी माननीय सदस्य को देंगे, जिससे सदन ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की जनता गुमराह हो । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप जो बिना संवैधानिक विधि से समर्थित हो ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था का उत्तर मैं नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जब निर्णय दूंगा तो उसमें दे दूंगा ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, दो बिन्दु का उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि यह प्रश्न 2 मई, 2001 को उठाया गया था । 2 मई, 2001 को लगभग यही तर्क उपस्थित किया गया था उसमें माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गयी थी यहां मैं वही रखना चाहता हूं "यह प्रकरण उच्च न्यायालय में लम्बित है इसलिए उस पर मैं कोई व्यवस्था नहीं देना चाहूंगा ।" यह आपकी व्यवस्था है, वही प्रश्न आज उठाया गया है । 2-3 बातें आपने कही हैं और आपने कृपापूर्वक प्रश्न किया, डंग साहब ने भी उठाया, किस अनुच्छेद में किसी सदस्य का कार्यकाल लिखा है, जो 172 में है, बड़ा स्पष्ट लिखा है और बार-बार दोहराना मैं नहीं चाहता । उससे ऊपर कोई किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है । दो बातें आपने कहीं, आपकी मेजारिटी है तो दो तिहाई वोटों से संविधान में संशोधन कर दीजिये और कार्यकाल बढ़ा दीजिये । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मेजारिटी के आधार पर बहुमत के आधार पर संविधान की धज्जियां जिसने उड़ाई, उसमें यह पार्टी, यह सरकार विश्वास नहीं रखती । हमारा पूरा विश्वास संविधान में है । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बार-बार मुख्य मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, ललकार की थी, उसी बात पर हम आज भी कायम हैं । संविधान में जो व्यवस्था दी है, उससे हटकर हम जाने वाले नहीं हैं । यह जो स्थिति आयी, वही अजीब स्थिति थी, विधान सभा का गठन हो गया, लेकिन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है । आखिर सत्र बुलाने की जिम्मेदारी किसकी थी ।

मैं तो परम्पराओं और मर्यादाओं और मर्यादा में विश्वास करने वाला हूं, मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहता । आपके परामर्श से जिन लोगों ने 6 महीने तक विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया, कम से कम उनकी भर्त्सना तो आपको करनी ही चाहिए थी तो अच्छा लगता । इतना बड़ा मखौल, इतनी बड़ी उपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में । विधान सभा का गठन हो जाय और विधान सभा के सदस्यों को वंचित रखा जाय, विधान सभा में आने से, बैठने से और सरकार बनाने से, तब आपने संविधान का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पालन क्यों नहीं होने दिया ? लेकिन मैं बधाई देता हूं सारे सदन को, जिन्होंने मजबूती के साथ में उन सारी परम्पराओं को जीवित रखा और मजबूर किया, उन लोगों को सत्र आहूत करने के लिए और यहां बैठने के लिए भी, इसके लिए तो आपको बधाई देनी चाहिए थी । मैं ज्यादा न कहकर केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं । आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता में भ्रम फैला है, कब कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि कितने ही स्तरों से इस बात का उत्तर दिया जा चुका है, चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है । बार-बार अध्यक्ष, चुनाव आयोग ने कहा कि जब चुनाव का समय होगा, चुनाव कराये जायेंगे । मार्च तक समय उन्होंने कहा है, उससे ज्यादा अधिकृत बयान और किसका हो सकता है ? मुख्य मंत्री ने भी कितनी बार स्पष्ट किया है कि कब चुनाव कराये जायेंगे । हम जानते हैं कि आपकी पीड़ा क्या है, पीड़ा आपकी यह है इतने क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं, जैसे पिछड़ों, दलितों, अति दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दी गयी है, बार-बार वह सन्देश जनता में जा रहा है, इसलिए बार-बार आप यह सवाल उठाते हैं । यह कहीं से भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको निरस्त किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं, वह सब पिछले 6 महीनों के हैं । इससे पहले साढ़े 4 साल तक किस मरघट पर सोये हुए थे, यह सब चुनावी घोषणायें हैं । इन्होंने कर दिया संविधान की धज्जियां उड़ाई । संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई बल्कि संविधान में संशोधन किया जाता है । यह बात उस पार्टी का संसदीय कार्य मंत्री कह रहा है जिसने सर्वोच्च न्यायालय [xxx] हलफनामा दाखिल किया हो, यह वह लोग हैं जिनका न संविधान में विश्वास है और न धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है । कहॉ गई आपकी वह ललकार, जब आपने कहा था कि विपक्ष जब चाहे, चुनाव करा ले । मुख्य मंत्री जी, हम आज कह रहे हैं, [xxx] आप चुनाव करा लें, आप अभी घोषणा करें, बोलिये ललकार कहां गई ? [xxx] आज ही चुनाव की घोषणा कर दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वह अब भी अडिग हैं तो चुनाव के लिए अगर वह भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, तो आप चुनाव की घोषणा करें । माननीय मुख्य मंत्री जी भी तैयार हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी तैयार हैं, पूरा विपक्ष भी तैयार है तो इसकी घोषणा आज सदन में हो जानी चाहिए । क्योंकि 17 अक्टूबर तक आपका निर्णय शिरोधार्य होगा, अगर आप मार्च तक मानते हैं तो हम मान लेंगे । लेकिन जो व्यवस्था की बात है, मुख्य मंत्री जी ने एक चुनौती दी थी कि जब चाहे विपक्ष चुनाव करा ले । आज विपक्ष भी तैयार है और मुख्य मंत्री जी भी तैयार हैं और जनता भी चुनाव चाहती है तो चुनाव की घोषणा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार ने अपने तर्क में, अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि हमने राज्य सभा और विधान परिषद् के निर्वाचन में भी भाग लिया था, 17 अक्टूबर के बाद । यह निर्वाचन कौन करता है, विधायक निर्वाचन करता है या विधान सभा करती है ?

श्री प्रमोद कुमार–

विधान सभा का सदस्य निर्वाचन करता है ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अगर विधान सभा निर्वाचित नहीं करती है, विधान सभा का स.... .नेर्वाचित करता है तो सदस्य के अधिकार और सभा के अधिकार में अन्तर हुआ कि नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

सदस्य, विधान सभा लिखा जाता है, सदस्य विधान सभा ने निर्वाचित किया यानि विधान सभा गठित हो गयी ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधायक को वेतन और तमाम उपलब्धियां और सुविधायें मिलती हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ?

श्री प्रमोद कुमार–

संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो है .....

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

गृह राज्य मंत्री(श्री रंगनाथ मिश्र)–

इधर सत्तापक्ष और उधर विपक्ष दिखायी पड़ रहा है लेकिन [x x x] के रुप में प्रमोद जी दिखायी पड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार––

मान्यवर, मंत्री जी का [x x x] होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द असंसदीय है, यह शब्द निकाल देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को यदि कुछ बोलना है तो वह आपकी अनुमति लेकर बोले । मान्यवर, वेतन भत्ते के लिए जो नियमावली बनी है उसमें क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

जिस दिन से सभा गठित होती है उसी दिन से माननीय सदस्य भत्ते आदि पाने के अधिकारी हो जाते हैं इसका संविधान में भी प्राविधान है । माननीय तिवारी जी की इस सूचना पर मैं अपना निर्णय कल तक के लिए सुरक्षित रखता हूं ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण शासन द्वारा प्राप्त न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय अध्यक्ष जी संविधान की बात करते हैं । आपके ही द्वारा नियम 301 की जो सूचनाएं विभागों को जाती हैं उनपर विभागों से कभी-कभी उत्तर यह आता है कि यह संभव नहीं है लेकिन कभी-कभी यह उत्तर मिलता है कि यह कार्य समय से पूरा हो गया, लेकिन मान्यवर, हकीकत यह है कि एक भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है । मैं आपके माध्यम से इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

आपकी जो नियम 301 की सूचनाएं हैं, जिन पर विभागों द्वारा उत्तर भी आया जिन पर आपको कुछ आपत्ति हो, उनका उल्लेख मुझे दे दें मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा ।

श्री जगदीश नारायण राय–

पूर्वांचल निधि के राज्य सेक्टर से जो सूचनाएं हैं उनकी जानकारी हमें उपलब्ध करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो ।

अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है जिसे मैंने निरस्त कर दिया है । चूंकि इसका विधान सभा की कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है जो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ की स्थापना को लेकर है तो यह नियम 300 में कहां से आ गई ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैंने नियम 52 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना के लिये दिनांक 7-4-2000 को चर्चा के लिये दिया था जिस पर आपकी स्वीकृति मिल गई थी, इसके अलावा दिनांक 15-5-2000 और 17-5-2000 तथा 24-5-2000 को भी दुर्भाग्यवश इस बिन्दु पर चर्चा नहीं हो पाई थी लेकिन आज चाहे पक्ष हो विपक्ष हो दोनों आन्दोलित हैं क्योंकि पूरे प्रदेश की जनभावनायें इससे जुड़ी हुई हैं । इस समय तो हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करा पाये लेकिन आज सदन बैठा है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ समय निर्धारित करके इस बिन्दु पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा की मांग अस्वीकार करता हूं ।

आपकी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आ रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिकारियों द्वारा धन कमाने तथा अनियमिततायें किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री रणवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की नीति की ओर आकृष्ट करते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं । उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिकारियों द्वारा धन कमाने

व अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के चलते जो निगम हमेशा लाभ में रहता था आज बन्दी की कगार पर आ गया है ।

श्री अध्यक्ष–

रणवीर सिंह जी आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती इसलिये इसे निरस्त करता हूं । इसे आप सुसंगत नियम में ले आइये ।

श्री रामवीर उपाध्याय को सुरक्षा हटाये जाने में उनकी जानमाल का खतरा होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री रामवीर उपाध्याय जी की है । मैंने कहा था कि व्यक्तिगत मामला है इसे नियम 51 के पहले सुन लिया जायेगा ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1995 में सिक्योरिटी-मिली थी । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने सिक्योरिटी हटा ली थी । उसके बाद 1999 में दुबारा दिया गया था , उसके बाद फिर हटा लिया गया । वर्ष 2001 के बजट के दौरान फिर आपने पीठ से निर्देश दिया था लेकिन पीठ के आदेश को नहीं माना गया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है । [xxx] सितम्बर के फस्ट वीक में गनर भी वापस ले लिया गया । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सुरक्षा दिलाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सारी बात संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, अगर सुरक्षा नहीं प्रदान की गई तो कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है । मेरा बार-बार उत्पीड़न किया जा रहा है पिछली बार पीठ से निर्देश दिया गया था उसका पालन नहीं किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई, समस्या का समाधान निकाला जायेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया गया है । कोई बात होगी तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको बुलाकर बात कर लेंगे ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं देंगे तब तक सुरक्षा नहीं होगी । मान्यवर, यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है । यह सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया गया है, उनसे परामर्श करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करूंगा ।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय, कल तक ही सत्र है । पिछली बार आप भी लगे थे, संसदीय कार्य मंत्री जी भी लगे थे, तब सुरक्षा प्राप्त हुई थी । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप यह कहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है तो यह कहा जायेगा कि वहां जाकर अवमानना की कार्यवाही करिये ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

पिछली बार 15 दिन तक आपको लगना पड़ा था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने गृह सचिव को बार-बार कहा था तब मुश्किल से सुरक्षा प्रदान की गई थी । मान्यवर, मैं आपको सारी पत्रावली दिखा चुका हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आपके आदेश की अवहेलना हो तो किससे कहें अगर हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना हो तो कन्टेम्ट आफ कोर्ट करें लेकिन आपके आदेश की अवमानना हो तो क्या करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये । मैंने सूचना पढ़ ली है और संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है । समस्या का समाधान करने के लिये विचार कर लेंगे ।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर चूंकि एक माननीय सदस्य से संबंधित मामला है और इसका संज्ञान आपको है । मैं केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को जानमाल का खतरा है और कभी भी प्राणघातक हमला हो सकता है, इसका प्रयास हो चुका है । इसी परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके अनुपालन में सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी । तो उपलब्ध कराई गई सुरक्षा को पुनः हटाने का औचित्य क्या है ?

इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार [xxx]

श्री अध्यक्ष–

सरकार की क्या दुश्मनी है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वह इस मामले को गंभीरता से लें जिससे उन पर खतरा न आ सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रामवीर जी की सूचना मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ला दी है । उनकी समस्या का समाधान करने के लिये विचार-विमर्श और परामर्श हो जायेगा । यह होने तो दीजिये । आज प्रातः आपने सूचना दी है आप चाहते हैं कि तुरन्त आदेश हो जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, पिछली बार 15 दिन तक मैंने प्रयास किया था। तब एक गनर प्राप्त हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रयास सफल हो हुआ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

कल तक ही सत्र है; कल के बाद किससे कहेंगे ?

उ०प्र० राज्य पिछड़ा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ०प्र० अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य; स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ०प्र० महर्षि सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ०प्र० महर्षि सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ०प्र० जगद्गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जगद्गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ०प्र० राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2001

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ०प्र० राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

सदन के पटल पर रखे गये अध्यादेश को उसी दिन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पारण कराये जाने पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 120 (2) का उल्लंघन तथा नियम 125 के अन्तर्गत तद्विषयक विधेयक की प्रति सदन के पटल पर तथा विधान पुस्तकालय में न रखी जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

* श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आप नियमावली का नियम 120(2) देखने की कृपा करें। मान्यवर, इसमें है कि तदुपरान्त कोई भी सदस्य तीन दिन की सूचना देकर अध्यादेश का अनुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और यदि ऐसा संकल्प स्वीकृत हो जाय तो वह परिषद् के पास सहमति के लिये भेज दिया जायेगा। मान्यवर माननीय सदस्यों का यह अधिकार है जो अध्यादेश प्रस्तुत हो उस पर तीन दिन पूर्व वह अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। आज यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जा रहा है और आज ही यह विधेयक के रूप में प्रस्तुत होगा और आज ही विचार और पारण होगा। इस पर कब हम अपना संकल्प देंगे और कब हम संशोधन देंगे। मान्यवर, जो हम लोगों का अधिकार है उस पर आप अपना ब्रह्मास्त्र न चलावें। नियमावली में यह जरूर है कि अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। यह नई परिपाटी न शुरू होने पाये यह माननीय सदस्यों का अधिकार है। कल तक ही हाउस है इसलिये आज हम संशोधन रखें। कल की कार्य-सूची में यह शामिल हो सकता है और कल इसका विचार और पारण रख दिया जाय।

सत्र छोटा है विधेयक ऐसा आ रहा है जिस पर बहुत सारे सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं ताकि एक अच्छा अधिनियम बन सके, इसमें सबके विचार सम्मिलित हो सकें। मैं चाहूंगा कि इस पर आप व्यवस्था देते हुये व नियमावली के नियम 125 को भी देख लें इसमें व्यवस्था है विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हों और गोपनीय न हों सदन के पटल पर रख दी जायं। यह विधेयक इस पर आधारित है। सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के बारे मे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इस समिति की रिपोर्ट विधान सभा के पुस्तकालय में भी उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह हमारा अधिकार है कि पहले विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाए व उसका हम अध्ययन कर लें, और अपने अच्छे सुझावों से सरकार को अवगत करा सके, हो सकता है कि सरकार हमारे विचारों से सहमत हो मैं चाहूंगा कि नियमावली को ध्यान में रखकर सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचार के उपरान्त ही आप इस पर अपनी कोई व्यवस्था देने का कार्य करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कल ही सारे अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाने थे लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी घटना घट गई जिस कारण यह कार्य नहीं किया गया । इसी अपेक्षा में यह कल रखे जाने थे कि सदस्यगण उसे समझ सकें व तैयारी करके अपनी बात रख सकें लेकिन ऐसी अपरिहार्य स्थिति पैदा हुई जिससे कल यह रखना संभव नहीं था हम भी इस बात से प्रसन्न नहीं है । हम भी चाहते थे कि यह पहले से आ जाना चाहिए था लेकिन हमारी मजबूरी है, विवशता है श्री वर्मा जी विद्वान सदस्य हैं वह सारी चीजों को समझते हैं अगर और कोई सदस्य कहता तो बात समझ में आती आपको तो सारी बातों की जानकारी है । जब बोलेंगे तो हम सुनेंगे, जो सुझाव होगें उनका भी स्वागत करेगे ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, कोई भी सदस्य मंत्रि-परिषद् का भी हो सकता है जब नियमावली में व्यवस्था है विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति सरकार का यह दायित्व है कि सदन के पटल पर रखे । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है ? सारे डाकूमेंट सदन के पटल पर रखने में संसदीय कार्य मंत्री जी को क्या दिक्कत है ? संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति गठित हुई उन्हीं की रिपोर्ट है । सदन के पटल पर रखने से हम जैसे अल्पज्ञ को उससे कुछ ग्रहण करने का अवसर मिलेगा । सदन नियमावली और संविधान से चलता है । इसकी परम्पराओं को अगर हम मजबूत न कर सकें तो कम से कम जो स्थापित हैं उनका पालन तो कर सकें । चूंकि यह सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया इसलिए आपने मेरा इस संबंध में संकल्प कैंसिल कर दिया व कार्य सूची में नहीं आ सका । मैं चाहता हूं न्याय समिति की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रख दें जिससे उसको पढ़कर कोई जानकारी प्राप्त कर सके दूसरे कल इस पर सम्यक् विचार हो । इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा । विचार करने से यह एक अच्छा अधिनियम बन सकेगा । मैं चाहूंगा कि सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कोई व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बी० आर० वर्मा ने नियम, नियमावली उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 120(2)के अन्तर्गत और नियम–125 के अन्तर्गत दो व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं । पहली व्यवस्था का प्रश्न अध्यादेश के सदन के पटल पर रखने से संबंधित है । उप नियम (2) के अनुसार कोई भी सदस्य अध्यादेश के सदन के पटल पर रखे जाने के बाद तीन दिन की सूचना देकर अध्यादेश का अनुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकता है । कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण से आज ही यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखा गया है और आज ही आज की कार्य–सूची के मद संख्या–32 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरः स्थापित किया जायेगा । यह ठीक है कि श्री वर्मा का कथन सही है कि माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि अध्यादेश के सदन के पटल पर रखने के पश्चात् तीन दिन की सूचना देकर अध्यादेश के अनुमोदन करने का अधिकार प्राप्त है । लेकिन चूंकि विशेष परिस्थिति में आज ही इसी अध्यादेश पर आधारित विधेयक भी सदन में पुनः स्थापित हो रहा है इसलिये मैं समझता हूं कि जिस आधार पर अननुमोदित करने का संकल्प वे प्रस्तुत कर सकते हैं उसी आधार पर इस विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

जहां तक नियम–125 पर आधारित आपत्ति है, निश्चित रुप से यह माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वे मांग करें ऐसे पत्र की प्रतिलिपि की, जिस पर विधेयक आधारित होता है और जो गोपनीय न हो, सदन के पटल पर रखा जाय । कल दिनांक 26 सितम्बर को सदन की कार्यवाही इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि हमारे एक वर्तमान विधायक जी का निधन हो गया था । मैं समझता हूं कि विशेष

परिस्थिति में ही आज इस अध्यादेश को पटल पर रखा जाना और इस विधेयक का पुरः स्थापना पारण आदि आज की कार्य-सूची में रखा गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में इस प्रकार की आपत्ति न आये तो अच्छा है । आज जिस पत्र आदि के ऊपर या जिन पत्रों के ऊपर या रिपोर्ट के ऊपर संदर्भित विधेयक आधारित है वह आपके पास सदन में उपस्थित रहे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये, तो अच्छा है । हो सके तो उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये उपलब्ध करा दी जाय नहीं तो अपने पास जरुर रखे ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं सुनिश्चित करूंगा कि एक घंटे के भीतर इसकी दो प्रतियां पुस्तकालय में चली जाय और एक मेरे पास उपलब्ध रहेगी ।

उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन, सिविल उत्तर प्रदेश सरकार †

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन, सिविल, उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत, सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996 तथा वर्ष 1997†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996 तथा वर्ष 1997 को, लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(7) के अधीन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त–उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश जगद्गुरू राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 जून, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 जून, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 जून, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 मई, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 मई, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 जून, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारवां अधिनियम बन गया।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 जून, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 जून, 2001 की बैठक में पारित

किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2000-2001) का चौतीसवां प्रतिवेदन †

श्री मस्तराम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2000-2001) का चौतीसवां प्रतिवेदन जो ग्राम–अहमदपुर-फुलवरिया, तहसील–भदोही, जनपद संत रविदासनगर के 82 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को ''भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' द्वारा शासनादेशों के विरुद्ध अधिग्रहीत कर कब्जा करने से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) उक्त समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन †

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) उक्त समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2001 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2001 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

सितम्बर, 2001

27 गुरुवार 12.20 बजे अपराह्न

1—वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

† छापे नहीं गये ।

2—औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरः स्थापन आदि, यदि कोई हों ।

3—संगत नियमों को शिथिल करते हुये निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001

(ग) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001

(घ) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001

(ङ) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(च) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

(छ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001

(4.00 बजे अपराह्न)

28 शुक्रवार

1—वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2—विधायी कार्य ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना सदन को देनी है–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–279 के उप नियम (5) के अन्तर्गत मुझे सदन को यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश

विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने सदन में अपने स्थान का त्याग कर दिया है जिनके त्याग-पत्र मैंने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 190 के खण्ड (3) के उप खण्ड (ख) सपठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 279 के उप नियम (2) के अन्तर्गत स्वीकार कर लिए हैं ।

क्र०सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र संख्या, नाम एवं जनपद
1	2	3
1	श्री धनीराम वर्मा	307–विधूना, औरैया
2	कुंवर रेवती रमण सिंह	268–करछना, इलाहाबाद
3	श्री अफजाल अहमद	254–जौनपुर, जौनपुर
4	श्री अनिल कुमार यादव	338–करहल, मैनपुरी
5	श्री अब्दुल कलाम	176–मेंहदावल, संत कबीरनगर
6	श्री अब्दुल कलाम	243–वाराणसी उत्तरी, वाराणसी
7	श्री अम्बिका चौधरी	228–कोपाचीट, बलिया
8	श्री अरविन्द गिरि	68–हैदराबाद, खीरी
9	श्री अरुणवीर सिंह	147–फखरपुर, बहराइच
10	श्री अवधेश प्रसाद	137–सोहावल, फैजाबाद
11	श्री अशफाक अहमद	51–बरेली कैंट, बरेली
12	श्री आलमबदी	212–निजामाबाद, आजमगढ़
13	श्री इक़बाल महमूद	28–सम्भल, मुरादाबाद
14	श्री उदयराज यादव	97–पुरवा, उन्नाव
15	श्री उमाकान्त यादव	257–खुटहन, जौनपुर
16	श्रीमती उर्मिला यादव	341–घिरौर, मैनपुरी
17	श्री ओमकार सिंह	42–सहसवान, बदायूं
18	श्री काशीराम	39–शाहाबाद, रामपुर
19	श्री कैलाश यादव	232–जमानियां, गाजीपुर
20	डा० कौशल किशोर	70–लखीमपुर, लखीमपुर
21	श्री गोपाल कृष्ण	60–पूरनपुर, पीलीभीत
22	श्री गौरी शंकर एडवोकेट	99–मलिहाबाद, लखनऊ
23	श्री चन्द्रपाल सिंह	331–गरौंठा, झांसी
24	श्री छोटे लाल गंगवार	53–नवाबगंज, बरेली
25	श्री छोटे सिंह यादव	310–छिबरामऊ, कन्नौज
26	श्री जगदीश सिंह राणा	419–मुजफ्फराबाद, सहारनपुर

1	2	3
27	श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी	311–कमालगंज, फर्रुखाबाद
28	श्री जोखूलाल यादव	272–प्रतापपुर, इलाहाबाद
29	श्री ज्वाला प्रसाद यादव	259–मछलीशहर, जौनपुर
30	श्री तौफीक अहमद	170–डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर
31	श्री दिलीप कुमार	148–महेसी, बहराइच
32	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	211–आजमगढ़, आजमगढ़
33	डा० धर्मज्ञ मिश्र	91–मल्लावां, हरदोई
34	श्री नन्दराम	50–फरीदपुर, बरेली
35	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी	386–सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर
36	श्री प्रदीप कुमार यादव	306–भरथना, इटावा
37	श्री प्रेमपाल सिंह यादव	47–दातागंज, बदायूं
38	श्री प्रभू नारायण सिंह यादव	237–धानापुर, वाराणसी
39	श्री ब्रजेन्द्र पाल सिंह	29–बहजोई, मुरादाबाद
40	श्री भीम प्रसाद सोनकर	132–जहांगीरगंज, अम्बेडकरनगर
41	श्री भोनूराम सोनकर	235–सादात, गाजीपुर
42	श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू	74–बेहटा, सीतापुर
43	श्री मुश्ताक सोलंकी	287–आर्यनगर, कानपुर
44	श्री मूलचन्द	18–धामपुर, बिजनौर
45	श्री योगेन्द्र कुमार	40–बिसौली, बदायूं
46	श्री रामकुमार एडवोकेट	94–उन्नाव, उन्नाव
47	श्री राधेश्याम जायसवाल	79–सीतापुर, सीतापुर
48	श्री रामतेज यादव एडवोकेट	146–कैसरगंज, बहराइच
49	श्री राम पाल सिंह	160–मुजेहना, गोण्डा
50	श्री राम विशुन आजाद	159–मनकापुर, गोण्डा
51	श्री रामवीर सिंह	340–जसराना, फिरोजाबाद
52	श्री रामाधार सिंह	323–राठ, हमीरपुर
53	श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि	337–किशनी, मैनपुरी
54	श्री रामेश्वर सिंह यादव	343–अलीगंज, एटा
55	चौ० रिफाकत हुसैन	26–हसनपुर, ज्योतिबाफूले नगर
56	डा० वकार अहमद शाह	152–बहराइच, बहराइच

1	2	3
57	श्री वसीम अहमद	210–गोपालपुर, आजमगढ़
58	श्रीमती विजमा यादव	270–झूंसी, इलाहाबाद
59	श्री विश्वनाथ	199–फाजिलनगर, पडरौना
60	श्री शरदवीर सिंह	64–जलालाबाद, शाहजहांपुर
61	श्री शिवपाल सिंह यादव	305–जसवन्त नगर, इटावा
62	श्री शिशुपाल सिंह यादव	348–एटा, एटा
63	श्री श्याम किशोर यादव	105–सरोजनीनगर, लखनऊ
64	श्री श्याम लाल रावत	77–सिधौली, सीतापुर
65	श्री श्रीराम यादव	255–रारी, जौनपुर
66	श्री संजय सिंह	407–मोरना, मुजफ्फरनगर
67	श्री सत्य प्रकाश सोनकर	239–चकिया, चन्दौली
68	श्रीमती सुखदेवी वर्मा	303–लखना, इटावा
69	श्री सौलत अली एडवोकेट	34–मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद
70	श्री हरदेव सिंह	144–फतेहपुर, बाराबंकी
71	श्री मोती लाल पैलवी	69–पैला, खीरी
72	श्री राम रतन यादव	126–जयसिंहपुर, सुल्तानपुर
73	श्री राम खिलाड़ी	41–गुन्नौर, बदायूं
74	श्री हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी	261–राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
75	श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर	204–भाटपार रानी, देवरिया
76	श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी	172–शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर
77	श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह	161–गोण्डा, गोण्डा
78	श्री बाबू खां	89–शाहाबाद, हरदोई
79	श्री राम प्यारे सिंह	209–सगड़ी, आजमगढ़
80	श्री मानिक चन्द यादव	342–मैनपुरी, मैनपुरी
81	डा० अशोक बाजपेयी	88–पिहानी, हरदोई
82	श्री सीताराम निषाद	135–बीकापुर, फैजाबाद
83	श्री सुधाकर सिंह	207–नत्थूपुर, मऊ
84	श्री राधेश्याम सिंह	195–रामकोला, पडरौना
85	श्री विक्रमाजीत मौर्य	274–नवाबगंज, इलाहाबाद
86	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	314–मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद

1	2	3
87	श्री राम स्वरूप सिंह	21–नजीबाबाद, बिजनौर
88	श्री चन्द्रेश पासवान	186–मानीराम, गोरखपुर
89	श्री शब्बीर अहमद	150–चर्दा, बहराइच
90	श्री राजेन्द्र यादव	233–गाजीपुर, गाजीपुर
91	श्री जगत सिंह	412–थाना भवन, मुजफ्फरनगर
92	श्री राम कृपाल	267–मेजा, इलाहाबाद
93	श्री राम चन्द्र यादव	136–मिल्कीपुर, फैजाबाद
94	श्री रामजग	216–मेंहनगर, आजमगढ़
95	श्री विजय सिंह	260–दुद्धी, सोनभद्र
96	श्री अफजाल अंसारी	230–मुहम्मदाबाद, गाजीपुर
97	श्रीमती गौरी देवी	182–कौड़ी राम, गोरखपुर
98	श्री विनोद मणि	189–फरेन्दा, महाराजगंज
99	श्री ओम प्रकाश गुप्त	81–मिश्रिख, सीतापुर

तद्नुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपर्युक्त त्याग-पत्रों के फलस्वरूप 99 स्थान रिक्त हो गये जिनसे संबंधित अधिसूचनाएं विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 17, 18, 19, 20, 21, 24 व 26 सितम्बर, 2001 को जारी की जा चुकी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस मद में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 †

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुमति मांगती हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करती हूं ।

नोट :– † दिनांक 19-10-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(इस समय 01 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 †

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 †

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नोट :– † दिनांक 19-10-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 †

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 †

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण, (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण), (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 †

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट :– † दिनांक 19-10-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में व्याप्त सूखे की स्थिति तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(व्यवधान)

यहां बहुत माननीय सदस्य हैं इसलिये मैंने कुछ माननीय सदस्यों को ही बोलने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

मैंने दो सूचनाओं के बारे में कहा है । माननीय सदस्य थोड़े समय में ही अपने विचारों को रखें ।

(व्यवधान–

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बाढ़ से संबंधित सूचना मेरी भी है इस पर आप बता दें कि किस-किस का नाम है ।

श्री अधिष्ठाता–

जितनी सूचनायें मेरे पास आयी हैं इसमें जो 5 सूचना है उनमें प्रत्येक माननीय सदस्य को ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दूंगा, निश्चित रहें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जिनकी सूचनायें आयी हैं उनके नाम बता दें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बाढ़ और सूखा की सूचनाओं को एक साथ कर दिया गया है, यह अलग-अलग होनी चाहिये । कहीं सूखा की स्थिति है तो कहीं बाढ़ की स्थिति है ।

श्री अधिष्ठाता–

दोनों ही जनजीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं । मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरी एक बात सुनने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने एक माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

अच्छा आप बैठें, मैं सबके नाम पढ़कर सुना देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सूखा और बाढ़ दोनों विरोधाभासी हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि सूखे को अलग सुन लें और बाढ़ को अलग सुन लें और इसमे कोई कठिनाई तो है नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बाढ़ के बारे में सूचना दें । आप बाढ़ के बारे मे बोल लें । अलग-अलग सुनने में कौन से दर्द की अभिव्यक्ति अलग हो जायेगी ! मैं नाम पढ़े दे रहा हूं जिनकी सूचना आयी है ।

श्री अरिमर्दन सिंह, श्री ददू प्रसाद, श्री श्रीराम पाल, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम ललित चौधरी जी की सूचना है ।

श्री ददू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रदेश की एक महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया । इस समय हमारे बुन्देलखण्ड में लगभग डेढ़ माह से वारिस नहीं हुई है जिसके कारण किसान और मजदूर दोनों में त्राहि-त्राहि मची हुई है । फसल सूख गई है, खरीफ की फसल सूख रही है और आगे की भी जो स्थिति है मानसून नहीं बन रहा है आगे वारिस होने की सम्भावना नजर नहीं आती है । हमारा पूरा बुन्देलखण्ड गतवर्ष सूखे की जबरदस्त मार झेल चुका है और गतवर्ष इसी विधान सभा में जब यह प्रश्न लाया गया था तो शासन ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया था मैं कहना चाहता हूं पुनः शासन से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाय केवल घोषित करने से जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है वहां पर वसूली स्थगित की जाय और लगान माफ की जाय । वहां पर मजदूरों के पास, किसानों के पास कोई काम नहीं है जो उसने बीज खरीदकर खेत में डाला था वह फसल सूखी जा रही है उसका भविष्य अंधकार में है इसलिये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बुन्देलखण्ड में रोजगारपरक विकास की योजनायें चलाई जायें ताकि मजदूरों को किसानों को काम का अवसर मिल सके । लोग बम्बई, सूरत, दिल्ली में काम की तलाश में जाने के लिये मजबूर हैं वहां पर भी उनको काम नहीं मिलता है । अगर ऐसी स्थिति बनी रही और शासन ने ध्यान नहीं दिया तो विकराल अकाल की समस्या खड़ी हो जायेगी । भगवान न करें लेकिन कुछ मौते भी हो सकती हैं ।

बुन्देलखण्ड में पिछले दिनों में भी इस प्रकार की समस्या पैदा हुई थी पिछले वर्ष भी बुन्देलखण्ड को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था लेकिन मैं कहता हू कि वहां हैण्डपम्प लगाने से कुछ नहीं होगा पानी की उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि रोजगार की है । पानी तो हम कुएं से निकाल लेंगे लेकिन हमारी रोटी की समस्या सबसे बड़ी है क्योंकि किसान और मजदूर के पास काम नहीं है इसलिये मैं कहता हूं कि रोजगार परक विकास की योजनायें शुरू की जाये जिससे लोगों को काम मिले काम के बदले खाद्यान्न योजना हो, यहां के लिये विशेष पैकेज घोषित करें बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाय । यह महत्वपूर्ण विषय है अविलम्बनीय और लोकमहत्व का है । इसलिये इस पर बल देते हुये सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जो भीषण त्रासदी अभी डेढ़ माह से पानी न बरसने के कारण पैदा हो गई है, इतनी भयंकर स्थिति वहां हो गई है कि ज्वार, बाजरा, उरद, मूंग, धान सभी सूखने की स्थिति में पहुंच गया है और यह स्थिति हो गई है कि घास सूख गई है मवेशियों तक को चरने के लिये हरा चारा नहीं है ऐसी परिस्थितियों में रवी की फसल के दौरान जब पानी पूर्व में नहीं बरसा था तो सरकार की ओर से बुन्देलखण्ड के जिलों को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किया गया था और इसके बाद यह क्षेत्र सूखे की मार से उबर नहीं पाया कि अब इस बार फिर खरीफ की फसल के दौरान फिर वही परिस्थितियां पैदा हो गई । इस सूखे की दोहरी मार से यह स्थिति आ गई है कि बुन्देलखण्ड के जनपद जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर का आदमी कोई बम्बई भाग रहा है, कोई गुजरात भाग रहा है, कोई कानपुर तो कोई दिल्ली भाग रहा है । अगर तुरन्त राज्य सरकार की ओर से कोई राहत कार्य शुरू नहीं होते हैं, काम के बदले अनाज की कोई योजना शुरू नहीं होती है, हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती है तो वहां बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जायेगी । बुन्देलखण्ड का इलाका वैसे ही डाकूग्रस्त क्षेत्र है, डकैती, लूट के कारण यह क्षेत्र वैसे ही तबाही के कगार पर है और उस पर से प्रकृति की इस मार से वहां का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है । लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं । पिछली बार रवी की फसल के दौरान सरकार की ओर से 53 लाख रुपये ट्यूबबेलों के उर्जीकरण के लिये दिया गया था, जनपद में वह पैसा गया भी, लेकिन जनपद के ऊर्जा विभाग ने और ट्यूबबेल विभाग ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और 10-15 ट्यूबबेलों का ऊर्जीकरण का पैसा लिया, बाकी पैसा आज भी जिले में पड़ा हुआ है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार की ओर से जनपद के अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाय कि वह बाकी पैसे का उपयोग कर वहां के नलकूपों का ऊर्जीकरण कर उन्हें चालू करें वहां ट्यूबबेलों की लाइनें टूटी हुई हैं, नहरों में सिल्ट सफाई हुई नहीं है, स्टेट ट्यूबबेलों की स्थिति यह है कि मात्र 25 प्रतिशत ट्यूबबेल चल रहे हैं, शेष 75 प्रतिशत बन्द पड़े हैं । नहरों में पानी पहुंच नहीं रहा है । इस प्रकार घोर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर सदन के सारे कार्य रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखे की भयानक स्थिति है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल, मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी और फैजाबाद इन सारे मंडलों की स्थिति आज भयानक बन गई है । इन मंडलों में पिछले 10 वर्षों में जितना पानी बरसा था, उससे भी नीचे जाकर इस बार बरसात हुई है । इसका नतीजा यह हुआ है कि रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है । बाजरे की फसल है, उसमें अभी बाल भी नहीं निकली है और फसल सूख गई है । इसी प्रकार ज्वार की फसल, मक्का की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई है । श्रीमन् धान भी दिखाई नहीं दे रहा है । मक्का, ज्वार रहित दलहनी तथा तिलहनी फसलें सब की सब सूखे की मार के कारण बरबाद हो गई हैं । हमारे फिरोजाबाद जिले की हालत अलग है । हमारे क्षेत्र में नहर का कोई रजबहा नहीं है । सरकारी नलकूप जो हैं, उनमें पानी का जलस्तर काफी नीचा होने के कारण वह भी उपयोगी नहीं है । इसके अलावा निजी नलकूपों के लिये डार्क एरिया घोषित होने के कारण उनका भी जलस्तर निरन्तर घटता जा रहा है । आज स्थिति यह आ गई है कि निजी नलकूपों पर बिजली पहुंचती नहीं है । यह बटन माननीय मुख्य मंत्री के हाथ में है । मेरा अनुरोध है कि इस सूखे से निपटने के लिये और किसान को राहत देने के लिये कम से कम 20 घण्टे तो बिजली का बटन चलता रहे, तब तो किसान कुछ पैदा कर सकेगा अन्यथा भयानक भुखमरी की स्थिति आने वाली है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा अभी लोगों ने सरसों बोना शुरू किया, सरसों बोते ही मर गयी । अगली फसल के लिए गेहूं के बोने के लिए हमें सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला नहीं है ।

जमुना कैनाल आगरा में भी आयेगी, हरियाणा छोड़ेगा तो । आज लोगों के सामने खाने की दिक्कत पैदा हो रही है । इस इलाके में भयंकर सूखे के कारण लोगों को एक टाइम भोजन करना मुश्किल हो रहा है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा । एक बड़ी बीमारी चारे में पैदा हो गयी है, आधा सूखा और आधा हरा । जहां पर ज्वार और बाजरा है जानवरों को खिलाते हैं उनके पेट फूल जाते हैं, उनके दस्त होने लगते हैं और वे मर जाते हैं । इस चारे को किस प्रकार से खिलाया जाए । किस प्रकार से इन चारे वाली फसलों को कीड़ों से बचाया जाए इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वहां पर डाक्टर को भेजा जाए । मान्यवर, अभी 3 गांवों में 20 भैंसे मर चुकी हैं । अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सूखे के कारण वहां स्थिति बड़ी भयंकर हो गयी है । हम चाहते हैं कि जहां पर बिजली है, वहां बिजली 20 घण्टे तत्काल उपलब्ध करायी जाए और आग्रह करना चाहूंगा कि जो नुकसान हो गया है उसके लिए कुछ राहत के रूप में भी दिया जाए । मैं अगली बात कहना चाहूंगा ।

मान्यवर, वसूली तो स्थगित कर दी जाती है लेकिन किसान पर उसका ब्याज चढ़ता रहता है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन पर जो ऋण है, उस पर जो ब्याज है, उसको माफ किया जाए और बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को मदद मिल सके और उन्हें बीज और रसायन जो उपलब्ध कराया जाए उन पर उन्हें रियायत दी जाए ।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां सरकारी नलकूप हैं और रजबहे हैं उन्हें तत्काल चालू किया जाये ताकि जो फसल बची है उसकी सिंचाई हो सके और आगे की फसल के लिये पलेवा का काम हो सके । इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के बदले काम की योजना चालू की जाये और भूमि संरक्षण की इकाइयों को हमारे इलाके में काम करने के लिये आदेशित किया जाये । मेरा अनुरोध है कि ऐसी भीषण परिस्थिति से निबटने के लिये तत्काल कदम उठाया जाये । यह अति महत्वपूर्ण मामला है, अविलम्बनीय है इसलिये सदन के सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा कराने की अनुज्ञा प्रदान करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड के लोग सूखा की बात कर रहे हैं, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आयी है । इस बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गये हैं वे गांव छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ा । सितम्बर के पहले सप्ताह में आई इस बाढ़ से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ और फसलें नष्ट हुई । मान्यवर, मैं अम्बेडकर नगर जनपद के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टाण्डा और कटेहरी में भयंकर बाढ़ आई । यह बाढ़ जो आई, सिंचाई विभाग के उपेक्षापूर्ण कार्यों की वजह से आई । सिंचाई विभाग की गलतियों के कारण यह बाढ़ आई । जो बरसात का पानी आया उसे थिरुआ नाले में बहाने का काम किया गया, जो कौसरा रजबहा है, इसके अलावा सिंचाई खण्ड शारदा सहायक की दिशा मोड़कर थिरुआ नाले में पहुंचाने का काम किया गया । सफाई न होने के कारण इसने बड़ी नदी का रूप ले लिया और इसके फलस्वरूप हजारों एकड़ की फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं । टाण्डा-अकबरपुर मार्ग जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, लुम्बिनी दुद्धी मार्ग कहलाता है, करीब 10 दिन तक आवागमन के लिये ठप्प हो गया ।

मान्यवर, इस तरह की भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण निश्चित रूप से तमाम घर गिरे, लेकिन शासन स्तर पर वहां पर आज भी किसी तरह का राहत कार्य नहीं कराया गया । मान्यवर, थिरुआ नाले की सफाई भी नहीं हो पाई है । मान्यवर, जाने के उस थिरुआ नाले पर तीन मार्ग पड़ते हैं–टाण्डा कटेहरी मार्ग, टाण्डा-अकबरपुर मार्ग, अकबरपुर-इक्तिफातगंज मार्ग और पर जो तीन पुल बने हैं उनका साइज बहुत कम है जिसके कारण उसमें पानी पास नहीं हो पाता है जिसके कारण बाढ़ ने और विकराल रूप धारण कर लिया है । गांव के कई लोगों ने जुटकर उसकी सफाई की लेकिन उसके बावजूद भी करीब 10 दिनों तक पूरा गांव पानी में डूबा रहा जिससे करीब 10-15 गांवों में जैसे-देईपुर हैं, चिनगी,

मड़सारी, जगन्नाथपुर, भारीडीहा, धूरनपुर, पिपरा, मोहम्मदी, अमेदा है, चन्दौली है, चन्दनपुर आदि में जबरदस्त पानी भरा हुआ है । इस तरह मान्यवर, दर्जनों गांवों की सम्पूर्ण फसल पूरी तरह नष्ट हो गई । मान्यवर, आज उनके सामने एक बहुत ही भयंकर समस्या आ गई है । आज उनके परिवारजनों तथा मवेशियों को कुछ भी खाने पीने को उपलब्ध नहीं है और उस बाढ़ के जाने के बाद अनेकों रोगों के फैलने की स्थिति बनी है, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस अविलम्बनीय तत्कालीन सवाल पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री·जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 21 जनपद जो ज्यादातर पूर्वांचल के हैं, बाढ़ की त्रासदी और उसकी तबाही से आज भी वहां का जनमानस उद्वेलित है, आज भी वहां सैकड़ों गांव के लोग अपने परिवार के साथ, मवेशियों के साथ अपने गांव को छोड़कर बन्धों पर जीवन बसर कर रहे हैं और मैंने स्वयं वहां जाकर यह सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसे कोई कार्य-स्थगन का विषय या कोई आलोचना का विषय न बनायें । मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां प्रशासन उदासीनता बरत रहा है । मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक मेरी बात सुनें । यह शासन की तत्परता होगी कि बाढ़ में कोई शिथिलता न बरती जाय और अगर बाढ़ राहत कार्य में कोई शिथिलता बरती जायेगी तो निश्चित रूप से दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी । स्वयं मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रदेशों में आपदा राहत निधि में 245 करोड़ 65 लाख रुपया है जिसमें हमने जनपदों को 15 करोड़ 16 लाख रुपया आवंटित कर दिया है । संबंधित विभागों को हमनें 73 करोड़ सात लाख रुपये आवंटित कर दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार यह कहे कि बाढ़ राहत कार्यों के लिये धन की या अन्य कोई कमी नहीं है । मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन वास्तविकता क्या है ? यह मैं जानना चाहता हूं । जो आपका आकड़ा है कि 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 266 है । पशु 312 मरे हैं । मान्यवर, पिछले साल जो बाढ़ आयी थी उसमें 940 गांव मैरुन्ड हुये थे । इस बार 954 गांव मैरुण्ड हैं यह रिलीफ कमिश्नर कार्यालय की सूचना है । इस बार पिछली बार से ज्यादा जलमग्न गांव हैं । माननीय सिंचाई मंत्री जी का वक्तव्य आ गया कि पूर्वांचल में बाढ़ नहीं है बल्कि अतिवृष्टि और जलजमाव है जिसके कारण अधिकारियों में निरंकुशता आ गई । बस्ती और गोरखपुर मण्डल सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं बस्ती जनपद के बारे में शासन को जो सूचना दिया है उसमें सिद्धार्थनगर का ही उल्लेख करें पिछले एक महीने से सारे समाचार-पत्र वहां की भयावह बाढ़ से भरे पड़े हैं जबकि बस्ती में 5 गांव दिखाया गया है और एक गांव मैरुण्ड हुआ है और 138 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है । यह रिलीफ कमिश्नर के कार्यालय से मालूम किया है । जबकि मकान क्षतिग्रस्त नहीं दिखाया गया है । आप सब जानते हैं कि बाढ़ से नहीं तो अतिवृष्टि से हर गांव में 4-6 मकान पूर्णतया और 4-6 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं । जबकि इसके बारे में पूरे बस्ती में सूचना शून्य है ।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दिया जाये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । यह कहा जा रहा है कि पैसे की कमी नहीं है । वास्तविकता धरातल पर अगर देखा जाय तो सिद्धार्थनगर सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है । गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर जनपद भी प्रभावित रहे हैं । सिद्धार्थनगर जनपद में अहेतुक सहायता बांट दिये हैं । बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर में एक किलो आंटा, चावल, नहीं बंटा है । मान्यवर, अगर बंटा हो तो विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा । क्या शासन के ऊपर मण्डलायुक्त होगा । उसने कह दिया कि कोई गल्ला नहीं बंटेगा । केवल 5 लीटर मिट्टी का तेल, नमक और दियासलाई बंटेगा । मिट्टी का तेल एक-एक, दो-दो लीटर बंटा और जब यह कहा गया कि क्या मिट्टी का तेल पियेंगे तब जाकर हम लोगों

के कहने पर एक-एक पैकेट लाई-चना दिया गया । जिस समय बस्ती बाढ़ से डूबा था कलेक्टर बंगलौर में थे । ए०डी०एम० थे उनको हमने सभी मैरुण्ड गांव घुमाया । मरने वालों की संख्या बस्ती में 6, संतकबीर नगर में 11, सिद्धार्थनगर में 3, एक मण्डल में इतने सारे लोग मरे हैं । आप स्वयं मानते हैं कि 266 लोग मरे हैं । आपने जनपदवार धन आवंटित किया है । देवरिया में 2 करोड़, बस्ती में 35 लाख व गोरखपुर में भी धनावंटन किया है । लेकिन मान्यवर, पैसों की बन्दरबाट हो रही है । 1998 में भी ज्यादा बाढ़ आई ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने किसी को नहीं टोका । मुझको भी थोड़ा अवसर दीजिये । मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं । शासन-प्रशासन को कम से कम वहां की वास्तविकता का आभास करा रहा हूं । पूरा देश जानता है कि 1998 की बाढ़ में गोरखपुर से रेल का सम्पर्क केवल एक दिन के लिये टूटा था । आप भिज्ञ हैं कि इस बार 8 दिन गोरखपुर से रेल और रोड से सम्पर्क कटा रहा । गोरखपुर से सारी ट्रेनों का संचालन बन्द रहा । हजारों लोग आसाम, दिल्ली, कोचीन, तमिलनाडु, मुम्बई जा रहे थे वह फंसे रहे और किस तरह से नारकीय स्थिति से गुजरे । हजारों ट्रक फंसे रहे और उनके पास खाने के लिये पैसा नहीं था तो उन्होंने डीजल निकालकर बेंचा है । गोरखपुर से बनारस का सम्पर्क अभी भी टूटा है । गोरखपुर से लखनऊ का रास्ता 10 दिन तक बन्द रहा । वहां का प्रशासन उदासीन रहा । 1998 की रिपोर्ट है । आपने कनाडा से रिपोर्ट मंगाई आपके पास रिमोट सेंसिंग की रिपोर्ट है लेकिन उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की गई । आप कहते हैं कि हम नेपाल सरकार से बात करेंगे । करनाली और जलकुण्डी के बारे में बात करेंगे लेकिन आपने नहीं किया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के 20-21 जनपदों की हर साल बाढ़ से तबाही होना उनकी नियति बन गई है । सैकड़ों लोग हर साल मरते हैं, सैकड़ों घर नष्ट होते हैं उसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है । इस बार 2 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है । एक करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं । सिद्धार्थनगर और बस्ती में लाई-चना भी नहीं बंटा । बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल में पैसा दिया गया तो उसको बांटने में क्या दिक्कत है ? मैं चाहूंगा कि इस मामले पर एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय और केन्द्रीय दल को बुलाया जाय ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को बाढ़ सहायता के लिये और पैसा मिल जाय । बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर में केन्द्रीय अध्ययन दल आना चाहिए । सिंचाई मंत्री जी अभी तक थे अब नहीं हैं, उनकी उदासीनता देखिये यह जानते हैं कि मुख्य मंत्री उनका बिगाड़ नहीं सकते । पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के लिये मुख्य मंत्री जी वहां पर दो बार गये लेकिन सिंचाई मंत्री जी एक बार गये ।

मान्यवर, आप संवेदनशील व्यक्ति है । सरकार की तरफ से राजस्व वसूली को स्थगित करने की बात की गई है । मेरी मांग है कि वहां पर छात्रों की फीस माफ की जाय और जो राजस्व देय है उनकी वसूली को स्थगित न करके उनको माफ किया जाय । आपके पास अन्न के भण्डार हैं जिनको समंदर में डाल रहे हैं । आप वहां पर फूड फार वर्क योजना चलायें ताकि लोगों को सहारा मिल सके । मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं हो सकता है । इस पर काम रोक कर चर्चा कराइये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस अत्यन्त चिन्तनीय विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । हमारे विद्वान साथी ने विस्तार से कारणों का उल्लेख किया है मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं केवल 2-3 सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात 265 तो सरकार का आंकड़ा है मुझे अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का

अवसर मिला । मुझे वहां बताया गया कि लगभग 1 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं । मेरा कहना है कि प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिये, क्योंकि 1 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं । अगर सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो केन्द्र सरकार से धन मिलेगा ही साथ ही साथ जो समाजसेवी संस्थायें हैं और स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनसे भी सहायता मिलेगी । पिछले 6 सालों से मैं देख रहा हूं कि हर साल बाढ़ आती है और हर बार सरकार कहती है कि हम 2 कार्यक्रम बना रहे हैं एक तत्काल राहत वाले जिसमे माचिस और नमक आदि बांटा जाता है और दूसरे सरकार कहती है कि हम लांग टम योजना बना रहे हैं । जवाब देने के लिये जब कोई मंत्री खड़े हों तो मैं उनसे जानना चाहूगा कि पिछले 4 सालों से जो आश्वासन दिये जा रहे हैं कि दूरगामी कदम उठाये जायेंगे, यह जानकारी दी जाय कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन से दूरगामी कदम उठाये गये ? नेपाल से आने वाले पानी पर जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक बाढ़ नहीं रुकेगी । मुझे तो लगता है कि यह मानव निर्मित बाढ़ है । यह दैवी आपदा नहीं है । यह आदमी द्वारा लाई गई बाढ़ है । यह आपराधिक कृत्य है । हर साल बाढ़ आये और हर साल बाढ़ के नाम पर अरबों रुपये कमा लिये जायें यह सरकार की मंशा लग रही है । यह अपराधिक कृत्य है । यह बाढ़ सरकार में शामिल लोगों, मंत्रियों, दलालों की कमाई का जरिया बन गई है । मैं यह आरोप पूरी गम्भीरता के साथ लगा रहा हूं । यह 17 बांध जो टूटे हैं इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी ? बांध टूटा क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई जिससे दसियों गांव बह गये कितने लोग मरे होंगे कितने गांव बह गये इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें । अफसोस करने से काम नहीं चलेगा वहां पर वह लोग जिनके घर बह गये हैं उन सबको इन्दिरा आवास की व्यवस्था करायें सबको इन्दिरा आवास मुहैया कराये जायं जो परिवार तबाह हुए हैं उनके प्रत्येक सदस्य को नौकरी दी जाये व इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये इसके साथ ही साथ जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनकी केवल प्रतिकूल प्रविष्टि ही न की जाये बल्कि जो लोग जिम्मेदार हैं चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हों, या मंत्री हों, मुख्य मंत्री हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये व नैतिकता के आधार पर राजनाथ सिंह सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

* श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष पूर्वांचल में जो बाढ़ आई है उससे सबसे ज्यादा, गोरखपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया क्षेत्र प्रभावित हुआ लगभग 300 से ऊपर लोगों की जानें गई, अरबों रुपये की फसल क्षति हुई, हजारों लोग बेघर हुए हैं । यह कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपये बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये दिया गया लेकिन दो सप्ताह पहले बहन मायावती जी, मुख्य मंत्री गोरखपुर दौरे पर गई थी वहां पर उन्होंने लोगों से पूछा था कि वहां राहत सामग्री क्या बांटी गई तो हजारों लोगों ने बताया कि वहां पर कोई राहत सामग्री नहीं बांटी गई नाव के बारे में बताया गया कि किसी प्रकार नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि पिछले दो सालों से सरकार ने नाव वालों को कोई पैसा नहीं दिया ? नाव के अभाव में कई लोगों की जाने चली गई । हजारों लोगों ने बताया कि यहां पर किसी प्रकार की कोई राहत सामग्री नहीं दी जा रही है । यही नहीं जब वर्तमान मुख्य मंत्री जी दौरे पर गये तो उनको भी यह बताया गया कि कोई राहत सामग्री नहीं वितरित की गई । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच जल्दी करवायेंगे लेकिन यहां आने के बाद किसी तरह की जांच नहीं की न ही नाव वालों को कोई किराया मिला । उड़ीसा में भुखमरी से मरने वालों के लिये केन्द्र सरकार ने 16 लाख लोगों के लिये गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड की व्यवस्था की है लेकिन पूर्वांचल में जो तबाही हुई व जिसके कारण भुखमरी की स्थिति है उस संबंध में न तो केन्द्र सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की न ही प्रदेश सरकार ने स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की । वहां के लिये स्पेशल पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिये । वर्ष 1998–99 में भी बाढ़ आई थी उस समय जो बांध की मरम्मत के लिये पैसा दिया गया वह बंदरबांट में चला गया इसलिये आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाढ़ का सबसे मुख्य कारण नेपाल की नदी से आने वाला पानी है जिसके कारण पूर्वांचल में बाढ़ आती है । स्टेट गवर्नमेन्ट, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से परामर्श करके इस प्रकार की बाढ़ को रोकने का कोई उपाय करती । गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया नेपाल गवर्नमेन्ट से बात करे कि वहां पर पहाड़ की नदियों के पानी को एक साथ न छोड़कर धीरे-धीरे छोड़ने का काम करते तो पूर्वांचल बाढ़ को चपेट में न आता । नेपाल की इन नदियों का पानी बस्ती में इस कदर आ जाता है कि पता ही नहीं चलता । लुम्बनी-दुद्धी मार्ग पर दो-तीन पुल बना दिये जायं । इसी तरह से लुम्बनी बस्ती मेहरांव मार्ग पर पुल बना दिया जाय जिससे बस्ती में जो बाढ़ आती है उससे बचत हो सकती है । आज देयों की वसूली की बात की जाती है । राज्य सरकार सभी देयों की वसूली स्थगित करने जा रही है । मान्यवर, जहां बाढ़ आई हुई है, वहां कुछ नहीं बचा है । आज आप देय स्थगित कर रहे हैं लेकिन कल वे कहां से दे पायेंगे ? मेरा कहने का मतलब यह है कि स्थगित करने के बावजूद समस्त वसूली एकदम माफ कर दी जाय । लड़कों की फीस इत्यादि माफ कर दी जाय । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने दोनों समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और यह दुर्भाग्य की बात है कि और आश्चर्यचकित इससे होते हैं कि प्रदेश का एक हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और दूसरा सूखे की चपेट में । दोनों जगह जन–जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है । सूखे के बारे में पहले उल्लेख किया गया था । इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र को हमने समस्त क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है । किसानों पर सरकारी मुख्य देयों की वसूली आगामी फसल आने तक स्थगित कर दी है । पेयजल की समस्या के निवारण के लिये हैंड पम्पों की मरम्मत, रिपेयरिंग और नये हैंड पम्प लगाने के लिये 10 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी है । नलकूपों को उर्जीकृत किये जाने हेतु 5 करोड़ की धनराशि अलग से आवंटित की गई है । बाकी शेष जनपद फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा और एटा में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है और इसको भी 22-9-2001 को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है । मथुरा में गत वर्ष की अपेक्षा आधी वर्षा हुई है और फसल का नुकसान 75 से 100 प्रतिशत के बीच हुआ है, हाथरस में फसल का नुकसान 65–80 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है । आगरा में भी गतवर्ष की अपेक्षा आधी वर्षा हुई है वहां पर भी फसल का नुकसान हुआ है । फिरोजाबाद में काफी कम वर्षा हुई है और वहाँ पर 15 से 60 प्रतिशत के बीच में फसल की क्षति हुई है , एटा में 40 से 60 प्रतिशत के बीच का अनुमान है । जैसा मैंने बताया कि तमाम क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं ।

श्री श्रीराम पाल–

बुन्देलखण्ड की स्थिति ज्यादा खराब है, उसके बारे में.....

श्री हुकुम सिंह–

मैंने पहले ही बताया कि इसको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है ।

श्री कौकब हमीद–

बागपत में क्या हाल है ?

श्री हुकुम सिंह–

बागपत की रिपोर्ट आयी है, वहां बरसात कम हुई है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले माननीय मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दें । सब एक साथ न बोलें ।

श्री श्रीराम पाल–

इनके पास पिछली रबी की फसल के आंकड़े हैं जहां पर तब सूखा पड़ा था । यह पिछले वर्ष के आंकड़े हैं हम सब बुन्देलखण्ड के जिलों के कानपुर देहात के जिलों के हमीरपुर, झांसी, बांदा के बारे में कह रहे हैं दो महीने से पानी नहीं बरसा है खरीफ की फसल की पैदावार मूग, बाजरा, उड़द, धान पूरा सूखकर चौपट हो गया है जो पानी न बरसने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है इसमें क्या सरकार ने जानकारी की है कि कितनी वर्षा हुई है, और कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए वह क्या उपाय करने जा रही है सरकार के पास पिछली जुलाई के आंकड़े हैं । सरकार को संवेदनशील होना चाहिए लेकिन यह संवेदनशील नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को स्पष्ट कर लेने दें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

10 करोड़ रुपया दे रहे हैं हैण्डपम्प के लिए, जब प्यास लगे तो कुआँ खोदो और खोदते-खोदते मर जाओ । हैण्डपम्प की रोजगार परक योजना नहीं है पेयजल का नहीं पेट की रोटी का यहां सवाल है किसानों के लिए बीमा किसान फसल बीमा योजना है इसके लिए किसानों को अनुदान दें सरकार इसमें स्पष्ट घोषणा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह परम्परा ठीक नहीं है । आप सभी स्थान ग्रहण करें । दो माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कह रहे थे अपने स्थान पर खड़े थे तो हमें संसदीय परम्पराओं का पालन करना चाहिए उनकी बात समाप्त करने देते, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए फिर मैं एक-एक करके सभी माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा कि वह अपनी बात कहें । संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों और आप खड़े हो जाएं यह परम्परा ठीक नहीं है । जितने माननीय सदस्यों की बात आ गई है उसमें उत्तर देना चाहें ।

श्री हुकुम सिंह–

जिन बातों का उल्लेख किया गया है मैं उसको आधार मानकर उनकी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं । 15 करोड़, 25 लाख रुपया बुन्देलखण्ड के लिए उपलब्ध करा दिया गया । विभिन्न मदों के लिए यह रुपया है पेयजल की मद उनमें से एक है और भी मदें हैं ऊर्जीकरण की मद भी शामिल है विभिन्न मदों में पैसा उपलब्ध कराया गया जब सारे बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, मुख्य देय सरकार के हैं वह स्थगित कर दिए गए पैसा उपलब्ध करा दिया गया इसका तात्पर्य यही है कि वहां का जनजीवन कृषि करने वाला किसान प्रभावित है । रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि रिपोर्ट आ गई है मैंने दो भागों में बात कही सूखा और बाढ़ के बारे में कहा ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले सूखा के बारे में दद्दू प्रसाद जी की बात है । दद्दू प्रसाद जी का कहना है कि रोजगार परक योजनायें सूखे के कारण बेकार पड़ी हैं बेरोजगारी फैल रही है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, विगत वर्ष 75 लाख रुपया जनपद चित्रकूट को दिया 75 लाख में 36 लाख नये हैण्डपम्प के लिए दिया गया री-बोरिंग के लिए पैसा दिया गया, मरम्मत के लिए दिया गया इसमें भारी घपला हुआ है जल निगम और सरकार के माध्यम से हैण्डपम्प के लिए जो पैसा दिया गया इसमें भारी घपला है पेयजल की इतनी समस्या नहीं है पेट की रोटी की समस्या है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसीलिए मैंने आपकी तरफ से बात कही ।

श्री श्रीराम पाल–

सूखे के बारे में एक बात है बुन्देलखण्ड के बारे में सरकार से अनुरोध है हैण्डपम्प नहीं चाह रहे हैं पेयजल की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । जो खरीफ की फसल है जैसे ज्वार, बाजरा, उड़द, धान, मूंग यह सूख गयी है । पिछली बार भी रबी की फसल सूख गयी थी तो कुछ राहत दी गयी थी हैण्ड पम्प लगाने की । जो हमारा यह अनुरोध है कि इस वर्ष भी वर्षा न होने के कारण फसल सूख गयी है, तो वहां पर कुछ राहत के कार्य करवायें । जो सरकार का अनाज पड़ा सड़ रहा है उसको उनमें बटवायें । मान्यवर, जब आदमी भूखा रहा है तो परिस्थितियां ऐसी भी आयी हैं कि उसने आदमी तक को खाया है । वहां पर राहत का काम शुरू कर दीजिये और काम के बदले उन्हें अनाज मिले ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके और वह भूखा न मरे और न ही वह दूसरी जगह पलायन करे ।

(व्यवधान)

* श्री राजाराम पाल–

मान्यवर, कानपुर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कानपुर नगर में जो घाटमपुर तहसील है वह यमुना से लगी है । वहां पर भी धान और खरीफ की फसल सूखी जा रही है । उनसे आबपाशी वसूली जा रही है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घाटमपुर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करें और वहां पर आबपाशी को रोकने का काम करें ।

*श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राहत के कार्य किये हैं उसके बारे में बताया । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बागपत और मेरठ में भी सूखे की स्थिति है । वहां के जिलाधिकारी की रिपोर्ट आ चुकी है कि यहां पर फसल बरबाद हो गयी है । गन्ना और धान की फसल बरसात न होने के कारण समाप्त हो चुकी है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों जनपदों में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

यह जो प्रश्न है उससे संबंधित नहीं है । अगर कोई जानकारी हो तो बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है । मैं इसकी सूचना प्राप्त करके ही बता पाऊंगा ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास पूरी नहीं है । तो हर जिलाधिकारी ने भेज दी होगी । अगर नहीं भेजी है तो जिलाधिकारी से मंगवा लें । यह लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

उनको बोलने का अवसर तो दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक सूखे का प्रश्न है और वर्ष 2001 में अतिवृष्टि का बाढ का जो माननीय सदस्यगण ने उल्लेख किया है यह बात सही है कि लगभग हर वर्ष ही यह विभीषिका का सामना पूरे प्रदेश को करना पड़ रहा है । कारणों का भी उल्लेख किया और कोई उसमें बहुत असहमति की गुंजाइश नहीं है । लगभग 21 जनपदों में 3285 गांवो की 26 लाख 35 हजार 972 जनसंख्या प्रभावित हुई है । कुल 3 लाख 96 हजार 349 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और 2 लाख 88 हजार 980 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल भी इसमें शामिल है । बाढ़ और वर्षा से 266 मानव जीवन की हानि और 312 पशु

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जीवन की हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है कुल 10,107 मकान पूर्ण रूप से तथा 15,026 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं । विस्तृत विवरण माननीय सदस्यगण चाहेंगे तो उनके जनपद के बारे में उनको उपलब्ध करा दूंगा । इसमें जहां तक सहायता वितरण की बात है, जनपदों को कुल 23 करोड़ 64 लाख 21हजार 568 रु० की धनराशि का आवंटन हो चुका है । जनपदवार भी सूचना है ।

मान्यवर, गोरखपुर मंडल में स्थिति की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है इस मण्डल में 1322 गांव प्रभावित हुए हैं । पूर्ण रूप से और मकान 8761, 12915 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं । जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजनगर में क्रमशः 11, 15,21 व 10 राहत केन्द्र कार्यरत हैं । गोरखपुर मण्डल में सितम्बर 2001 की अतिवृष्टि और बाढ़ से 101 मानव हानि और 168 पशु हानि हुई है । जनपद महाराजगंज में 3. गोरखपुर में 7. जनपद देवरिया में 7 बांधों का कटान हुआ है । महाराजगंज में 10 टन, देवरिया में 9.5 टन, गोरखपुर में 62.77 टन खाद्यान्न सामग्री एअर फोर्स के हेलीकाप्टर्स द्वारा एयर ड्रापिंग करायी गयी । इन जनपदों से बहने वाली सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है लेकिन अभी भी इस मण्डल में पानी से 390 ग्राम प्रभावित हैं । धन की उपलब्धता पर्याप्त है । गोरखपुर मण्डल में बाढ़ राहत कार्यों का सर्वेक्षण और सुरक्षा का सत्यापन 5 टीमों द्वारा कराया गया है । यह स्थिति मेरे पास है । जनपद वार बता दे रहा हूं । पूरे 21 जनपदों की सूचना मेरे पास है आप बता दें किस को बता दूँ या आपको पूरी सूचना उपलब्ध करा दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 10 दिन रास्ता बंद रहा । घरों में पानी भरा रहा । न राहत सामग्री बांटी गयी लोग बेघर हो गये । अम्बेडकर नगर में टांडा और कटेहरी बाढ़ से प्रभावित थे उन जगहों पर बाढ़ के राहत कार्य कराये जायें ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शासन के पास यह सूचना है इतनी जनता प्रभावित है इतने गांव प्रभावित हैं इतनी हेक्टेयर फसल प्रभावित है । पैसा पर्याप्त है उस पर बहस न करके मैं यह कहना चाहता हूं कि 35 लाख आपने बस्ती को दिया । आपने जो भी पैसा दिया उस पैसे के अन्तर्गत कोई राहत कार्य नहीं चलाये ज़ा रहे हैं उस सम्बन्ध में जो आपने जनपदों का जिक्र किया है बस्ती गोरखपुर मण्डल का आपने उल्लेख किया है, बस्ती सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर न वहां गेहूं चावल का वितरण हुआ है आपने जो पैसा दिया उस पर कितना गेहूं और चावल बांटा कितनी अहेतुक सहायता बांटता है । राहत कार्यों में क्या राहत कार्य किये गये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने देखा अभी माननीय मंत्री जी ने इसकी सूचना दी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शासन से पैसा जाने के बावजूद नावों का भुगतान नहीं हुआ, नाव इस बार लगायी ही नहीं लगभग साढ़े तीन सौ गांव अपने को महरूम मानते हैं और वहां के लोग बंधे पर पड़े हुए हैं । उनके खाने का कोई प्रबन्ध नहीं है तो इस तरह से कोई राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है आप इसकी जांच करा तीजिए बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर में तमाम क्षेत्र हैं जहां सारे के सारे गांव प्रभावित हैं और वहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं आप बैठें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, बस्ती तहसील में बड़रिया डोरघाट में कितनी सहायता बांटी गयी यह मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूरे जनपद में एक गांव में सहायता नहीं बांटी गयी है हम लोग पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहे हैं हम गांव में गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दें आप वही बात कितनी बार कहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय लाल जी वर्मा अम्बेडकर नगर की जांच की बात कह रहे थे । इसमें हमारी सूचना के अनुरूप 29 गांव प्रभावित हुए हैं और जलमग्न भी रहे हैं वहां 7150 जनसंख्या प्रभावित हुई है, 1712 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है 1257 कृषि शामिल है । इसमें 10 लाख रुपये एडवान्स में उपलब्ध करा दिये गये थे । इसके लिए एक तो बार-बार वहां कह रहे हैं कि पैसा उपलब्ध हो गया लेकिन काम नहीं चल रहा है जहां ऐसी शिकायत है कि पैसा उपलब्ध होने के बाद में भी, स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी यदि कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी और हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि बस्ती तहसील में एक गांव बडरिया डोरघाट है वहां कितनी सहायता बांटी गयी है अगर नहीं बांटी गयी है तो वहां के एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य हमें लिखकर दे देंगे तो हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने कह दिया है कि अगर धन उपलब्ध होने के बाद भी कोई लापरवाही कर रहा है तो कठोर कार्यवाही करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वहां वितरित ही नहीं हुआ है तो वहां की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे । माननीय सदस्य लिखकर देंगे तब कार्यवाही करेंगे यह कौन सी बात है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठेंगे या नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सूखा और बाढ़ दोनों ऐसे गम्भीर मुद्दे हैं जिससे आज पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है और उस पर हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के माननीय सदस्यों ने जो नियम 56 के अन्तर्गत नोटिस दी थी और उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह बताया इस पर अभी सूचना प्राप्त नहीं है कि सूखाग्रस्त इलाकों में कौन-कौन से क्षेत्र कितना प्रभावित हैं, यह इस सरकार की संवेदनशीलता है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य नियम 56 में सुबह 10 बजे सूचना देते हैं तो आपके पास सारा प्रशासनिक अमला मौजूद है, सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो आपको जवाब देने के पहले जिला मुख्यालयों से इस तरह की सूचना संकलित कर लेनी चाहिये और जवाब देते वक्त सदन के अन्दर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिये कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने सूचना दी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यहां पर दो तीन माननीय सदस्यों की मांगें आई कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें रोजगारपूरक आपकी क्या व्यवस्था है, यदि अभी तक नहीं है तो उसके क्या उपाय करने जा रहे हैं । लेकिन सरकार

के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है । इसी तरह बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिये सरकार हमेशा कहती है कि यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देखने से मालूम होता है कि यदि यह जो बाढ़ की आपदा आई है, वह सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के क़ारण आई है । यदि तटबंधो की मरम्मत समय से होती रहती, बंधों की देखभाल होती रहती, नेपाल से आने वाली नदियों के पानी छोड़ने का यदि कोई मानक तय किया गया होता तो शायद जो स्थिति बनी है, वह न बनी होती । आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो, इसके लिये भी कोई योजना नहीं है । सरकार को बताना चाहिये कि हम इस तरह के उपाय करने जा रहे हैं, जिससे उस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

सन् 1997 में बहन मायावती जी की सरकार थी, आप भी शासन में थे, उस समय उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बाढ़ नहीं आई थी, क्योंकि सरकार पहले से सतर्क थी और सभी तरह की सावधानी बरती थी, एहतिहात बरती थी लेकिन आज तो सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, इस तरह लोकलुभावन नारों से सरकार नहीं चलती । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आप किसी जिले में 12 लाख, किसी जिले में 15 लाख, किसी जिले में 20 लाख, किसी जिले में 25 लाख दे रहे हैं, उससे लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपये की क्षति हुई है । आज जिनके सामने रोजी-रोटी की समस्या आई है, उनका काम कैसे चलेगा । उड़ीसा में अकाल पड़ा, वहां पर सूखे की मार पड़ी, लेकिन वहां की सरकार ने 16 लाख लोगों को, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले थे, वे राशनकार्ड बनवाये और ऐसे क्षेत्रों के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की । आप तो केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, यह कर दिया गया, वह कर दिया गया, यह कहने से काम नहीं चलेगा । इस तरह से सरकार जो भी सहायता राशि के नाम पर दे रही है, उसका कार्यान्वयन करने में जब तक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक सरकार में बैठे लोग, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है वही इस पैसे को डकारेंगे और जिनके द्वारा वितरित किया जाना है, वह खा जायेंगे । इस तरह से एक का भी क्रियान्यवन होने वाला नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि जो राहत कार्य में दिया गया है, उसका सदुपयोग हो जाय तो उस जिले के जो भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह विधान सभा सदस्य हों, चाहें विधान परिषद् के हों और चाहे लोकसभा के माननीय सदस्य हों ऐसे जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए जिससे राहत के कार्य उनकी देखरेख में सम्पादित हो सकें अगर ऐसा होगा तो अधिकारी राहत कार्यों में गोलमोल नहीं कर पायेंगे, राहत राशि को डकारने नहीं पायेंगे । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा की तर्ज पर यह सरकार भी सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये राशन कार्ड की व्यवस्था करने जा रही है ? उन्हें सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रही है और क्या ऐसे लोगों के लिये जिनका सर्वस्व तबाह हो चुका है उनके लिये आवासीय व्यवस्था के लिये निर्बल आवास, इन्दिरा आवास की व्यवस्था विशेष पैकेज के रूप में इन जिलों में करने का काम करेंगे । इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चाहे गोरखपुर हो या अन्य जनपद, जितनी भी धनराशि की आवश्यकता थी, आंकलन करके सारा पैसा दे दिया गया है और वहां कार्यों को शुरू भी कर दिया गया है । अभी जैसा माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है, 31 अक्टूबर तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां भी आवश्यकता है, जहां कार्य नहीं हुआ है, कार्यवाही की जायेगी और 31 अक्टूबर तक सम्पूर्ण सहायता वितरित कर दी जायेगी । इसी प्रकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कहा गया है । बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हों या सूखाग्रस्त क्षेत्र हों, रोजगार के बारे में जो बात कही गई है, सभी को जानकारी भी है, 25 तारीख को श्रदेय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था पूरे देश में लागू की है, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में, कहीं पर खाने-पीने की दिक्कत भी नहीं है, जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में चाहे बुन्देलखण्ड का क्षेत्र हो, पहले से पैसा दे दिया गया है । सभी जिलों को कुछ न कुछ धनराशि दी गयी है । अभी हमने सभी मण्डलायुक्तों के साथ बैठक की है और उनसे कहा है कि जहां भी दिक्कत हो, अवगत करायें, उसके लिये व्यवस्था की जायेगी । अभी जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष कह

रहे थे, मायावती जी की सरकार में भी राहत और राजस्व विभाग मेरे पास ही था । उस समय भी 10-10 लाख रुपये दिये गये थे । 10–10 लाख रुपये की व्यवस्था सभी जनपदों के लिये शुरू में कर देते हैं और जहां आवश्यकता होती है बाद में और पैसा दिया जाता है । उस समय भी व्यवस्था करने वाला मैं ही था और आज भी मैं ही हूं, कोई अन्तर नहीं आया है । कल भी बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है । जैसा माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है राहत कार्य में यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है, कोई समस्या पैदा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि जो सूखाग्रस्त इलाके हैं एवं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, ऐसे जनपदों में सभी प्रकार के किसानों के जो देय हैं उनकी वसूली स्थगित करने एवं ऐसे सभी प्रभावित जिलों के छात्रों की फीस माफ करने की घोषणा क्या सरकार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सभी ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वसूली स्थगित कर दी गयी है और अन्य प्रकार के देयों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं ताकि किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो और क्षेत्रों के बारे में जहां आवश्यकता होगी, हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं जहां आवश्यकता होगी, कार्यवाही करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है कि जहां भी आवश्यकता होगी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना बनायी है, वह है काम के बदले खाद्यान्न और कुछ इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे कि लोगों को रोजगार मिल सके और परिवार की जीविका चल सके । उनकी इस योजना का स्वभाविक है कि जनता स्वागत करेगी । लेकिन आज जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जो पूर्वांचल की नदियां हैं चाहे घाघरा हो, राप्ती हो, गुर्रा हो, कुआनी हो, रोही हो सभी खतरे के निशान से नीचे आ गयी हैं । अभी भी 359 गांव चारों तरफ से जलमग्न हैं । इन गांवों के लोग आज भी राहत केन्द्रों और बन्धों पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं और उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचाया जा रहा है । तत्काल राहत वहां पहुंचाना चाहिये । जैसा कि मैंने पूर्व में जानकारी दी 359 गांव हैं यह सरकारी आंकड़ा है, मैं इससे अधिक मान रहा हूं लेकिन जो 359 गांव हैं वहां तत्काल राहत पहुंचायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसका उत्तर देने दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कोई राहत नहीं पहुंचायी गयी । न आटा न चावल की और न अन्य कोई राहत पहुंचायी गयी । राहत क्यों नहीं पहींचायी गयी क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि जो शंका जाहिर की गयी है मैं इसकी जांच कराऊंगा और दण्डित भी करूंगा । राहत कार्यों के बारे में आज भी निर्देश दे दिये हैं जितनी आवश्यकता है तत्काल राहत वितरित की जाय ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 10 करोड़ रुपया बुन्देलखण्ड को दिया गया है सूखा राहत और ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण के लिये मेरी जो जानकारी है । गत वर्ष भी पैसा दिया गया था लेकिन राहत आयुक्त ने आपत्ति लगा दी थी कि ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण के लिये पैसा नहीं दिया जायेगा, किसानों को कोई पैसा नहीं मिला । फिर वही दोहरा रहे हैं और हैण्डपम्प लगाने की बात कर रहे हैं । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे संरक्षण दिया । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में रोजगार विकास की योजनायें चलायी जायं । पता नहीं जल निगम और सरकार के बीच क्या सांठ-गांठ चल रहा है । हैण्ड पम्प की इतनी समस्या नहीं है, समस्या पेट के रोटी की है । माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि खाने पीने की कोई समस्या नहीं है । मान्यवर, एक लाख आदमी बांदा और हमीरपुर का दिल्ली, पंजाब

और लुधियाना चला गया है । आखिर जब समस्या नहीं है वे लोग क्यों गये । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार देने के लिये सरकार कोई स्पष्ट घोषणा करें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड मैं पैसा दिया गया है और 15 करोड़ 25 लाख रुपया दिया गया है । पूरे प्रदेश में पहली बार व्यवस्था की गयी है और जितने भी पुराने हैण्डपम्प हैं उनको ठीक कर दिया गया है । बुन्देलखण्ड के सभी जनपद और अन्य 21 जनपद जहां-जहां सूखा है उनको राहत से पैसा दिया गया है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

दद्दू प्रसाद जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । वहां रोजगार परक योजना चलाने के बारे में क्या योजना है यह आप बता दें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वहां की जो समस्या है वहां पर जो ड़िमांड आयी उसके अनुसार हैण्डपम्प दिये हैं । वहां की जनता के कहने के मुताबिक काम होगा । माननीय सदस्य के कहने से सरकार नहीं चलेगी ।

श्री दद्दू प्रसाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय प्रमोद कुमार एवं दद्दू प्रसाद आदि माननीय सदस्यों व माननीय राजस्व मंत्री व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार गरीब को रोटी नहीं दे सकती है [x x x] सूखा और बाढ़ से उत्पन्न गरीबों की रोजीरोटी का समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है । सरकार की किसान, गरीब, मजदूर विरोधी नीति के विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है । सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी मध्यवर्ती जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना के बारे में है ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की स्थिति पर गौर किया जाय । यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में 31-12-2000 तक 6 लाख 23 हजार मुकदमें पेंडिंग हैं । इनमें से 60 फीसदी मुकदमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं । हर महीने 200 मुकदमें हल होते है इस हिसाब से यदि देखा जाय तो साल भर में 2400 मुकदमें हल होते हैं । इससे यदि प्रदेश की जनता परेशान न हो तो क्या करें । 1955 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने सिद्धान्त रूप में मंजूर किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित होनी चाहियं । उसके बाद जसवंत सिंह आयोग बना और उसने स्टडी करने के बाद रिपोर्ट दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिये ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 8 करोड़ की आबादी है, वहां 3 बेंच हैं, मध्य प्रदेश में भी 3 बेंच हैं, साढ़े 6 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में 3 बेंच हैं और साढ़े 16 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में केवल दो बेंच हैं । लखनऊ की बेंच अधूरी है । साढ़े 5 करोड़ जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है । सहारनपुर का व्यक्ति 8 सौ कि० मीटर चलकर इलाहाबाद जाता है । जब वह वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ वहां वह सुलूक किया जाता है जो एक अजनबी के साथ किया जाता है । वहां के वकील, वहां के होटल वाले, रिक्शे वाले उससे 4-5 गुनी फीस लेते हैं और किराया भी लेते हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहां जो जाता है उसका पूरा शोषण होता है । यही नहीं पिछले उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी मुलाजिम को भत्ते व ट्रेवल एलाउंस के रूप में 37 करोड़ रुपये दिये जो मुकदमें की कार्यवाही के संबंध में इलाहाबाद जाते हैं । इसका औसत आ रहा है करीब 20-30 करोड़ हर साल, आज 20 दिनों से जनता परेशान है इलाहाबाद के सिर्फ वकीलों की यह समस्या है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की यह समस्या है । प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी 1998 में लीडर आफ द अपोजीशन थे उस वक्त उन्होंने एक क्वेश्चन किया था उन्होंने पूछा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बनेगी ? उस समय जो ला मिनिस्टर श्री भारद्वाज थे उन्होंने जबाव दिया था हां मैं मानता हूं कि वहां बेंच बनेगी और इस संबंध में जो जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट है हम उससे सहमत हैं । प्रधानमंत्री जी भी सहमत थे । प्रधानमंत्री जी ने मथुरा में वकीलों को मुख्य मंत्री जी के सामने कहा है कि इसका समाधान होना चाहिये व पहले हो जाना चाहिये था । सिर्फ यह बात कहकर कि इलाहाबाद के वकील भी हड़ताल कर रहे हैं, इलाहाबाद के तो सिर्फ साधन सम्पन्न वकील हड़ताल कर रहे हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4-4-1/2 करोड़ लोगों की यह परेशानी है । काम चलने वाला नहीं है । मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा स्वीकार करें । यह पक्ष और विपक्ष सभी लोगों की मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाय ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी मध्यवर्ती जनपद में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के संबंध में है जिसके लिये पिछले दो महीने से वकील और जनता आन्दोलनरत हैं के संबंध में बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण न किये जाने एवं उसके साथ सौतेला व्यवशर किये जाने के कारण ही आज एक दूसरी मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठन की भी उठी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को सिर्फ इसलिये दबाई गई क्योंकि आज लोक सभा में इलाहाबाद के प्रभावशाली लोगों का प्रतिनिधित्व है इसीलिये हमारी गर्दन दबाए रखी जा रही है । पश्चिम के केवल साहिबान ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी जनता आन्दोलनरत है व इस बात को लेकर परेशान है । इसी से परेशान होकर वहां जनता अब केवल हाई कोर्ट की बेंच ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा हाईकोर्ट बनवाने के लिये अलग प्रदेश बनाने की मांग रह रही है । और इसके लिये आन्दोलन करने पर आहूति देने के लिये उनको मजबूर होना पड़ेगा ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस मांग के परिपेक्ष्य में पूर्व की प्रदेश सरकारें एवं मंत्रिमण्डल की तरफ से और सदन की तरफ से केन्द्र सरकार को इस मांग के लिये संस्तुति दे चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाय । 1976 में इसका प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया । 14 मार्च, 1981 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी जिलों हेतु न्याय सबको आसानी से सुलभ हो सके वहां पर बेंच की सथापना की आवश्यकता को पूरी करने की संस्तुति की और उसी के परिपेक्ष्य में 4 सितम्बर, 1981 में केन्द्र सरकार ने जसवंत सिंह आयोग का गठन किया । इस आयोग में तीन सदस्य थे । अध्यक्ष थे निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जसवन्त सिंह और बाकी दो सदस्य आन्ध्र प्रदेश के निवर्तमान न्यायाधीश प्रोदत्तर श्री राममूल और करन सिंह निवर्तमान IAS थे । इस आयोग ने भी संस्तुति की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग जायज है और वहां पर इसकी बेंच की स्थापना की जानी चाहिए ।

उ० प्र० का कुल क्षेत्रफल 2 लाख 94 हजार 413 वर्ग किमी० का होने के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां पर बेंच की स्थापना से वंचित करने का काम किया जा रहा है । लखनऊ रीजन जहां 363 हजार 300 वर्ग किमी० का एरिया है, बेंच है इलाहाबाद रीजन जहां 1 लाख 7400 वर्ग किमी० का एरिया है वहां पर है और यहां पर 98, 933 वर्ग किमी० का एरिया होने के बाद भी पश्चिम के साढ़े पांच करोड़ की जनता की अनदेखी और अनसुनी जिस तरीके से की जा रही है उससे अत्यन्त चिन्ता जाहिर करने का विषय है । पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में लगभग 2/3 करोड़ के ऐवरेज पौपुलेशन पर पीठ की बेंच का प्राविधान है । कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर में है । बाम्बे हाई कोर्ट की बेंच नागपुर पणजी और औरंगाबाद में है । मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर और इन्दौर में है तथा भोपाल में मांग चल रही है । बिहार की पटना हाई कोर्ट की बेंच रांची में है । राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट की जयपुर में बेच है गोहाटी हाई कोर्ट का बेंच कोहिमा आईजोल, इम्फाल, शिलांग एवं अगरतला में है । इस सबके बावजूद केवल यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये आवश्यक नहीं समझते हैं । यह मान्यवर, किसी तरह से न्यायोचित नहीं है । सहारनपुर जनपद के लिये लखनऊ और इलाहाबाद दोनों लगभग 75 किमी० बराबर दूर पड़ता है । 700–750 किमी० चलकर गरीब इन्सान कैसे आ सकता है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी 40 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रही हैं वे किस तरह से न्याय पाने के लिये हाई कोर्ट के दरवाजे पर इतनी दूर जाय । वहां पर इस तरह के लुटेरे बैठे हैं कि यदि वह किसी तरह से कर्ज लेकर जाने की बात करता है तो उससे उन्हीं धाराओं में जमानत और पैरवी करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के वादकारियों से 3 गुना, 4 गुना ज्यादा पैसा लिया जाता है । एक तरह से इन जनपदों के व्यवसायी वकीलों के अन्दर निजी स्वार्थ छिपा हुआ है । आज जो सुलभ और सस्ता न्याय दिलाये जाने की बात कही जाती कि यह संवैधानिक अधिकार है और मिलना चाहिए उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग वंचित है । यह साढ़े पांच करोड़ के करीब की आबादी को न्याय नहीं मिल पा रहा है । यही सब चीजें हैं जो कि वहां पर लोगों को आन्दोलन करने के लिये मजबूर करने का काम कर रही है । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सत्ता में आ जाने पर लोग पक्ष में होंगे तो कुछ कहेंगे विपक्ष में होंगे तो कुछ और कहेंगे । 21-7-86 में वर्तमान प्रधान मंत्री जी लीडर आफ. अपोजीशन थे ने हंसराज भारद्वाज मंत्री जी से कहा था कि ''पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट खण्ड पीठ की स्थापना की बात है । इस पर जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है और राज्य सरकार अपना सुझाव दे चुकी है, केन्द्र को निर्णय करना है ।

मान्यवर, अब इसमें अनावश्यक विलम्ब क्यों हो रहा है ? आज इसी कारण से आन्दोलन हो रहे हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले । आज माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं । मैं नहीं समझता कि उनको किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है । यह निर्णय अभी तक हो जाना चाहिए था । इस सबके बावजूद भी इसको टालने का प्रयास किया जा रहा है । इसी का नतीजा है कि आन्दोलन हो रहे हैं । 1981 में लगातार साढ़े तीन महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद के वकीलों ने हड़ताल की थी और काम बन्द रहा था ।

इतना ही नहीं 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील अपने न्यायालय में शनिवार को बहिष्कार कर रहे हैं अब तक लोगों को यह बात मालूम नहीं हो पाई है ऐसा लगता है जैसे 5 वर्किंग डेज हों, फाइव दिन का वीक बन गया हो । इसके बाद भी सरकार द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है । श्रीमन् पिछले दो महीनों में आन्दोलन तेजी पर है । चाहे 23 अगस्त के पहले रेल रोकने की बात रही हो चाहे 25 अगस्त को हिंडन नदी के पुल पर चक्का जाम करने की बात हो, चाहे 11 सितम्बर, 2001 को राष्ट्रीय मार्ग पर चक्का जाम करने की बात हो इस तरह से वकील अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं । पिछली 14 सितम्बर, को बन्द आपने देखा जो अपने आप में ऐतिहासिक बन्द रहा किसी ने बन्द का विरोध नहीं किया चाहे रिक्शा चलाने वाला रहा हो चाहे उद्योगपति, बैंकों में भी किसी ने कोई काम नहीं किया, उसके बाद भी हम लोगों की भावनाओं को आप नहीं समझ पाए मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति विस्फोटक हो रही है शनैः- शनैं यह बढ़ती जा रही है । हमारे मथुरा के साथी बैठे हैं माननीय प्रधान मंत्री 25 तारीख को मथुरा में मौजूद थे

वहां काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट किया गया, सरकार के कहने पर पुलिस के जरिए वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण कई लोग जख्मी होकर अस्पताल में पहुंच गये, कारण केवल इतना था कि ये अपनी मांग उठा रहे हैं। 26 तारीख सितम्बर को आगरा की घटना किसी से छिपी नहीं है वकीलों के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ करने का काम मौजूदा पुलिस ने किया है। जज की ऊंगली तोड़ने का काम पुलिस के जरिए हुआ इस तरह से अगर लोगों की आवाज को दबाया जाएगा तो किस तरह संविधान के नियमों के तहत संरक्षण प्रदान होगा।

मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के विधायक भी साथ हैं नियम–300 में सुबह डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने प्रश्न उठाया। इन तमाम लोगों की संवैधानिक मजबूरी हो सकती है लेकिन सभी दल के अधिकांश लोगों की मांग है, आम जनता की मांग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है आजाद हिन्दुस्तान में आजाद हिन्दुस्तान के संवैधानिक, जनतांत्रिक माध्यम से आपकी सरकार इनकी मांगों को कुचलने का काम करेगी तो यह समस्या और विकराल रूप धारण करेगी। यह अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोककर इसमें चर्चा करायें, जिससे इसी चर्चा में अन्य माननीय सदस्य भी भाग ले सकें और सत्ता पक्ष के लोगों का मत आ सके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल सके।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने लोकमहत्व के और इतने अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का समय प्रदान किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय यह अति लोक महत्व का प्रश्न है, करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ यह अविलम्बनीय प्रश्न है। सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश आन्दोलन के दौर से गुजर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना को लेकर आन्दोलन चल रहा है यह नई मांग नहीं है हमारा देश जबसे आजाद हुआ है तब से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की मांग चल रही है सबसे पहले 1955 में मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया केन्द्र सरकार से संस्तुति इस बात की करी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने और देश की जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिये इलाहाबाद की खंडपीठ होनी चाहिए इसके बाद अनेक सरकारों ने इन मांगों को स्वीकार किया। तमाम प्रयासों के बावजूद तमाम आन्दोलनों के बावजूद जैसा कि बताया वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20-25 वर्षों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं।

शनिवार को काम काज बन्द करा था। यह करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। इलाहाबाद के अन्दर हाईकोर्ट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो पांच सौ किलोमीटर से या फिर छः सौ किलोमीटर की दूरी से आते हैं वहां न्याय पाने के लिए जाते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। वहां के लोग उनका शोषण कर रहे हैं। इलाहाबाद के अन्दर रिक्शे वाले से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं वह इनका शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के वादकारियों से पांच हजार फीस ली जाती है वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से पन्द्रह हजार रुपये फीस ली जा रही है और यही वजह है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर खण्डपीठ की स्थापना होनी चाहिए। यह कहा जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका विरोध लोग कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि खाली इलाहाबाद के अन्दर इसका विरोध हो रहा है। आम जनता से इसका लेना-देना नहीं है। किसी व्यक्ति से इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर विरोध है तो सिर्फ इलाहाबाद के वकीलों या वहां के लोगों का। वे चाहते हैं कि वहां पर खण्डपीठ की स्थापना न हो। इसकी वजह यह है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक दुधारू गाय समझते हैं। इनसे उनकी अनाप शनाप आमदनी हो रही है। उनको यह चिन्ता है कि कहीं यह हमारे हाथ से निकल न जाये। कहीं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर या फिरोजाबाद में इसका विरोध नहीं है।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सात लाख मुकदमें पेन्डिंग हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन लोगों के मुकदमें पेन्डिंग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं। जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो किराया नहीं दे सकते हैं वह सात सौ

किलोमीटर से चलकर आते हैं । स्टेशन पर पहुंचते ही रिक्शे वाले से लेकर सब लोग उनका शोषण करते हैं । इसलिए उनके मुकदमें का निस्तारण नहीं किया जाता है कि कहीं यह हाथ से निकल न जायें । इसलिए इनको तारीखें दे दी जाती हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साढ़े चार करोड़ जनसंख्या इस बात के लिए संघर्ष कर रही है कि वहां पर हाई कोर्ट की एक खंडपीठ की स्थापना हो । कई बार यह विवाद खड़ा करने की चेष्टा की गयी कि इसकी स्थापना कहां की जाय । आगरा, मेरठ, बरेली, मिर्जापुर में कहां पर इसकी स्थापना की जाय । यह विवाद खड़ा करके इसको टाला गया । लेकिन अब इस बात का विवाद नहीं है कि अमुक जगह ही इसकी स्थापना की जाय । आप कहीं पर भी इसको स्थापित कर दें । दूसरे प्रदेश जो हमसे छोटे हैं वहां पर चार-चार खण्डपीठ स्थापित हैं । हमारे प्रदेश के अन्दर सत्रह करोड़ की आबादी है यहां पर एक लखनऊ में खण्ड पीठ है और वह एरिया सीमित है । हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि पश्चिमी में भी इसकी स्थापना की जाय । दो महीने से लगातार आन्दोलन चल रहा है । राजनैतिक और गैर राजनैतिक आन्दोलन चल रहे हैं । वकीलों ने भी अपने काम का बहिष्कार किया है । अगर कोई व्यक्ति जेल में बन्द हो जाता है तो उसकी जमानत नहीं हो पाती है ।

आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जेलों की यह हालत हो गयी है कि वहां पर सोने की तो दूर बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है । सारी जेलें ओवर क्राऊडेड हो गयी हैं । वहां पर लोगों को पारी के अनुसार सुलाया जा रहा है । एक तिहाई एक पारी में फिर दूसरी पारी में इस तरह से सुलाया जा रहा है । कचहरी बन्द होने के कारण हाल यह हो गयी है कि रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं । कोई काम नहीं हो पा रहा है । पूरा जनमानस आन्दोलन पर उतर आया है । 14 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा बन्द का आवाह्न किया गया था । कोई ठेले वाला, पान की गुमटी वाला, बैंक, स्कूल, कालेज, पेट्रोल पम्प या कोई और प्रतिष्ठान नहीं खुले । पूरी तरह चक्का जाम रहा । इससे इस बात का सबूत मिलता है कि वहां पर हाई कोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना के लिए कितने लोग आन्दोलित हैं । 14 तारीख को बन्द रहा लेकिन कोई वायलेंस नहीं था ।

(इस समय 03 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री केशो मेहरा पीठासीन हुए)

किसी एक राजनीतिक दल का सहयोग नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलो की मंशा है कि हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना होनी चाहिए । हमारे जो दूसरे साथी हैं वे भी इस बात को कह रहे हैं । वे इस नियम के तहत कह रहे हैं या दूसरे नियम के तहत कह रहे हैं लेकिन वे भी खण्डपीठ के पक्ष में ही कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए । चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि उसमें प्रतिपक्ष के लोग भी भाग लेंगे और पक्ष के लोग भी । पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी लोग हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना चाहते हैं ।

मान्यवर, सरकार भी चाहती है । अधिवक्ताओ ने मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की थी । इस पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी । इस विषय पर किया जाएगा । अधिवक्ता संघ के लोग केन्द्रीय विधि मंत्री और प्रधान मंत्री जी से मिले थे तब वे विपक्ष के नेता थे । तब उन्होंने उस पर कहा कि वे जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना करनी चाहिए । जसवंत सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने में कौन सी दिककत है ? जब प्रधान मंत्री चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और जनता इसकी मांग कर रही है ताकि उसको न्याय आसानी से मिले इसलिए हाई कोर्ट खण्डपीठ की स्थापना अवश्य होनी चाहिए । अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । यह अविलम्बनीय है क्योंकि आन्दोलन चल रहा है लगातार चल रहा है आगे चलकर यह आन्दोलन उग्र रूप ले सकता है ? क्योंकि जगह-जगह आन्दोलकारियों में क्षोभ की भावना और टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है । स्थिति अत्यन्त दयनीय है । किसी भी समय विस्फोटक रुप धारण कर सकता है । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करे । इस पर चर्चा करा दें ताकि सभी माननीय सदस्य हिस्सा ले सकें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हाई कोर्ट की खंडपीठ उपलब्ध हो सके ।

श्री आर्य राम शरण–

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को जितने फौजदारी के मामले हैं उनमें जमानत नहीं हो रही है और हड़ताल चल रही है। मान्यवर, यह जो मांग है बैंच की इसको मान लिया जाये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंच बनायी जायें।

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, लगभग 2 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना को लेकर वकील आन्दोलन कर रहे हैं। वकील ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति सहयोग आन्दोलन में दे रहा है। दिन प्रतिदिन यह आन्दोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। कहीं पर रेल रोको आन्दोलन है कहीं पर रास्ता जाम है। बाजार बन्द की नौबत भी आयी है। इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर सारा कार्य रोककर चर्चा का समय नियत किया जाये।

धन्यवाद।

(व्यवधान)

(कई आवाजें न्याय मंत्री जी बैठे हुए हैं, जबाब दे दें)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह कैसी सदन की व्यवस्था है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं नहीं दूसरे कोई मंत्री जबाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, एक खण्डपीठ की स्थापना के मामले में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गयी उस पर कार्यवाही होनी है यह महत्वपूर्ण मसला है। पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आप चर्चा की अनुज्ञा दें जिससे पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य चर्चा में भाग ले सकें। जिससे सरकार को जानने में आसानी हो कि वे अपनी क्या विचार धारा रखते हैं। सरकार की क्या विचारधारा है वह भी स्पष्ट कर दे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

दो-तिहाई प्रदेश इस समस्या से ग्रस्त है।

* न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्य पूर्ण रूप से परिचित हैं यह उत्तर प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। यह भारत सरकार का बिन्दु है भारत सरकार ही खण्डपीठ की स्थापना कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है खण्डपीठ स्थापित करना। यह सभी लोग जानते हैं। मेरा एक निवेदन है कि मित्रों यह मामला बहुत पुराना है 1976 से चल रहा है 1981 में जसवन्त सिंह आयोग बना उसकी रिपोर्ट आयी। उसके बाद उत्तरांचल बना। इसके बाद उत्तरांचल में नैनीताल में हाईकोर्ट बना है।

(इस समय 03 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पुनः पीठासीन हुए)

यह जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट तब आई थी जब उत्तर प्रदेश पूरा था। मान्यवर, नैनीताल में जब हाईकोर्ट स्थापित हो गया तो उसके बाद अब यह जसवन्त सिंह आयोग का प्रकरण समाप्त सा हो गया है और हमारे यहां से जब अभिमत मांगा गया तो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अभिमत अपना दे दिया कि खण्डपीठ स्थपित करने की आवश्यकता नहीं है और मान्यवर, इसके लिये जो भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी से बात किया।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, नैनीताल में हाईकोर्ट बना दिया तो एक प्रदेश का गठन कर दिया आप हमारे यहां भी हरित प्रदेश का गठन कर दीजिये हम बेंच की मांग नहीं करेंगे तब तो हाईकोर्ट अपने आप आ जायेगा। यह मंत्री जी ने जो जबाब दिया है वह बगैर जाने ही जवाब दे दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अगर आप हरित प्रदेश बनाने जा रहे हैं तो हम इन्तजाम कर लेंगे तब तो हमारा हाईकोर्ट बन जायेगा अगर भविष्य में हरित प्रदेश को बनाने जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि नैनीताल में बना दिया । मान्यवर, यह हाईकोर्ट की स्थापना किसी जज का मामला नहीं है हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित होगी या नहीं यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है । मान्यवर, वहां की 7 करोड़ जनता आन्दोलनरत है इसलिये है कि उसको सुलभ न्याय उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिये वहां पर खण्डपीठ दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद के जज साहब ने मना कर दिया । मैं अनुरोध करूंगा कि एक आयोग की स्थापना हुई, रिपोर्ट बन गयी और अभी मुख्य मंत्री जी ने मथुरा में, जो समाचार पत्रों में छपा है, प्रधान मंत्री से बात की कि इस मामले में आप मेरा पिण्ड छुड़ाइये हाईकोर्ट के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिये, उन्होंने भी अनेक जगह बात की है और आम राय है मंत्रिमंडल में ही लोगों की राय है कि खण्डपीठ की स्थापना हो जाय । एक आयोग की रिपोर्ट के बाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बवाल होने के बाद जबकि मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों की सहानुभूति है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने मुख्य मंत्री जी से बात कर ली है, मंत्रिमंडल की राय ले ली है। इस तरह की बात कहना कि कोई बेंच स्थापित नहीं होगी यह युक्तिसंगत नहीं है इस पर आप पुनर्विचार करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हाईकोर्ट की बेंच बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, अगर नहीं है तो इस विषय पर इस सदन में चर्चा किन नियमों के तहत की जा रही है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री संजय गर्ग, श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, आर्य रामशरन जी, स्वामी ओमवेश जी तथा माननीय न्यायमंत्री जी को सुनने के बाद मैं प्रस्तुत सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं ।

(श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, स्वामी ओमवेश, श्री संजय गर्ग, श्री आर्य राम शरन तथा के साथ लोकदल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये) तथा हाईकोर्ट बेंच की स्थापना तथा इस विषय पर चर्चा की मांग करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अपना निर्णय दे दिया । आपने नियम–56 के अन्तर्गत एक सूचना दी, मैंने ग्राह्यता पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया । उसके बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर आया और एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया, अब मैंने इसको निरस्त कर दिया है ।

(वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा स्वीकार किये जाने का आग्रह किये जाने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

लोकतंत्र में आग्रह तो चल सकता है, लेकिन दुराग्रह नहीं चल सकता । आप लोग वेल में खड़े होकर अपनी बात कहें, यह उचित नहीं है । कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें । आग्रह करना आपका अधिकार है, लेकिन पूर्वाग्रह न करें । मैं तीसरी सूचना के लिये पुकार रहा हूं ।

(वेल में आये सदस्यों द्वारा पुनः चर्चा स्वीकार किये जाने का आग्रह किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वेल में आये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह बात अंकित नहीं होगी । समरपाल जी, कौकब जी आप लोग तो पुराने अनुभवी सदस्य हैं । अब सारी बातें आ गयी हैं, वेल में खड़े होकर चर्चा की आवश्यकता नहीं है । कृपया करके अपने स्थान पर जायें ।

(सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर वापस न जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग मेरा आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित कर रहा हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 03 बजकर 27 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 03 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में प्रश्न उठा था । 2 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन हो रहा है, साढ़े चार करोड़ जनता की मांग है कि वहां पर खण्डपीठ की स्थापना हो । या तो सरकार इस बात की घोषणा करे कि वह केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर खण्डपीठ की स्थापना की जाए या इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर तो निर्णय हो चुका है । पीठ ने इसे निरस्त कर दिया है ।

तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम अचल राजभर, श्री राम ललित चौधरी और श्री अकबर हुसैन जी की है ।

(श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री संजय गर्ग, स्वामी ओइमवेश, श्री आर्य राम शरन तथा श्री बाबू चौधरी पुनः उक्त प्रकरण पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, या तो खण्डपीठ की स्थापना किये जाने की घोषणा सरकार कर दे, यदि नहीं कर सकती है तो चर्चा स्वीकार कर ले, इस पर क्या दिक्कत है ?

श्री अधिष्ठाता–

एक बार इस पर निर्णय हो चुका है । इसको पीठ ने निरस्त कर दिया है ।

श्री संजय गर्ग–

(वेल में) माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी जबाब दे दें, हम संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर चलिये ।

श्री कौकब हमीद–

(वेल में) मान्यवर, आपसे गुजारिश है कि इस मसले को तय करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया पहले आसन ग्रहण करिये ।

श्री कौकब हमीद–

(वेल में) इस शर्त पर आसन ग्रहण करने जा रहा हूं कि आप इस पर चर्चा स्वीकार करेंगे । मान्यवर, पश्चिमी उ० प्र० के मंत्री थे, वह फेस नहीं कर पा रहे हैं और खुद उठकर चले गये । वह भी चाहते हैं कि चर्चा हो जाये ।

(वेल में आये हुए सदस्य श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर अपने-अपने आसन पर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

यद्यपि यह सूचना निरस्त की जा चुकी है फिर भी यदि संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पीठ से निर्णय हो चुका है, आपका विवेक है, चर्चा कराना चाहें तो चर्चा से बचने की कोई बात नहीं है । चर्चा पर हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, न्यायोचित मांग है, माननीय नेता सदन भी आ चुके हैं । 6 करोड़ जनता की भावनाओं का सवाल है । पश्चिमी उ० प्र० की पूरी जनता आन्दोलित है और आन्दोलन उग्र रूप धारण कर रहा है। मान्यवर, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर इस पर चर्चा करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

एक बार यह सूचना निरस्त हो चुकी है । अगर इस पर कुछ कहना है तो कल सूचना को फिर दे दीजियेगा ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, दुबारा सूचना न दिलवाईये । चर्चा के लिये माननीय मंत्री जी मान गये हैं । इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कल के लिये जैसा आप निर्देश दें, चर्चा के लिये कोई आपत्ति नहीं है । कल चर्चा रख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आपत्ति नहीं है, इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार की जाती है । अगली सूचना क्रम संख्या–3 माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के ऊपर बर्बर अत्याचार, जुल्म-ज्यादती बड़े पैमाने पर हो रही है और विशेष रूप से दलित, पिछड़े और अकलियत समाज के लोगों की सामूहिक हत्यायें की जा रही हैं । नक्सलपंथी कहकर फर्जी मुठभेड़ के लोग शिकार बनाये जा रहे हैं । इन लोगों को फर्जी केसेज में फंसाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । भयमुक्त समाज का नारा देने वाली इस [× × ×] यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में हसनगंज थाने के अन्तर्गत छिउका गांव में पाल समाज के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी हत्या में शरीक लोग आज तक पकड़े नहीं गये हैं । यह आज कानून की हैसियत है इससे लगता है कि शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । इसी तरह से फतेहपुर की घटना को तीन दिन भी नहीं बीते थे कि 13 जून को अलीगढ़ गांव में जाति विशेष के लोगों द्वारा जिस तरह से नृशंस हत्यायें की गयीं हैं उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मखौल दिन दहाड़े उड़ा है ।

मुख्य मंत्री जी रोज कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करेंगे और भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनायेंगे लेकिन उसके ठीक उल्टा हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है । अलीगढ़ की घटना के 5 दिन भी नहीं हुये थे कि फतेहपुर जनपद में 17 जून को हुसैनगंज थाने में हसनापुर गांव में पुनः 5 दलितों की हत्या कर दी गयी । इसी प्रकार से मुरादाबाद में 23 जुलाई को 6 मुस्लिम लोगों की सामूहिक हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि बावरिया जाति के लोगों ने हत्या कर दी है । इसी कड़ी में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 18 अगस्त को गोण्डा जनपद की कोतवाली के अन्तर्गत मेवातियान कस्बे में पुनः मुस्लिम समाज के 6 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी और अभी अभी 16 सितम्बर को फैजाबाद जनपद में लक्ष्मणपुर ग्रंट पूरे वृन्दावन में 6 लोगों की हत्या कर दी गयी ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[× × ×] यद्यपि कानून और व्यवस्था पहले भी जर्जर थी लेकिन [xxx] मुख्य मंत्री जी आप जो कहते हैं कि [× × ×] पर अंकुश लगायेंगे, आपकी इस बात को सामूहिक हत्याओं द्वारा बेनकाब किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो हमने सामूहिक हत्याओं का मसला दिया है इसी तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में आये दिन इसी प्रकार से दलितों, पिछड़ों की हत्याओं का दौर चल रहा है । अभी प्रतापगढ़ जनपद में इसी 18 तारीख को 18 सितम्बर को वहां पर प्रतापगढ़ से लगा हुआ कस्बा है कोतवाली से लगा हुआ है वहां पर एक दलित महिला को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वहां पर एक मनचले गुण्डे के द्वारा शराब पीने के लिए गिलास मांगने पर वह मना कर देती है यह उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है उसकी पिटाई की जाती है कि वह महिला घटनास्थल पर ही दम तोड़ देती है । बेचन सिंह को इस कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार द्वारा बरी कर दिया गया जो मुख्य अभियुक्त था । जो घटना में मुख्य मुल्जिम है जिसकी नामजदगी एफ०आई०आर० में है उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी । मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है । इसी तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है ।

अभी लखनऊ में 23-24 की रात को गोमती नगर में रेनू टंडन व मधु टंडन डाक्टर दम्पत्ति की हत्या कर दी जाती है । उसका राज आज तक प्रशासन नहीं खोल सका है । मुल्जिमों को सरकार पकड़ नहीं पाई है । यही पुनरावृत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है । 18-19 की रात जून में इसी लखनऊ में शिशिर वर्मा जो मंडी उपनिदेशक है उनका पुत्र जो बी०एच०यू० में इंजीनियर का छात्र था उसकी हत्या गुण्डों ने उसके घर जाकर कर दी । इसी तरह से लखनऊ के गाजीपुर थानान्तर्गत 16 जून को एक मत्स्य अधिकारी की हत्या कर दी जाती है कहीं उप निदेशक के लड़के की हत्या हो रही है , कहीं मत्स्य अधिकारी मारा जा रहा है । इसी तरह से आजमगढ़ में एक मंडलीय क्रीड़ा अधिकारी जो सोनकर समाज का था उसकी हत्या हो गई । यह सरकार एक भी मुल्जिम को पकड़ नहीं पा रही है । आज सरकार के अधीन काम करने वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं । इलाहाबाद के नवाबगंज थाने का एक पुलिस कर्मी वहां पर लड़की के साथ बलात्कार करता है उसकी एफ०आई०आर० भी दर्ज हो गई अनेकों बार वहां पर अधिकारियों से कहा गया एस०एस०पी०, जिलाधिकारी, आई०जी०, प्रमुख सचिव, गृह, डी०जी०पी० को भी पत्र दिया गया ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया गया लेकिन वह पुलिसकर्मी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया । इसी तरीके से मान्यवर, इसी 6 जुलाई को मेहटावर का रत्नाकर सिंह जो कि कुर्मी समाज का आदमी था, उसको बनारस में मार दिया गया । आदमी पकड़ा गया और उसने मारने वालों के नाम भी बतायें । लेकिन इस शासन प्रशासन में बैठे लोग नाम बताने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाये । यह सरकार आज विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों को तबाह करने पर लगी है । उनकी जान की भूखी है । जगह-जगह पर सामूहिक हत्या और कहीं पर फर्जी मुठभेड़ में और किसी को नक्सलपंथी कहकर गोलियों का शिकार बनाया जा रहा है । जहां के हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, इनके गृह जनपद का मामला है । इनके घर से लगा क्षेत्र चन्दौली है वहां पर 14 अगस्त को मराचू चमार की सैय्यद राजा थाने में नक्सलपंथी कहकर हत्या कर दी जाती है । वह एक कमेरा व्यक्ति था, उसने किसी सामन्ती के इशारे पर नाचना कबूल नहीं किया । इस मराचू चमार की हत्याकांड के बाद जितेन्द्र चमार की भी सैय्यदराजा थाने जो कि चन्दौली में आता है की हत्या कर दी जाती है । आज पूरे प्रदेश में [× × ×]मिर्जापुर भवानीपुर कांड की शुरुआत वहां से होती है जब 16-16 लोगों को नक्सलवादी कहकर हत्या कर दी जाती है और जब तफतीश की जाती है तो उसमें एक भी नक्सलपंथी नहीं निकलता । पूरे प्रदेश में हायतौबा मची हुई है । लखनऊ में ही आप देखिये नित्य प्रति दो बलात्कार, 3

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हत्या, 4 डकैती की वारदातों की सूचना अखबार में पढ़ने को मिलती है । एफ० आई० आर० दर्ज होती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है । मैंने हफ्ते भर के तमाम समाचार पत्रों से घटनाओं का कलेक्शन किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अखबारों से कलेक्शन किया ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ऐसे तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार एजेन्सियों से जो हमारे जिले में कार्यरत हैं, कार्यकर्ताओं से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बात करके मात्र एक हफ्ते के आंकड़े बता रहा हूं कि एक दर्जन लोग मारे जाते हैं और यह सब ही दलित समाज के लोग हैं । इसी प्रकार से 8 अन्य लोगों की हत्याएं होती हैं जिनमें कुछ डाक्टर, कुछ व्यापारी और कुछ अन्य अधिकारियों के घरों के लोग हैं । चेन छीनने की घटनाएं बेशुमार होती हैं । एक दर्जन चेन रोज छीनने की घटनायें हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए केवल यह कहकर कि यह तो विपक्ष के लोगो का कहना है, यह इनका कार्य है, यह कह कर हीला हवाली नहीं करनी चाहिए .। दो महीने बाद चुनाव में जाना है और आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे । फिर यह तो आप मान ही चुके हैं इसीलिए गांव में दिन में नहीं रात में जाते हैं क्योंकि मुंह में कालिख लग चुकी है । [xxx] मान्यवर, आप बड़े विद्वान हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप जानते हैं कि रात में कौन चलता है या तो उल्लू या फिर चोर । [xxx] दो महीने बाद क्या हालत होगी ?

आज प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी जर्जर है, [xxx] प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । कानून व्यवस्था का नाम निशान मिट गया है । आज अपराधियों के पौ बारह हैं । जो जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता है लेकिन यह [xxx] अभी संजय झुनझुनवाला का अपहरण हो गया था । 50 लाख एक करोड़ की फिरौती लेकर छोड़ा गया । तमाम चोरी, डकैती, बलात्कार अपहरण की घटनाएं इनके देखरेख में संरक्षण में हो रही है । मान्यवर, यह स्वाभाविक भी है कि [xxx] वहां कानून व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी नीयत साफ है, स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के पक्षधर हैं तो ऐसे लोगों को जिनके नाते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई है जिन लोगों के संरक्षण में अपहरण और फिरौती के कार्य चल रहे हैं जिन लोगों की देखरेख में ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है इसमें अंकुश लगाना होगा हम चलते-चलते बताना चाहते हैं बात बुरी लग सकती है लेकिन अलीगढ़, फतेहपुर में जो सामूहिक हत्यायें हुई हैं मान्यवर, [xxx] अगर यह सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को खतरा पैदा हो जाएगा, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग भयाक्रांत हैं उनका भयाक्रांत होना उनके जन आन्दोलन के रूप में उतर सकता है । मैं इस अविलम्बनीय लोग महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा की मांग करता हूं ।

कार्य सूची की मद संख्या–48 एवं 49 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) विधेयक, 2001 पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, नियम 225 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने 27-28 तारीख की कार्यसूची को रखा है और वह सर्वसम्मति से पास भी हो गई है उसमें चार बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2001 पर विचार करने के लिए समय निश्चित किया है । एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है चार बजे समय निश्चित किया है इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से इसका समय 5.00 बजे कर दिया गया है ।

श्री बी०आर० वर्मा–

सदन पास कर चुका है, कार्य-मंत्रणा समिति में पारित हुआ है जैसा आप कह रहे हैं तो इसको सदन में रखकर समय को चेंज करते ।

कार्य सूची की मद संख्या–48 एवं 49 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2001 पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव

संसदीय, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, हम चार बजे के लिये तैयार हैं चार बजे की तैयारी थी हम चाहते थे इनका सहयोग मिल जाता लेकिन सहयोग नहीं मिल पाया इसलिए जो वर्मा जी की भावना है उससे सहमत होते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–48–49 को चार बजे के बजाए पांच बजे रख लिया जाए ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि मद संख्या–48, 49 जिसका समय चार बजे निर्धारित था का समय पांच बजे कर दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि 56 की ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष ने इतना लम्बा उद्‌बोधन दिया है मुझे लगता है काफी समस्यायें काफी बातें कह दी हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

*श्री राम अ ा रा र–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त भयावह हो गई है । भयमुक्त समाज का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी गुण्डों और अपराधियों के सामने लचर हो गई है, अपहरण की चोरी की दर्जनों घटनाओं की चर्चा की खासतौर से राजधानी के बारे में अधिष्ठाता महोदय सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि आज लखनऊ में दहशत, आतंक, गुण्डागर्दी, डकैती और लूट चल रही है । यह पूरे सालों साल से चल रहा है । कच्छा-बनियान गिरोह सक्रिय है । आज यह [xxx] मैं अपने जिले अम्बेडकर नगर की कुछ बात कहना चाहूंगा । आज वहां पर अल्पसंख्यक, दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को साजिश के तहत अपराधिक मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है । हमारे यहां एक गुद्‌दी खां एक नौजवान है जिसकी 17-9-2001 को गोली मारकर हत्या कर दी । 26/27 की रात में दर्जनों मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पकड़ लिया । अकरम और पप्पू नाम के नौजवान निर्दोष हैं लेकिन उनको जेल भेजने की साजिश चल रही है । मान्यवर, अम्बेडकर नगर के सिंधिपुर थाना में 17-9-2001 की एक घटना है । यहां पर त्रिलोकी राजभर के मकान को पुलिस वालें ने जला दिया । जो महिलाएं बचाने गयी थीं उन महिलाओं को मारा गया । रानी 15 वर्ष, सुनीता 22 वर्ष, रेखा, रामपती, कुन्ता, 17 वर्ष आदि दर्जनों महलिाओं की पिटाई की । [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो नोटिस दी है उसमें यह सब है क्या ? यह कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम अचल राजभर–

माननीय, यह कानून व्यवस्था की बात हो रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रिलोकी राजभर को मारा गया, दर्जनों महिलाओं को पीटा गया और जेल भेज दिया गया । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज तो मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि श्री राजनाथ सिंह का राज है । आज तो जंगल राज कायम हो गया है । इस सरकार के कार्यकाल में कानून का राज नहीं रह गया है । पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है और स्थिति यह है कि जब [xxx] तो कैसे कानून व्यवस्था रह सकती है । [xxx] तो सरकार क्या कदम उठायेगी । मैं यह देख रहा हूं कि कहीं इस प्रकार से उसके स्थायित्व और अस्तित्व पर ही प्रश्न न लग जाये क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है । मान्यवर, मैंने आजादी के बाद से आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी है जिन्होंने ऐसा काम किया । इसी का कारण है कि आज अपराधी राज कर रहे हैं । मान्यवर, अभी परसो ही जिस तरह टण्डन दम्पत्ति की हत्या हुई उसके बाद राजधानी में यह हालत है तो प्रदेश के दूसरे इलाकों में क्या हालत होगी ? जिस तरह गोमती नगर मे टण्डन दम्पत्ति को मारा गया उससे ज्यादा नृशंस, जघन्य हत्या और क्या हो सकती है ? यही नहीं मैं आपका ध्यान और भी जगहों पर दिलाना चाहता हूं चाहे मुरादाबाद हो या कानपुर हो । चाहे प्रदेश का अन्य कोई हिस्सा हो । मुरादाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई और गृह मंत्री जी ने कह दिया कि इसमें कच्छा बनियान गिरोह का हाथ है । मैं आपके सामने ऐसे तथ्य रख रहा हूं जिससे लगेगा कि [xxx] मुरादाबाद के एस०एस०पी० ने स्वीकार किया है कि इसमें कच्छा बनियान गिरोह का हाथ नहीं बल्कि [xxx] मुजफ्फरपुर के एस०एस०पी० ने भी ऐसा ही कुछ बताया है ।

संसदीय स्टाफ एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

घटना कहीं और की है और बता कहीं के एस०एस०पी० रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

श्री विजय कुमार ने बताया कि जब वह गिरफ्तार हुआ वह पुलिस वर्दी में था । उसके पास से दो पिस्टल रिवाल्वर बम आदि मिला । [xxx] अगर इस तरह के क्रान्तिकारी संगठन आतंकवादी संगठन उनकी छत्रछाया में पलेंगे तो अपराध को दूर कैसे किया जा सकता है ?मुख्य मंत्री जी ने कह दिया और गृह मंत्री जी ने लोक सभा में यह कह दिया कि यह कच्छा बनियान गिरोह का काम है । लेकिन पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि यह घटना उसने अंजाम दी है । उसने साफ-साफ कहा कि उसका दल तमाम [xxx] को तोड़ेगा और उनसे संबंधित लोगों की हत्याएं करेगा । क्या इस तरह यह सरकार साम्प्रदायिकता फैलाना चाहती है । एक जगह तो [xxx] आप कहें तो मैं आपको चार्जशीट दे दूंगा और तब आप भी इस बात को मान लेगे । मैं कहना चाहता हूं कि अब [xxx] तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी होगी ? प्रदेश में पूरी तरह से अपराधियों का राज है । [xxx] और सोची समझी साजिश के तहत ये अपराध किये जा रहे हैं । इस तरह पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है । अतः मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इस पर सदन में चर्चा करा दे ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री लोकपति जी । (अनुपस्थित)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रमोद जी के द्वारा चर्चा कराने का आग्रह करना और यह कहना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है यह ठीक नहीं है । उन्होंने कुछ घटनाओं का उल्लेख कर दिया और उल्लेख करने के बाद उन्होंने इसकी इतिश्री समझ ली उन्होंने यह नहीं सोचा कि क्या यह वास्तव में पुलिस के द्वारा करवाया गया है या नहीं ?मान्यवर, मैं केवल कुछ घटनाओं तक ही सीमित रहना चाहता हूं । यह 70 जिलों का प्रदेश है । किसी जनपद में घटना नहीं घटित हुई है, हो सकती है, हुई भी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है । अब घटना किस नेचर की है घटना घटित होने के बाद जो प्रशासनिक व्यवसथा है, प्रशासनिक व्यवस्था ने उस पर कार्यवाही की है । फतेहपुर की 9 जून, 2001 की घटना का उल्लेख किया .302, 201, 364 के मुकदमें कायम हुए हैं । 8 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हो गये चार्जशीट लगा दी गयी । दूसरी घटना 17-6-2001 की है 4 आदमियों को नामजद किया गया था एफ०आई०आर० में दो को जेल भेज दिया गया और दो ने आत्मसमर्पण कर दिया । जितनी भी कार्यवाही हुई है इफेक्टिव कार्यवाही हुई है । जहां गिरफ्तारी नहीं हुई हैं वहां गिरफ्तारी करने के लिये विशेष दल गठित कर दिये गये हैं । प्रयास चल रहे हैं । 15/16 सितम्बर, 2001 में बीकापुर के अन्तर्गत घटना का उल्लेख किया गया । दो आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं । इनमें कोई घटना ऐसी नहीं है जो साम्प्रदायिक नहीं हो, कोई घटना ऐसी नहीं है जिसको पुलिस वर्कआउट करने में कामयाब नहीं हुई हो । मुरादाबाद की घटना का उल्लेख किया गया । आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने बयान दे दिया कि इसमें फलां गिरोह का हाथ था । जिस प्रकार की घटना घटित हुई है वहां लूट हुई है चोटें आयी हैं एक इतिहास इन घटनाओं का हो रहा है, इतिहास का परीक्षण करके प्रथम दृष्टया यह बात आयी कि कच्छा बनियान के लोग क्रिमिनल टाईप के लोग जो इस प्रकार की घटना घटित करते है, इसलिये उनका उल्लेख किया गया । मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के और कम से कम यहां विधान मंडल दल में उसके नेता हैं । अगर मैं आपसे पूछूं आप हम पर आरोप लगा रहे हैं एफ०आई०आर० का । जिनका कन्विक्शन हो लिया उनके समर्थन में दुहाई देते घूमते रहे सारे देश में जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है उनके समर्थन में अब अकेला दल है पूरे देश मे एक दल ऐसा है । (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

आपके मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री हैं जो चार्जशीटेड हैं अगर नैतिकता है उन मंत्रियो से [illegible] क इस्तीफा दें और यहां प्रदेश की बात करे ।

श्री हुकुम सिंह–

एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल उनके पीछे चट्टान के रुप में खड़ा हो गया । सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और आपका चेहरा भी उजागर करके दिखा दिया ।

माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर इस बात की समीक्षा करते हैं बराबर दबाव बनाते हैं । जहां जहां ढिलाई आयी है वहां अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है । मौर्य जी ने कहा कि [illegible] तो रात में जाते हैं हम तो दिन में भी जाते हैं रात में भी जाते है लेकिन अगर आप मान्यवर, रात को चले गये तो

उस गांव की क्या हालत होगी । गांव खाली हो जायेगा । मुख्य मंत्री जी को लोग पहचानते हैं । हम तो रात दिन मेहनत करने वालों में से है आपसे आग्रह है कि रात में मत चले जाना । मान्यवर, मैं हर घटना का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिन घटनाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी है । पुलिस ने तफ्तीश भी की है और गिरफ्तारी भी शेष में कार्यवाही की जा रही है । डा० परिवार की हत्या हो जाये यह दुर्भाग्यपूर्ण है ही । आप राजनीति न करें । सरकार अपने दायित्व को निभाने में सक्षम है निभा रही है । कार्य स्थगन का यह प्रस्ताव बनता नहीं है । कृपया निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जो मामला हम लोगों ने उठाया है सरकार क्या कार्यवाही कर रही है यह बताया नहीं, किसी प्रदेश मे चले गये किसी का जिक्र करने लगे । आप दूसरे प्रदेश में न जाये आपके केबिनेट में कोई ऐसा मंत्री है जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्वीक्ट भी किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बातचीत लम्बीचौड़ी हाक दी जैसा पहले हांकते रहे हैं कि यह कार्यवाही हो गयी वह कार्यवाही हो गयी । मैं बता रहा हूं इलाहाबाद में नवाबगंज थाने में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ आरोपी के खिलाफ एफ० आई० आर० हो गयी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई । प्रतापगढ़ में वरनपुर में सुवतिया जो चमारिन है उसकी हत्या 18/19 की रात में हुई अभी तक मुख्य मुल्जिम गिरफ्तार क्यों नहीं किये गये और इसी तरह से जालौन में एक महिला को जलाकर मार डाला गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, इसी लखनऊ में माल थाना में सताना के साथ, पासी विरादरी की थी, सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, प्रतापगढ़ के पतरहा गांव में मनोरमा के साथ बलात्कार का प्रयास हुआ, असफल होने पर उसको जलाकर मार डाला गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है, यहां लीपापोती करने के लिए बैठी हुई है । इसी लखनऊ में अभी 4 दिन पहले एक डाक्टर दम्पत्ति की हत्या हुई थी और अभी अपराधी ट्रेसआउट नहीं हुए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं जो सच्चाई है उसकी बात करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी विवाद का कोई अन्त होगा, सूचना आपने दी उसमें आपने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया उसके बारे में मैंने विवरण मांगा और उसको मैंने यहां पर बता दिया उसके बाद आपके पास सप्लीमेन्टरी सूचना कहीं से आ गयी और उसका फिर उल्लेख आपने भाषण में कर दिया कोई ऐसा इलेक्ट्रानिक सिस्टम यहां पर तो है नहीं कि आप बोलते रहेंगे और सूचना आती रहेगी । आपके द्वारा दी गयी सूचना को मैं पढ़ सकता हूं जिन घटनाओं का उल्लेख आपने किया है उसके बार में मैंने बता दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

चौथी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दें । यह आपकी पीठ का विवेक हैं कि आप मुझे बोलने दें मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो भी घटनाओं का उल्लेख है कोई सम्प्रदायिक नहीं है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों सिद्धार्थनगर में वह रावण काण्ड हुआ और उत्तर प्रदेश के एक [x x x] ने हजारों लोगों को लेकर गांव को लूट लिया और इसका पूरे प्रदेश ने संज्ञान लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अगर किसी पर आरोप लगाना है तो लिखकर दें इस प्रकार से आरोप नहीं लगायें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसकी सूचना कल दे दीजिएगा ।

चौथी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, नियम–56 की सूंचना के माध्यम से एक बहुत ही खास प्रकरण की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, एक जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार का है जो सीतापुर जनपद में बहुजन समाज पार्टी के नेता रामस्वरूप उर्फ पप्पू सिन्धी एक प्रकरण को लेकर जो प्रजातियां सरकार की तरफ से लकड़ी में छूट दी गयी हैं वह तहसील के द्वारा पकड़ी गयीं तो वह कहने के लिए गये थे कि यह प्रजातियां प्रतिबंधित नहीं हैं । तहसीलदार अपने घर के ऊपर जो 10–12 लोग व्यवसायी थे, किसान थे और उसके साथ में पप्पू सिन्धी थे बात करने गये तो उन्होंने बात नहीं की तो वह यह कहकर चले गये यह अब नहीं मिलेंगे हम जिलाधिकारी से मिलते हैं । जिलाधिकारी, सीतापुर के आवास पर जाकर वह बैठ जाते हैं, जिलाधिकारी तैयार होकर अपने चेम्बर में नहीं आये थे, तो वह उनके प्रतीक्षा कक्ष में बैठे थे, करीब आधा-पौन घंटा बाद तहसीलदार हाथ में रायफल लेकर, एस०डी०एम० हाथ में नंगी पिस्टल लेकर 10–15 आदमियों के साथ वहां पहुंचे और आते ही पूछा कि तहसीलदार के यहां मिलने वाले कौन लोग थे, उन्होंने कहा कि यहां फलां–फलां हैं, तब पप्पू सिन्धी के सीने पर तहसीलदार ने रायफल रख दी और उसके बाद उन सभी लोगों द्वारा उनको इतना मारा पीटा गया कि वह लहूलुहान हो गये, जिलाधिकारी के कमरे में कालीन के ऊपर उनका खून गिरा और वह बेहोश हो गये । मारने पीटने के बाद उनको उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया । दूसरी तरफ इस घटना को फर्जी दिखाकर तहसीलदार की तरफ से एक मुकदमा कायम कराया गया ।

दूसरे दिन तहसीलदार की तरफ से वहां धरना-प्रदर्शन हुआ और तहसीलदार ने लेखपालों से कहा कि यदि उन लोगों को उनके अधीनस्थ काम करना है तो धरना-प्रदर्शन में शामिल हों । उसके बाद वहां कोर्ट बंद कराई गई, आर०ओ०सी० का दफ्तर, नायब तहसीलदार का दफ्तर तथा पूरा विकास भवन

नोट [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बंद कराया गया तथा माइक लेकर नारे लगाना शुरू किया, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के विरुद्ध लाउडस्पीकर लेकर नारे लगाये गये, इस प्रकार दो दिन तक धरना-प्रदर्शन चला । एस० के० रूंगटा, सदर तहसील के तहसीलदार हैं, उनके द्वारा अपने साथियों के साथ सी०सी० कंडक्ट रूल की अवहेलना करके लाउड-स्पीकर का इस्तेमाल कैसे किया गया और जबकि वहां पर धारा–144 लगी हुई थी, मैं यह जानना चाहता हूं ? जब एक जिलाधिकारी का घर सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, सीतापुर जनपद का हाल क्या होगा ? जहां पर दो दर्जन सुरक्षा गार्ड हैं, वहां पर रायफल अन्दर कैसे पहुंची ? मिसाल के तौर पर मैं जिक्र कर दूं, यदि छीनाझपटी में रायफल चल जाती या तों जिलाधिकारी की हत्या हो जाती या फिर अन्य किसी और की हत्या हो जाती । एक एस० डी० एम० जो धरना-प्रदर्शन के समय कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये जाता है, जो परगना मजिस्ट्रेट होता है और एक तहसीलदार इस प्रकार रायफल उठा लें और जिलाधिकारी मूकदर्शक बना रहे तो फिर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी ? दूसरी तरफ पप्पू सिन्धी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, जबकि मुख्य मंत्री जी एलान करते हैं कि हमने आदेश कर दिये हैं कि एफ०आई०आर० लिखने में कोई आनाकानी नहीं की जायेगी । आज भी उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारी भी रिपोर्ट लिखी जाय, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जबकि उन लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया है और वह लोग जेल में बंद हैं । वहां 2 दिन तक लगातार सारा काम बंद रहा, अल्पसंख्यक बच्चे जो फार्म भरने के लिये गये थे, अपने वजीफे के फार्म भरने गये थे, उनको आय प्रमाण-पत्र नहीं मिला, जाति प्रमाण-पत्र दो दिन तक नहीं मिला तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो नीति है कि "काम नहीं तो वेतन नहीं" तो दो दिन का वेतन उन लोगों का काटकर उनसे जवाबतलब किया जाय कि यह धरना-प्रदर्शन किस नियम के तहत् किया गया । एक सरकारी, राजपत्रित अधिकारी को यह अधिकार कहां से मिल गया कि वह माइक के ऊपर लोगों के नारे लगवाये ? वहां लकड़ी के ऊपर गुण्डागर्दी हो रही है, वसूली हो रही है हो सकता कि लेनदेन का कोई झगड़ा हो और पप्पू सिन्धी एक बहाना हो । अगर फाइरिंग हो गयी होती तो डी० एम० की हत्या हो सकती थी । मैं मांग करता हूं कि इसकी सी०बी०सी०आई०डी० के द्वारा जांच करायी जाए और दूसरी मांग यह है कि तहसीलदार को निलम्बित करके और वहां से हटाने के बाद गिरफ्तार किया जाए और पप्पू सिन्धी पर जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है उसे वापस लिया जाए । वहां के जिलाधिकारी इतने भयभीत हैं कि वह सही बाद कहने के लिए तैयार नहीं हैं, वह जानते हैं कि रूंगटा इतना बड़ा बदमाश है, कहीं वह हमारे परिवार की ही हत्या न कर दे । वह कहते हैं कि घटना यहां नहीं हुई । रूलिंग पार्टी के नेता जब जाते हैं उनसे भी गालियों से बात करके बेइज्जत किया जा रहा है और सरकार मूकदर्शन बनी है । वे लोग जिलाधिकारी के यहां कोई झगड़ा करने नहीं गये थे, इन्साफ मांगने गये थे । जब जिलाधिकारी ही अपनी सुरक्षा न कर पाये तो उसके पास कोई अपनी फरियाद लेकर क्यों जायेगा ? मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था बनायी जाए, वहां के लोग भयभीत हैं, काम बन्द है, व्यापारी आन्दोलित हैं, जनता का विश्वास उठ गया है कि पता नहीं क्या हो जाए, किस पर गोली चला दे ? वहां बिल्कुल जंगल राज है । इस गम्भीर मामले पर, इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

प्राप्त जानकारी है, उसके आधार पर यह 19 सितम्बर, 2001 की घटना है इसमें सुबह 5 बजे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और वहां के मण्डी निरीक्षक, इनका एक सचल दस्ता है जो इस बात कोदेखने जा रहा था कि अवैध कटान तो नहीं हो रही है । इनको दो ट्राली मिली जिस पर गूलर और जामुन की लकड़ी भरी थी । उन्होंने स्वामित्व के बारे में जानकारी करनी चाही, उसके बाद दोनों ट्रालियों को तहसील में ले आए लेकिन उसके चालक भाग गये । उसके बाद में श्री राम स्वरूप उर्फ पप्पू सिन्धी अपने सहयोगियों के साथ आए और उनमें कहा-सुनी हुई और मारपीट भी हुई और तहसीलदार के

कथनानुसार उसके परिवार के सामने ही उन्हें अपमानित किया गया और पिटाई की गई । इस मामले में मुकदमा 1239/2001, 306, 452, 523, 427, 506, 553 के अन्तर्गत कायम किया गया है । क्रिमिनल एक्ट भी लगाया गया है । अब स्थिति यह है कि हम इसकी रिपोर्ट मण्डलायुक्त से प्राप्त कर लेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती है । इसे मैं निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की है । वह अनुपस्थित हैं ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

संसदीय, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, एक छोटा सा विधेयक है, राज्य सरकार के हेलीकाप्टर वायुयान हैं उनके मेण्टीनेंस का काम और उनकी सुरक्षा का काम उस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी देखते रहे हैं । सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि जो इन दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनको पुलिस सेवा के अन्तर्गत लाया जाय, इसलिए यह संशोधन किया गया है । जो व्यक्ति इन दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको पुलिस एक्ट के अन्तर्गत काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी माना जाएगा । परन्तु नियत दिनांक से तीस दिन के भीतर दी गई सूचना के द्वारा उक्त पुलिस बल का सदस्य न बनने का जो नियम है उससे मैं सहमत नहीं हूं । उसके बाद उसकी सेवा समाप्त मानी जाएगी और उसे तीन महीने का वेतन दिया जायगा । चूंकि यह सुरक्षा का मामला है इसलिए यह संशोधन लाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 5, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

पुलिस अधिनियम, 1861 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 10 अगस्त, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 1 का संशोधन

2–पुलिस अधिनियम, 1861 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 1 में शब्द "सम्पत्ति" की परिभाषा के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"यद 'नागरिक उड्डयन कार्मिक' का तात्पर्य, पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विंग में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से है जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट करे और इसके अन्तर्गत ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी होगा ;"

नई धारा 2–क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

" 2–क (1) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में या तत्समय प्रवृत्त किसीअन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा

(2) ऐसे दिनांक को और से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, ऐसे समस्त नागरिक उड्यन कार्मिक जो उस दिनांक के ठीक पूर्व नियोजित थे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुलिस बल के सदस्य हो जायेंगे और धारा 8–क के उपबन्धों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किये जायेंगे और तत्पश्चात् कोई भी ऐसा नया सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किया जाएगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर आदेशित करे :–

परन्तु उक्त दिनांक के पूर्व नियोजित कोई नागरिक उड्डयन कार्मिक, महानिदेशक, नागरिक उड्ययन, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित और उक्त दिनांक से तीस दिन की अवधि भीतर दी गयी सूचना द्वारा उक्त पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है, और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उस समय तक उसके द्वारा धारित पद समाप्त हो जाएगा और उसकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में उसके तीन माह के वेतन के बराबर धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।

(3) नागरिक उड्डयन कार्मिकों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाय ।

(4) नागरिक उड्डयन कार्मिक, राज्य सरकार के, या उसके द्वारा किराये पर लिये गये, वायुयान के अनुरक्षण, लखनऊ के हवाई अड्डे की, या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य हवाई अड्डे की, सुरक्षा से सम्बन्धित ऐसे कर्तव्यों का जैसे कि राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य कर्तव्यों का, निर्वहन करेगा ।

(5) नागरिक उड्डयन कार्मिकों को उक्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक ऐसे विशेषाधिकार होंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(6) नागरिक उड्डयन कार्मिकों का प्रशासन, महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश में निहित होगा, जिसकी सहायता अपर निदेशक (प्रशासन), नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जायगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय ।''

4–मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :– नई धारा 8–क का बढ़ाया जाना

''8क–प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक को, जो इस अधिनियम के आधार

नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण-पत्र

पर पुलिस बल का सदस्य हुआ हो, पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ पर, और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये प्रत्येक कार्मिक को उसकी नियुक्ति पर, महानिदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी जैसे कि राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, की मुद्रांकित, नीचे दिये गये प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र मिलेगा ।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ———————————— को नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन एक पुलिस बल है ।''

5–पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक 2001

महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-21, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाना है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में,–

(क) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है ;

(ख) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है ;

(ग) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है;

(घ) ''महिला'' में बालिका या किशोरी सम्मिलित है ।

अध्याय–दो

राज्य महिला आयोग

आयोग का गठन

3–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जायेगा ।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिये समर्पित ऐसी कोई महिला होगी, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट सात सदस्य, जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो :

परन्तु निम्नलिखित में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा :–

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों ;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों;

(तीन) अल्पसंख्यकों ;

(चार) अधिवक्ताओं ;

(पांच) पुलिस अधिकारियों, जो पुलिस अधीक्षक से निम्न श्रेणी के न हों ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो ।

पदावधि और सेवा की शर्तें

4–(1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु सदस्य सचिव या सदस्य जो पुलिस अधिकारी हो, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी समय, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दण्डित किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ;

(ग) विकृत चित का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जायें ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5–(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हो ।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं ।

वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना

(6) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारिग्रों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा ।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

(7) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी ।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया

8–(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा ।

(2)आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा ।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चिय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9–(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना ;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का वर्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना ;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके ;

(ङ) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(च) निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेना :–

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन ;

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन ;

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों से उद्भूत विवाद्यकों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके ;

(ज) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटो को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता ;

(झ) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना ;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी/कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत करना ;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना ;

(ड) महिलाओं से सम्बन्धित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना ;

(ढ) ऐसी परिस्थितियों की, जिनमें महिलाएं फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों या किन्हीं अन्य स्थानों में काम करती हों, जांच करना और उनके काम की दशाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार को संस्तुति देना ;

(ण) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से, जिसमें विवाह, दहेज, बलात्संग; व्यपहरण, अपहरण, छेड़-छाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित अपराध भी सम्मिलित है और प्रसव कराने या नसबंदी या प्रसव या शिशुजन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करना ;

(त) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके ।

(थ) अपने कृत्यों के पालन में धारा–17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना ;

(द) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवाएगी ।

आयोग की शक्तियां

10–किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषत: निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

अध्याय–चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11–(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे ।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा

12–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र, में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा ।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

13–आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा ।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

14–राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

15–आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

16–राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है ।

स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण

17–(1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा ।

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा ।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो ।

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

18–किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

19–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनो के लिए फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय ;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा ;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी ;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

20–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं ।

'उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2001

21–(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–21 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2001

* नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि स्थानीय निकाय के जो अध्यक्ष होते हैं, अभी तक इस प्रकार का प्राविधान था कि उनको दो तिहाई बहुमत से उनके पद से हटाया जाता था । पहले मेयर और स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव सभासदों के बीच से होता था । तब सभासदों को इस बात का अधिकार होता था कि वह उनको हटा सकें क्योंकि उनके द्वारा चुने जाते थे अब इनका चुनाव जनता के बीच से होने लगा है । अब यह महसूस किया गया कि जब उन्हें जनता सीधे चुनती है तो उनको हटाने का अधिकार सभासदों को न दिया जाये इसलिए जो पहले प्राविधान था उसमें संशोधन किया गया है और अब यह अधिकार सभासदों को नहीं होगा । मान्यवर, केवल इतनी सी बात इस विधेयक में है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 47–क का निकाला जाना

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 47–क निकाल दी जायेगी ।

धारा 48 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(क) उपधारा (2), खण्ड (ख) में, उप खण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी है; या

(दस) नगरपालिका निधि का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया है; या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है; या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि इस बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है ग ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझ कर उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित्य कारण के, दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है या किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है;

(ख) उपधारा (2-क) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा ।

धारा 87-क का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 87-क निकाल दी जायेगी ।

धारा 96 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, –

(क) शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेगे;

(ग) परन्तुक में शब्द ''बीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' रख दिये जायेगे;

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1–क) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत या अनुकूलित कोई मोटरयान, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट के बिना उपयोग के लिए नहीं रखा जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद–पांच के खण्ड (क) के अधीन उस श्रेणी के यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर से पच्चीस प्रतिशत अधिक अतिरिक्त कर भुगतान न कर दिया गया हो :"

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी मोटरयान पर लागू नहीं होगे ।

धारा 10 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–"(1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी,

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में–

(एक) उत्तर प्रदेश में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिए, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गयी रीति से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो,

(दो) यथास्थिति, धारा 5 या धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का, जिसकी गणना छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो,''

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर का, जिसकी गणना तृतीय अनुसूची के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से की जायेगी, भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो ।

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटर वैहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1973 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान विहित रीति से चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद पांच के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से न कर दिया गया हो ;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर की दर में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है ।

(तीन) उपधारा (2) में शब्द ''खण्ड (एक) के अधीन'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 22 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) जहां कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिसका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरोध के दिनांक से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन न कर दिया जाय, वहां परिवहन आयुक्त, किसी अन्य ऐसी कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करवा सकता है और ऐसे यान के विक्रय आगम को ऐसे यान सम्बन्ध में देय कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और अतिशेष को, यदि कोई हो, यान के स्वामी या संचालक को वापस कर दिया जायेगा ।"

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में,–

(क) अनुच्छेद-एक में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या–1 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "140.00" और "156.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "177.00" और "198.00", रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "176.00" और "197.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "223.00" और "250.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "223.00" और "248.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "283.00" और "314.00" रख दिये जायेंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "279.00" और "311.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "376.00" और "393.00" रख दिये जायेंगे;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "362.00" और "404.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "458.00" और "511.00" रख दिये जायंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "446.00" और "498.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "565.00" और "630.00" रख दिये जायेंगे;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "557.00" और "622.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "705.00" और "787.00" रख दिये जायेंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "557.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 140.00 और 622..00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 156.00" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "705.00 और 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 177.00 और 787.00 और प्रत्येक 4500 कि० मी० या उसके भाग के लिए रु० 198.00 रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद चार में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "104.00" और "117.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "131.00" और "148.00" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "132.00" और "148.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "167.00" और "187.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "167.00" और "186.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "212.00" और "236.00" रख दिये जायेंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "209.00" और "233.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "265.00" और "294.00" रख दिये जायेंगे;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "272.00" और "303.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "344.00" और "383.00" रख दिये जायेंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "335.00" और "374.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "424.00" और "473.00" रख दिये जायेंगे;

(सात) क्रम संख्या 7.के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये अंक "418.00" और "466.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "529.00" और "590.00" रख दिये जायेंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "418.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 104.00 और 466.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 117.00" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "529.00 और 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 131.00 और 590.00 और 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 148.00 रख दिये जायेंगे;

(ग) अनुच्छेद पांच में–

(क) खण्ड (क) में–

(एक) क्रम संख्या (एक) के सम्मुख दिये गये अंक "225.00" के स्थान पर अंक "300.00" रख दिया जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या (एक-क) के सम्मुख दिये गये अंक "450.00" के स्थान पर अंक "600.00" रख दिया जायंगे;

(तीन) क्रम संख्या (एक-ख) के सम्मुख दिये गये अंक "675.00" के स्थान पर अंक "2000.00" रख दिया जायेगा;

(चार) क्रम संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "4500.00" के स्थान पर अंक "10,000.00" रख दिया जायेगा;

(ख) खण्ड (ख) में,–

(एक) क्रम संख्या (एक) के सम्मुख दिये गये अंक "300.00" के स्थान पर अंक "400.00" रख दिया जायेगा;

(दो) क्रम संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "3000.00" के स्थान पर अंक "4000.00" रख दिया जायेगा;

(तीन) क्रम संख्या (तीन) के सम्मुख दिये गये अंक "12000.00" के स्थान पर अंक "15000.00" रख दिया जायेगा;

6–मूल अधिनियम की छठवीं अनुसूची में, अनुच्छेद-दो में,– छठवीं अनुसूची का संशोधन

(एक) क्रम संख्या (क) के सम्मुख दिये गये अंक "375.00" के स्थान पर अंक "500.00" रख दिया जायेगा;

(दो) क्रम संख्या (ख) के सम्मुख दिये गये अंक "410.00" के स्थान पर अंक "500.00" रख दिया जायेगा;

(तीन) क्रम संख्या (ग) के सम्मुख दिये गये अंक "450.00" के स्थान पर अंक "600.00" रख दिया जायेगा;

(चार) क्रम संख्या (घ) के सम्मुख दिये गये अंक "525.00" के स्थान पर अंक "700.00" रख दिया जायेगा;

(पांच) क्रम संख्या (ङ) के सम्मुख दिये गये अंक "600.00" के स्थान पर अंक "800.00" रख दिया जायेगा;

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–6 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

* संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम) एम० काम०–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उदग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया है । यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार को लोक हित में किसी माल, या माल के वर्ग पर कर के उदग्रहण, या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से छूट प्रदान करने की शक्ति दिये जाने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 , खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 कहा जायगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2–उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–12 सन् 2000 में एक नई धारा 4–ख का बढ़ाया जाना

छूट देने की शक्ति

"4–ख–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, किसी माल या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबूराम, एम०काम०–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह संशोधन धारा–171 में किया जा रहा है । अभी तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और ऐसा भाई जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बेटे जिंदा हैं, उनको न मिलकर जमीन दूसरे भाई को मिल जाती थी । अब इस व्यवस्था से भाई के साथ-साथ भतीजे को भी अधिकार दिया जा रहा है । इससे प्रदेश में बहुत से विवाद होते थे वह समाप्त होंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह स्वागत योग्य है । लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है यह कानून बहुत दिनों से चल रहा था । क्या ऐसा आकस्मिक कारण उत्पन्न हुआ कि सत्र आहूत होने के बाद इसे अध्यादेश की शक्ल में लाना पड़ा ।

मान्यवर, जब सत्र आहूत कर लिया गया था तो क्या कारण है कि यह अध्यादेश लाना पड़ा ? इसके पीछे क्या कारण है ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इस समस्या पर काफी समय से चर्चा हो रही है । बहुत सारे अधिवक्ताओं ने, अनेकों बार के अधिवक्ताओं ने इसके बारे में डिमांड की थी । एक अच्छी बात की गयी है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसको विधेयक के रूप में लाया जा सकता था । सत्र बुलाने के बाद अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिये । आज क्या स्थिति बन गयी कि इसको लाना पड़ा । ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं मंत्री जी या उनके सगे संबंधी या अन्य मंत्रियों का कोई ऐसा प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित था और उसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही थी इसीलिये सत्र आहूत होने के बावजूद भी इस अध्यादेश को लाना पड़ा । इसमें जो संशोधन किया गया है उसका हम स्वागत कर रहे हैं लेकिन अध्यादेश लाकर एक गलत परम्परा कायम की गयी है । सत्र आहूत होने के बाद जिस तरह से इसको अध्यादेश के रूप में पारित किया जा रहा है यह निश्चित रूप से गलत परम्परा को जन्म देता है । इसीलिये इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक तरफ तो वर्मा जी कहते हैं कि यह अच्छा काम है, प्रदेश के हित में है दूसरी तरफ तकनीकी कमी भी बता रहे हैं । विधेयक से हम लाए या अध्यादेश से लाए इससे क्या अन्तर पड़ता है काम ठीक हो तो कभी भी हो जाए । यह काम पेंडिंग था इसलिए यह किया गंया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 कहा जायेगा ।

(2) यह 19 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1951 की धारा 171 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा–171 में, उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(ङ) भाई, जो मृतक के पिता का पुत्र हो, और पूर्व मृत भाई का पुत्र जब पूर्व मृत भाई मृतक के पिता का पुत्र हो ।"

(ख) खण्ड (झ) निकाल दिया जाएगा ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2001

3–(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर कार्य-सूची में संशोधन मुद्रित न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 यह आज ही अध्यादेश के रूप में आया है और आज ही विधेयक के रूप में भी आया है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसका एजेण्डा अभी तैयार नहीं हो पाया है प्रतियां तैयार हो रही हैं । आधे घण्टे का समय सप्लीमेंटरी एजेण्डा के लिए दे दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । आप प्रस्ताव लाएं ।

कार्य सूची की मद संख्या–48 व मद संख्या–49 उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 की अनुपूरक कार्य-सूची का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक एजेण्डा को प्रस्तुत करने की कार्यवाही के लिए आधा घण्टे का समय बढ़ा दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

जो प्रस्ताव संसदीय कार्य-मंत्री जी ने मद संख्या–48 व मद संख्या–49 के सम्बन्ध में आधा घण्टा समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

चूंकि विधेयक के रूप में हम लोगों ने संशोधन दिया है, संकल्प दिया है, अध्यादेश के ऊपर संकल्प है, विधेयक के ऊपर संशोधन प्रस्ताव है । अभी तक यह कार्य-सूची में अंकित हो जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अधिष्ठाता ने 5 बजे सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 5 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

लखनऊ में कतिपय व्यक्तियों को गोली लगने से हुई मृत्यु की सूचना

श्री बी० आर० वर्मा–

अभी चर्चा हो रही थी, सरकार कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपा रही है और लखनऊ के अन्दर पांच-पांच लोगों को गोलियों से भून दिया गया है । विधान सभा के चलते यह हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

लखनऊ की स्थिति क्या है ? क्या लखनऊ में सचमुच गोली चल गई है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

एक परिवार के पांच-पांच लोग मारे गए हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

विधान सभा का सत्र चल रहा है और पांच लोगों की मृत्यु हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

पांच लोग मार दिए जाएं और कर्फ्यू लग जाए ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सदन के चलते समय यह घटना हुई है पांच मुस्लिम समाज के लोग मार दिए गए हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

हमारे रास्ते में तो कर्फ्यू नहीं लगा है, पता चला रास्ते में कर्फ्यू लगा है गोली चल रही है । संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें कहां-कहां कर्फ्यू लगा है ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं अधिकृत सूचना मंगा रहा हूं जैसे ही सूचना आएगी मैं सदन को अवगत करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जल्दी मंगा लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

चार घण्टे से कर्फ्यू चल रहा है, कह रहे हैं सूचना मंगा रहे हैं क्या यही कानून व्यवस्था है ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

जितनी जानकारी हो उतनी ही बता दें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो अधिकारी सूचना भेजेंगे हो सकता है वह वहां शान्ति व्यवस्था में लगे हों, कुछ कार्य में लगे हों । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना मंगा रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी तक क्या स्थिति है वही बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं चूंकि कानून व्यवस्था पर नियम–56 पर चर्चा चल रही थी उस चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से होकर गए हैं उस समय लखनऊ शहर में बलवा होने की बात आई है माननीय सदस्यगण यह जानना चाहते हैं इसमें सत्यता क्या है, हादसा क्यों हुआ ? कितने लोग मारे गए ? कर्फ्यू है तो कहां है ? कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको जाना होगा, तो कहीं उनको कर्फ्यू के रास्ते से तो नहीं गुजरना होगा । जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा हम सूचना मंगा रहे हैं मैं आपके माध्यम से इतना अनुरोध करना चाहता हूं जो सूचना मंगवाई है वह सदन उठने के पहले सदन को अवगत करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक बात है सदन उठने के पहले संसदीय कार्य मंत्री अवगत करा दें ।

संविधान (इक्यानबेवां संशोधन) विधेयक, 2000 पर संकल्प

श्री अध्यक्ष–

यह मैं अनुपूरक कार्य-सूची से ले रहा हूं।

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (इक्यानबेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन, जो अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (घ) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय के प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वह हमको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

अभी मिल जायेगा। मैं अभी प्रतियां उपलब्ध करा रहा हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह तो अनुपूरक कार्य-सूची बट रही है।

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान विधेयक, 2001

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुपूरक कार्य-सूची तथा पुरःस्थापित किये गये विधेयक की प्रतियां प्राप्त न होने पर आपत्ति

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह भी हमको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे ऐसी सूचना मिली है कि इसे पिजन होल में रखवा दिया है ।

श्री लालजी वर्मा–

अगर पिजन होल में रखवा दिया है तो मैं जाकर देखता हूं ।

(थोड़ी देर बाद)

मान्यवर, मैंने अभी जाकर देखा कि पिजन होल में यह नहीं रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

सचिव, जरा देखिये । किसने यह भ्रामक सूचना दी है ? इसको रखवाइये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अगर सदन में इसी तरह की सूचना दी जायेगी तो फिर सदन की गरिमा क्या रहेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अगर नहीं रखा गया है तो इसे रखवायें ।

(मद संख्या–47 घ पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इतनी जल्दी क्या है कि आज ही रखना है । आज ही इसको पारित करना है । आप दो-चार दिन का हाऊस क्यों नहीं बढ़ा लेते ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज एक नई परिपाटी डेवलप हो रही है । नये दृष्टांन्त बनाये जा रहे हैं और यह हमेशा याद रखा जायेगा कि एक ही दिन अध्यादेश रखा गया, उसी दिन विचार हुआ और उसी दिन पारित हो गया । एक नहीं 9,10 विधेयक आप ले आये हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह तो उसी तरह से हुआ कि 31 मार्च को पैसा गया और उसी दिन सड़क बन गयी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, विनियोग विधेयक को छोड़कर किसी में भी उसी दिन विचार करके पारित नहीं हुआ । मान्यवर, एक नहीं 10-10 अध्यादेश रखे गये उसका पुरःस्थापन हुआ, विचार हुआ और पारण हो रहा है । मैं चाहूंगा कि सदन की गरिमा को रखा जाय । नियमावली को समाप्त न किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ऐसी जल्दी क्या है ? अगर विधान परिषद् से पारित कराना है तो हमें समय दे दें । एक दिन का समय दे दें । जो नियमावली है पढ़ लें, संशोधन प्रस्तुत कर दें उसके बाद विधान सभा में पारित हो जाये । किस ज्योतिषी ने बताया है कि कल विधान सभा स्थगित कर दी जाये । यह सदन गुलाम नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । मान्यवर, आप इनसे कहने का कष्ट करें कि ये नियमावली का पालन करें । आप यह कर सकते हैं क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, श्री बरखूराम वर्मा जी परम्पराओं की बात कर रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ ? श्री वर्मा जी शासन को सुशोभित भी कर चुके हैं उस समय मैंने देखा था कि दर्जनों बार एक ही दिन में पुरःस्थापित हुआ, अनुज्ञा ली गयी, चर्चा हुई और उस पर प्रस्ताव भी आये । अब यह कह रहे हैं कि यह आवश्यकता अनुरूप होता है, परिस्थिति अनुरूप होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, परिस्थिति क्या है ?

मान्यवर, परिस्थिति यह है कि काम करो ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है । मैं यह नहीं जानता कि कब ऐसा हुआ है ? और अगर पहले हुआ भी है तो हुआ होगा । लेकिन, आज की तारीख में इस पर आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि यह उचित नहीं । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस सदन की परम्परा को बताने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं, कि मेरे समय में भी ऐसा हुआ है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे समय में कोई ऐसा अध्यादेश आया और पारित हुआ । क्या संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे ? अभी जो यह कार्य-सूची मिली है उसे ऐसे छापा गया है जैसे हमारी ही चिट्ठी को छाप दिया गया है । पूरी की पूरी चिट्ठी को छाप दिया गया है । मान्यवर, यह त्रुटि क्यों हो रही है ? मान्यवर, इसका कारण यह है कि [x x x] मान्यवर, इसलिए ऐसी परम्परा नहीं बननी चाहिए जिसे आने वाले दिनों में सदन की गरिमा को गिराने वाली परम्परा के रूप में याद किया जाये ।

मान्यवर, 12वां दृष्टांत बन जाये तो फिर उसकी आने वाले दिनों में बराबर दुहाई दिया करेंगे ।

मान्यवर, सदन सर्वोपरि है इस सदन की गरिमा को कम न होने दें इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हम अपवाद को नियम बनाने के पक्ष में नहीं है । यह अपवाद है इसको सामान्य नियम न बनाया जाये । मेरा आग्रह है कि इसको ले लें और आगे ध्यान रखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह विधेयक महत्वपूर्ण है अपनी आपत्ति प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक आपत्ति का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान विधेयक, 2001 रखा गया है, उस समय रखा जा रहा था । इस समय पिजन होल्स में रख दिये गये हैं । यह मुझे सूचना मिली है । मेरे उप सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अधिकारी ने इस बात की जांच कर ली है । दूसरी बात जहां तक वर्मा जी का पूरा पत्र ही लगा दिया गया है, उसमें ऊपर के शब्द तो नहीं आने चाहिये थे । पत्र का जो ऊपर का अंश है वह नहीं आना चाहिये था । मैंने निर्देश दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की बात न हो । चूंकि समय का अभाव है, आपकी सुविधानुसार यथावत् संलग्न कर दिया है । इसमें ऊपर का अंश निकाल देना चाहिये था ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरकार क्या जा रही है जो समय कम है ?

श्री अध्यक्ष–

यह विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित प्रश्न था इसलिये मैंने कहा । सरकार जाने की जल्दी में नहीं है । मद संख्या–47 ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ कहेंगे भी इस सम्बन्ध में ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जब विधेयक आयेगा उस समय कहूंगा । काफी त्रुटियां हैं । अब इसके बाद विधेयक आयेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपने अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प रखा था ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 47 (घ) वह इस विषय पर अध्यादेश है उसका आपने अननुमोदन कर दिया । अननुमोदन के संकल्प पर तो मतदान होगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

यह मान्यवर, 47(घ) पर मतदान होगा कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आपने जो अध्यादेश के अननुमोदन की बात कही है पहले उस पर मतदान होगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उसको भी साथ में रख दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह दूसरा आ गया इस पर हम लोगों की मंशा संशोधन की है ।

श्री अध्यक्ष–

संकल्प तो अध्यादेश के अननुमोदन के लिए है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, दोनों प्रस्तुत हो जाय और दोनों पर संसदीय कार्य मंत्री अपने विचार रख दें ।

श्री अध्यक्ष–

विधेयक प्रस्तुत हो गया आप संशोधन रख दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 के निम्नलिखित खण्डों एवं अनुसूचियों में संशोधन कर दिया जाय–

1–खण्ड (ख–2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं अर्थात्:–

खण्ड–2(1) नागरिकों के अन्य अत्याधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) का तात्पर्य अनुसूची एक के भाग–ग–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ।

खण्ड–ख–2(II) नागरिकों के अन्य अत्याधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) का तात्पर्य अनुसूची एक के भाग–ग–2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ।

2–खण्ड (ख–3) में ''अत्याधिक पिछड़े वर्गों'' के स्थान पर अत्याधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) अत्याधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) रख दिये जायं ।

3–धारा–3(1)(च) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय:–

(च) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) के मामले में छः प्रतिशत ।

(छ) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) के मामले में आठ प्रतिशत ।

परन्तुक में (च) के आगे (छ) बढ़ा दिया जाय ।

4–''धारा (3–क) में जहां-जहां अत्यधिक पिछड़े वर्गों'' शब्द आया है इसके स्थान पर ''अत्यधिक पिछड़े वर्गों'' (गैर मुस्लिम) अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) शब्द रख दिया जाय ।

5–मूल अधिनियम की धारा–3 में संशोधन के बाद एक नई उपधारा 3(1) जोड़ दिया जाय 1–''3''(1)–एक या एकल पद पर भी रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

6–अनुसूची – एक के भाग के में ''2–जाट'' शब्द रख दिया जाये, तथा भाग ''ख'' में से ''2–जाट'' शब्द हटा दिया जाये,

भाग ग को दो श्रेणी में बांट दिया जाय । ग–1 के अन्तर्गत (गैर मुस्लिम) जातियां तथा ग–2 के अन्तर्गत मुस्लिम जातियां रख दी जायं ।

7–अनुसूची – दो में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :–

''पांच सम्पत्ति स्वामी'' खण्ड को निकाल दिया जायं ।

(छः) आय या सम्पत्ति मानदण्ड के (क) खण्ड में ''तीन लाख रुपये'' की जगह पांच लाख रुपये रख दिया जाय ।

कार्य सूची की मद सं०–47 घ में अननुमोदन के संकल्प पर व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है –47 (घ) में है यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है तो यह अधिनियम का अननुमोदन कर रहे हैं या अध्यादेश का कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अध्यादेश का अननुमोदन कर रहे हैं इसलिये मैंने सोचा था कि अलग से मतदान करा लूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं भी अपना संशोधन प्रस्तुत कर दूं ?

श्री अध्यक्ष–

हां, आप भी अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं । अध्यादेश का अननुमोदन तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं । हम लोग तो अधिनियम के बारे में विचार कर रहे हैं । अध्यादेश को हटाकर अधिनियम बना रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नियमावली में है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के खण्ड–3 में निम्नलिखित संशोधन जोड़ दिया जाय :–

1 (च) खण्ड–3 के उपखण्ड (1) में नया उप खण्ड (6) बढ़ा दिया जाय जिसमें मुसलमानों को अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में उनकी आबादी के अनुपात मे 9 प्रतिशत अलग से आरक्षण हो ।

2–(छ) आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों को उनकी आबादी के अनुसार 15 प्रतिशत का आरक्षण हो ।

3–(ज) अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिये उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण हो ।

विचार बाद में प्रकट कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले मुख्य मंत्री या माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल लें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह सेवा में आरक्षण का हमारा अधिनियम, 1994 है, अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किया गया । प्रस्तावित इसलिये किये गये हैं क्योंकि जब से आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, उसका जब परीक्षण किया गया, बार-बार यह शिकायत आती रही जितने भी फोरम्स थे, सबसे शिकायत आई कि जो वर्ग, जो जातियां लाभार्थी के रूप में रखे गये थे, उनको समान रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है । कुछ जातियों के बारे में यह पता चला कि लेशमात्र भी लाभ उन तक नहीं पहुंचा । हमारे यहां दो श्रेणियां थीं । एक श्रेणी तो पहले से थी, अनुसूचित जाति जिसका आरक्षण अदलता-बदलता रहा । वर्ष 1947 में अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया था, बाद में कई बार संशोधन करके प्रतिशत बदलता रहा । उसके बाद में सबसे पहले पिछड़े वर्ग को भी 1977 में आरक्षण का लाभ दिया गया, उसका भी प्रतिशत बदलता रहा । यह सारे आरक्षण शासनादेश के माध्यम से दिये जाते रहे, नोटीफिकेशन करके होता रहा । यह तो विधिक स्थिति रही । बाद में अन्ततोगत्वा 1994 में एक ऐसा कानून बनाया गया, जिसमें दोनों वर्गों को शामिल करते हुये निश्चित मात्रा आरक्षण की रखी गयी । पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिये 21 प्रतिशत और जनजाति के लिये 2 प्रतिशत । यह सब होने के बाद जब समीक्षा की जाती रही, तब फिर यही निष्कर्ष निकला कि सब जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । पिछड़े वर्ग का जो प्रतिशत है, उसमें संख्या बराबर बदलती रही और अन्ततोगत्वा जिस समय विचार किया और आज भी जब हम विचार कर रहे हैं, ओ० बी० सी० 79 हो गया इस बात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि इसका परीक्षण कराया जाए, उन कारणों पर जाया जाए जिन कारणों से लाभ कुछ वर्ग विशेष तक या जाति विशेष तक सीमित होकर रह गया और शेष जातियों तक नहीं पहुंचा । यह भी देखा जाए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो वंचित रहीं, यह भी देखा जाए कि कौन से ऐसे कारण हैं जिन्होंने इन्हें वंचित रखा और क्या उपाय हो सकते हैं जिनके स्वीकार करने से, संशोधन करने से उन सभी वर्गों तक कुछ न कुछ अंश इस लाभ का पहुंचता रहे । इसलिए एक समिति का गठन किया गया । हमको इसका अध्यक्ष बनाया गया । यह 28 जून का एक नोटीफिकेशन है, इसके तहत् समिति का गठन किया गया और 3 जुलाई से समिति ने विधिवत् का[illegible] किया और हमसे 31 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी ।

उसमें विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण करने के बाद संस्तुति की गयी और एक आध संस्तुति को छोड़कर शेष सभी को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और जो आरक्षण के सम्बन्ध में संस्तुतियां थीं उन संस्तुतियों को पालन करने के लिए यह आरक्षण विधेयक आया है। आरोप लगाया जाता है कि 2 महीने में इसे कैसे किया गया।

हमारे सामने प्रश्न यह आया कि आधार क्या रखा जाए। आधार के लिए सबसे पहला प्रश्न उठा, पुराने जितने भी आयोग इस क्षेत्र में बनें हैं, उन लोगो ने जो रिपोर्ट दी है उनका अध्ययन करना। सबसे पहले हमारे देश में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, कई वर्षों के अध्ययन के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी। आरक्षण के सम्बन्ध में उस आयोग ने भी पिछड़े वर्ग को एम० बी० सी० और बी० सी० में श्रेणीबद्ध किया था लेकिन किन्हीं कारणों से केन्द्र सरकार ने उस आयोग की संस्तुतियों को मानने से इन्कार कर दिया और कहा कि इसके मानने से आर्थिक बोझ इतना बढ़ जायेगा जिसे वहन करना सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। केन्द्र सरकार ने अन्ततोगत्वा निर्देश दिये कि प्रदेश सरकारें अपने-अपने स्तर से चाहें तो आरक्षण की नीति को लागू करें। कुछ राज्य सरकारों ने 1960 के बाद ही इस सम्बन्ध में कदम उठाने शुरू कर दिये थे। हमारे यहां पहली बार एक आयोग श्री छेदी लाल साथी के नाम से श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने गठित किया। इस आयोग ने भी कई वर्षों के अध्ययन के बाद एक पिछड़ा वर्ग दूसरा अति पिछड़ा वर्ग और तीसरा मुस्लिम के रूप में वर्गीकरण किया। लेकिन न जाने क्या कारण रहे, विभिन्न सरकारें रहीं, किसी भी सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू करना नहीं चाहा। इस सम्बन्ध में जो भी आयोग बने थे उसका भी हमने अध्ययन किया उसके बाद हमारे सामने प्रश्न यह था कि इस व्यवस्था को दूसरे राज्यों में भी लागू किया गया है तो क्यों न हम दूसरे राज्यों का अध्ययन कर लें। कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और केरल, जहां पर यह व्यवस्था लागू की गयी थी हमने अध्ययन कराया। हरियाणा और पंजाब का भी। क्योंकि एक बात बराबर आती थी कि उत्तर प्रदेश में कभी भी एक वर्ग को बांटा नहीं गया, ब्लाक में नहीं बांटा गया था। छेदी लाल साथी जी ने बांटा था लेकिन लागू नहीं किया गया था। यह संवैधानिक है या नहीं, उसका अध्ययन करने के बाद ही उसका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तीसरी बात जो थी वह जनसंख्या की थी। विभिन्न वर्गों की या विभिन्न जातियों की अधिकृत जनसंख्या क्या है, उसका आधार क्या है ? मान्यवर, सबसे बाद वाली जनगणना जातीय आधार पर हुई, वह 1931 की जो जनगणना हुई थी। 1931 के बाद में कभी जनसंख्या, जनगणना जाति के आधार पर नहीं हुई अगर 1981 को छोड़ दिया जाय। आज तक जितने भी आयोग गठित हुए उन सारों ने 1931 को जन संख्या का आधार मानते हुए गणना की थी। कई जातियां ऐसी हैं जो हमारी 79 जातियों में शामिल हैं लेकिन 1931 की जातियों में शामिल नहीं हैं, तो हम उनको आधार कैसे मान लें ? 1931 के आधार पर यदि हम चलते रहे तो वह ज्यादा सही नहीं होगा इसलिए यह निश्चय किया गया कि जो हमारे कुटुम्ब रजिस्टर हैं गांव में उसका सहारा लिया जाय और अगर वह पूर्ण न रहा हो तो जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाय कि अपनी देख-रेख में उसे पूरा कर यहां पर भेजें। मान्यवर, 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक जनसंख्या सप्ताह मनाया गया। एक-एक गांव की जनसंख्या वहां के परगना अधिकारी, वहां के बी० डी० ओ० और उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त करके हमारे पास भेजा गया। मुझे खुशी है कि मान्यवर, करीब 85 प्रतिशत जनसंख्या उसके आधार पर मुझे प्राप्त हो गई। उसके बाद उसका हमने 1931 और 1981 में जो जनगणना हुई थी उससे मिलान किया और उसकी भी हमने सहायता ली। सहायता लेने के बाद हमने सारे के सारे जो आंकड़े प्रस्तुत किये वह सारे निष्कर्ष निकालने के बाद प्रस्तुत किये थे।

विभिन्न सरकारी नौकरियों में विभिन्न जातियों का स्थान क्या होगा, कितने प्रतिशत स्थान इनको प्राप्त हो चुके हैं इनकी भी जानकारी हमको प्राप्त करनी थी इसके लिए हमने प्रदेश के समस्त विभागों से अधिकृत जानकारी प्राप्त की। मान्यवर, इसके साथ-साथ हमने हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजूकेशन और मेडिकल एजुकेशन इन तीनों क्षेत्रों में इनका प्रतिनिधित्व क्या है, इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त की। इन तीनों क्षेत्रों में हमने शत प्रतिशत जानकारी प्राप्त की जबकि अन्य एजूकेशन को हमने 10 प्रतिशत लिया क्योंकि सभी क्षेत्रों को कवर करना संभव नहीं था, केवल कुछ डिग्री कालेजों को हमने इसके लिए चुना

और जानकारी प्राप्त की । उसके बाद मान्यवर, विभिन्न प्रदेशों में भू-आवंटन का क्या अनुपात था, उसके आधार पर भी हमने इसको जानने का प्रयास किया । यह सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर हमने संस्तुतियां दीं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को दो वर्गों में विभाजित किया गया । जनजाति का एक वर्ग अलग हो गया । पिछड़े वर्ग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया । उसका जनसंख्या एक आधार रहा और शेष जिसका अभी मैंने उल्लेख किया, वे आधार रहे । जितने भी मुस्लिम समुदाय पिछड़े वर्ग में आते थे उसमें मैंने विशेष रूप से देखा कि शिक्षा का अभाव है, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है इसलिए हमने सभी को सर्वाधिक पिछड़ेपन में लिया भले ही कुछ जातियां आर्थिक रूप से सम्पन्न थीं, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक आधार ले करके सारी जातियों को सर्वाधिक पिछड़े वर्ग में रखा है । उन्हीं बातों को एक कार्य रूप देने के लिए आज संशोधन लाये हैं और मुझे विश्वास है कि यह सदन स्वीकार करेगा और सर्वसम्मति से इसको पारित करेगा जिससे सिद्ध हो सके कि इस सदन की प्रतिबद्धता उन वर्गों के प्रति कितनी है जो वर्ग अभी तक पूर्णतः या अन्शतः सारी योजनाओं और लाभ से वंचित रहे जो लाभ अब तक सरकारों ने दिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विधेयक पर आज यह सदन चर्चा करके सिफारिश करने जा रहा है । संविधान निर्माताओं की मंशा थी और उसी के तहत आर्टीकिल 335 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की । आर्टीकिल 340 और 15(4), 16(4) में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी और उसी के तहत जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे 29 फरवरी, 1953 को काका कालेलकर आयोग बना जिसने जांच करके 2299 जातियों की सूची तैयार की उसमें से 837 जातियों को सर्वाधिक पिछड़ा दर्शाया । यह 3 सितम्बर, 1956 को संसद में प्रस्तुत हो पायी और संसद में प्रस्तुत होने के बाद भी, सदन पटल पर आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पायी और 1959 में राज्यों का एक सम्मेलन बुलाकर इसमें आमराय बनाने की कोशिश की गयी परन्तु कोई निर्णय नहीं हो पाया । 1961 में गृह-मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके राज्यों को कहा कि आप लोग अपने राज्यों में अपने अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को परिभाषित करके आरक्षण देने का काम कर सकते हैं । इसके तहत कई राज्यों में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में आरक्षण की व्यवस्था वहां की सरकारों ने किया । उत्तर प्रदेश में 17 मई, 1975 को छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना जिसने 17 मई, 1977 को रिपोर्ट दी । उन्होने पिछड़े वर्ग को तीन भागों में बांटा । भूमिहीन मजदूर, अकुशल मजदूर और घरेलू नौकर आदि को 17 प्रतिशत आरक्षण दिया, मझोले और छोटे किसानों को 10 प्रतिशत और मुस्लिम समाज को 2.5 प्रतिशत आरक्षण दिया । परन्तु यह भी सरकार के विचाराधीन ही रही और इस पर कोई अमल नहीं हो पाया । 1978 में मण्डल कमीशन का गठन हुआ, मण्डल कमीशन ने जांच करके 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की । उसके अन्तर्गत अन्य तमाम सिफारिशें हैं ।

यदि इनको सचमुच लागू करना है तो जो जातियां हैं उनमें जो पिछड़े लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दोहराया है निश्चित रूप से उन्हें फायदा मिलता और यह संकल्प मूर्त रूप धारण करता लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मण्डल कमीशन की नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की बात लागू कर दी गयी लेकिन उनके आर्थिक उन्नयन के लिये जो सिफारिशें की गयी थीं उनको लागू नहीं किया गया । इसी तरह से जो सामाजिक न्याय समिति गठित हुयी थी उसकी रिपोर्ट को मुझे आज ही देखने का गौरव मिला । जल्दी में मैंने उसको देखने और समझने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि इसका आधार वास्तव में क्या है ? इसमें नौकरियों में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है उसको आधार बनाकर अन्य पिछड़ी जातियों को तीन भागों में बांटा है । अनुसूचित जाति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है एक दलित और दूसरे अति दलित । दलितों में

चमार और जाटव को रखा गया है और शेष को अति दलित में रखा गया है । चमार और जाटव का अनुसूचित जाति की आबादी में प्रतिशत 55.38 है और उनका नौकरियों में स्थान 59.42 प्रतिशत है ।

अगर उनका आबादी से ज्यादा प्रतिनिधित्व नौकरियों में मिल गया है और इसी को आपने आधार बनाया है तो मैं बताना चाहता हूं कि अति दलित में आपने जो धोबी समाज को रखा है जिनकी आबादी 6.51 प्रतिशत है लेकिन नौकरियों में उनका स्थान 8.26 प्रतिशत है तो अगर आप नौकरियों में प्रतिनिधित्व को आधार मान रहे हैं तो धोबी समाज को दलित में रखते । जिनका नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व है उनको आप अतिदलित में रखते और जिनका ज्यादा प्रतिनिधित्व नौकरियों में है अगर उनको दलित में रखते तो ज्यादा न्याय संगत होता है । मैं नहीं कहता कि इसके पीछे आपका कोई राजनीतिक उद्देश्य रहा है या नहीं लेकिन यह मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि निश्चित रूप से यह विधेयक इस समाज का भला करने के लिए नहीं लाया गया है बल्कि आने वाले चुनाव में वोट की राजनीति करने के लिये लाया गया है । जिन जातियों का नौकरियों में प्रतिनिधित्व ज्यादा है उनको दलित और जिनका कम है उनको अति दलित में आपको रखना चाहिये था । इसी तरह पिछड़ी जातियों में पिछड़ी जाति तथा अति पिछड़ी जाति रखना चाहिये था । इस रिपोर्ट के आधार पर यह जो विधेयक लाया गया है और उसमें जो विभेद नजर आ रहा है उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायें । अन्य पिछड़ी जातियों में जो आधार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है ।

नौकरियों में कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी से ज्यादा रहा परन्तु उनको न तो पिछड़ी जाति में रखा गया न अति पिछड़ी जाति में रखा गया बल्कि उनको सर्वाधिक पिछड़ी जाति में रखा गया । आपने जो आंकड़े तैयार किए हैं यह सही है कि इतने कम समय में कोई भी सामाजिक न्याय समिति हो, सही आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पायेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी जाति वाइज जनगणना नहीं हुई है । इसी कारण संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रही ।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आधार लिया है वह 84 प्रतिशत ग्रामीणों का आधार लिया है । जो कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने जानकारी हासिल की है वहां कुटुम्ब रजिस्टर में जिनका नाम नहीं दर्ज था उनके बारे में जानकारी नहीं है । इसके अलावा 84 प्रतिशत के अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्रों में आबादी रहती है उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी केवल अनुमान लगा पायें होंगे उसका कोई आधार मुझे न्याय समिति में देखने को नहीं मिला । कुछ जातियां जैसे वैश्य यह शहरी क्षेत्रों में रहती हैं यह ओ०बी०सी० के अन्तर्गत आती हैं ऐसी जातियां ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहती हैं । यह सही है कि अगर आप आबादी के हिसाब से पिछड़ेपन के हिसाब से नौकरियों में प्रतिनिधित्व के हिसाब से रिपोर्ट बनाते तो एक लम्बा समय लगता । एक बार जातिवाइज जनगणना करा ली जाए ताकि तथ्यों के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके । उत्तर प्रदेश में किस जाति की कितनी पापुलेशन है उससे यह पता चल सके । इन्होंने विभागों से आंकड़े मंगाए हैं कि किस जाति के लोग किस विभाग में हैं मैं अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहूंगा जितनी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक बोर्ड हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका परिषद् हैं, यूनीवर्सिटी हैं, कालेज हैं उनके यहां से भी आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की ? उनके यहां क्या स्थिति है वहां पर इन जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है क्या इसको भी शामिल करेंगे ? अगर यह शामिल नहीं करेंगे तो सही तथ्य आपके सामने नहीं आयेंगे । यह विधेयक जो मैंने देखा है इसमें अन्य पिछड़ा वर्गों को तीन वर्गों में बांटा गया है । यादव, यदुवंशी अहीर को पिछड़ी जाति में रखा गया है जिनकी आबादी 19.47 प्रतिशत दर्शायी गई है इनको आरक्षण दिया गया है 5 प्रतिशत यह कहा गया है कि यह लोग नौकरियों में ज्यादा प्रतिनिधित्व पाए हैं । इनका नौकरियों में एकाधिकार हो गया है ।

इनके बारे में यह कहा गया कि 19.4 प्रतिशत जिसकी आबादी है उसको 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया । आबादी का एक चौथाई आरक्षण देने का काम किया गया । पिछड़ी जातियों का, जिसका मैं हूं मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इनकी न्याय समिति में इतना जरूर हो रहा है कि आबादी है 18.9 प्रतिशत और उसमें इन्होंने आरक्षण दिया है 9 प्रतिशत यानि की आबादी का आधा । मान्यवर, जिनके भले के लिये किया गया है क्या हालत है ? 70 जातियां तो सर्वाधिक पिछड़ी हैं और इनकी आबादी 61.69 प्रतिशत । इनके भले के लिये किया गया है इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है नौकरियां पाई नहीं हैं । ऐसे लोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है यानि की आबादी का एक पांचवां हिस्सा । जो अति पिछड़े हैं उनका भला करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । यह विधेयक लाकर ऐसे लोगों का भला करने की कोशिश की गई है ।

इसी तरह से दलित जातियों में 55.07 प्रतिशत आबादी जिसकी है उसे 10 प्रतिशत यानि कि आबादी का एक बटा पांचवां हिस्सा देने का काम किया गया । जो अति दलित हैं, जिनका भला करने की सोची है उनकी 65 जातियां हैं और आबादी है 44.03 प्रतिशत उनको 11 प्रतिशत आबादी का, यानि एक चौथाई । इस तरह से यह जो बंटवारा किया गया है, जिनके भले के लिये कोशिश की गई है अत्यधिक पिछड़ी जाति के लिये, उसको कम हिस्सा देने का काम किया गया है । दूसरा जो है, क्रीमी लेयर, जिसके बारे में मैंने अध्ययन किया कि एक विधेयक है उसके अन्तर्गत जो भी जातियां आती हैं । पूरा सदन इससे सहमत होगा । जो लोग रिजरवेशन का फायदा पा चुके हैं और एडवांस हो चुके हैं । सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी हो गई है, उनको अगर आरक्षण की सुविधा न मिले तो उसके नीचे वालों को आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल पायेगा । अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लाने की कोशिश सरकार नहीं कर पाई । अन्य पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां या सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के अन्दर एक क्रीमी लेयर लगाई गई और उसके अन्दर खेती, जो जोत सीमा है उसका 85 प्रतिशत यानि 15.3 एकड़ जमीन जिसके पास है वह भी क्रीमी लेयर के अन्तर्गत आया । उसके बच्चे आरक्षण की सुविधा नहीं पायेंगे । खेती की क्या हालत है । आज 15 एकड़ क्या जिसके पास 100 एकड़ जमीन है यदि उसके पास बाहर से आमदनी का कोई श्रोत नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी अपने को किसानों के नेता के रूप में प्रतिरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको व अन्य सभी लोगों को जानकारी होगी कि 100 एकड़ जमीन जोतने वाले की यदि बाहर से कोई आमदनी नहीं है, आमदनी का कोई और श्रोत नहीं है तो दाल-चावल, सब्जी-रोटी नहीं खा सकता है । अब वह अपनी दलहन-तिलहन की फसल बेंचकर भी अपने काम नहीं कर पाता है तो जो 15 एकड़ जमीन जोतता है उसकी क्या हालत होगी ? आपने 15 से 100 एकड़ वाले को क्रीमी लेयर में मान लिया ।

पूरे प्रदेश में किसान दूध पैदा करता है लेकिन इतने किसानों में कितने ऐसे हैं जिनके घर में हर रात स्त्री, पुरुष, बेटा, बेटी को दूध पीने को मिल पाता हो । जिनको साधारण भोजन नहीं मिल पा रहा है उनको आपने क्रीमी लेयर मान लिया । मैं इसीलिये संशोधन लेकर आया हूं । खेती करने वाले सभी को पिछड़ा माना जाय और आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये । इसी तरह से सामान्य वर्ग हैं उसमें डाक्टर का बच्चा, डाक्टर बन रहा है । जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वे कभी गरीबों को भी आगे बढ़ने का मौका दें । सवर्ण समाज में भी क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाय । इस विधेयक के हर अंग में नहीं, सवर्ण समाज में जो आगे बढ़ गये हैं उसमें पिछड़े लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिये ।

मान्यवर, जो सबसे बड़ी इस विधेयक के अध्ययन करने पर जानकारी मिली, जिसका विधेयक में जिक्र नहीं है, बड़ी गहरी साजिश है, आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की, यह जो आरक्षण व्यवस्था होगी इससे न तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को न पिछड़े वर्ग के लोगों को, न अनुसूचित जाति के लोगों को, न मोस्ट शिड्यूल कास्ट के लोगों को लाभ मिलेगा । 'क' श्रेणी में अन्य पिछड़ी जातियों को रखा है उनको पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, सौ में पांच, 20 पद किसी विभाग में विज्ञापित किये जायेंगे तो एक पद यादव जाति, पिछड़ी जाति के लिये रखा गया है, पिछड़ी जातियों को 20 में एक पद पर आरक्षण मिलेगा और 20 पद से 19 हो गये, 19 पद विज्ञापित किये जायेंगे तो एक पद भी नहीं मिलेगा । अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको नौ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिस विभाग में 12 पद विज्ञापित किये जायेंगे वहां यह आरक्षण लागू होगा अगर 12 से कहीं 11 पद विज्ञापित हो गये तो आरक्षण नहीं मिलेगा । इसी तरह से अत्यधिक पिछड़ी जातियों को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है 8 से कम पद विज्ञापित किये गये तो एक पद में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो पायेगी । दलित समाज में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है अगर 9 पद विज्ञापित किये जायेंगे तो आरक्षण लागू नहीं होगा ।

राजनाथ जी की सरकार आरक्षण को समाप्त करने के लिये सोची समझी साजिश के तहत, सोचे समझे षड़यंत्र के तहत आरक्षण को समाप्त कर रही है । एक पद भी जहां हो वहां रोस्टर लागू करते हैं, एक पद भी हो तो रोस्टर के अनुसार करना चाहिये । 100 का रोस्टर बनेगा उसके अनुसार पहली बार सामान्य को गया । अनुसूचित जाति को गया, दूसरी बार दूसरे को जाये, रोस्टर के अनुसार व्यवस्था लागू की जाए, इसीलिये संशोधन लाना पड़ा है ताकि एकल पद पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो सके ताकि जो कुचक्र है या साजिश है वह कामयाब न हो पाये । मान्यवर, इसी तरह से मैं जो संशोधन लाया हूं इसमें मुसलमान समाज के लोग जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी संस्कृति, उनका मजहब अलग है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की निगाह वहां तक नहीं पहुंची, जिन लोगों का खाने का ढंग, पहनने का ढंग, उठने-बैठने का ढंग अलग है जिनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति अलग है । पता नहीं संसदीय कार्य मंत्री जी की समिति क्यों नहीं न्याय कर पाई, इनको आबादी के अनुसार आरक्षण देना चाहिये था, लेकिन उनके लिये ऐसा न करके, एक अलग ग्रुप बनाकर आरक्षण नहीं दिया गया । एक अलग ग्रुप ओ०बी०सी०- मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियां जो हैं, उनको सूचित किया है, मैंने उनको अलग से आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात कही है । मेरी चाहत है कि जातिवाद के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसी अनुपात में आरक्षण देना चाहिये, इसके लिये चाहे संविधान में ही संशोधन क्यों न करना पड़े तो उसको भी करना चाहिये, संविधान में यह भी प्रस्ताव देना चाहिये कि सवर्ण समाज के पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिये जितनी जिसकी संख्या भारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी इसके अनुसार आरक्षण हो । इसीलिये मेरी सरकार से मांग है और तभी इनका भला भी हो सकता है । दूसरा मान्यवर, मैंने न्याय समिति की रिपोर्ट देखी थी इसमें आरक्षण लागू करने से होगा क्या आज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनकी आबादी दर्शायी गई है, जो ''क'' श्रेणी के हैं उसमें जो इनका प्रतिशत है वह 16.42 प्रतिशत पहुंच पाये हैं, ''ख'' श्रेणी के लिये 16.5 प्रतिशत तथा ''ग'' श्रेणी के लिये 16.97 प्रतिशत तक पहुंच पाये हैं । जहां अनुसूचित जाति का आरक्षण 1945 से शुरू होता है और संविधान बनने के बाद शुरू हुआ वह इन पचपन सालों में 16.97 प्रतिशत ही पहुंच पाये हैं । पिछड़ी जाति के अनुसार जिनकी आबादी 54.05 प्रतिशत है उनमें आरक्षण ''क'' श्रेणी के 6.25 प्रतिशत, ''ख'' श्रेणी के लिये 15.23 प्रतिशत और ''ग'' श्रेणी के लिये 27.17 प्रतिशत तक पहुंच पाये हैं । तो इसी तरह से आरक्षण लागू करने से क्या होगा ? अगर इस आरक्षण कोटे को पूरा नहीं

करेंगे, विशेष भर्ती अभियान नहीं चलायेंगे तो इस तरह से प्रयास करके केवल वोट की राजनीति ही आप कर रहे हैं । इसी तरह से मुस्लिम समाज की जाति को उनकी आबादी के बराबर आरक्षण मिलना चाहिये ।

मान्यवर, जो इनकी न्याय समिति थी उसमें 35 संस्तुतियां की हैं । नौकरी में आरक्षण के लिये विधेयक लाये परन्तु जो शेष संस्तुतियां थीं जिससे आर्थिक उन्नयन होता उसको कब लागू करेंगे । अगर भला करना है तो 35 संस्तुतियां की हैं उनको लागू करना चाहिये । इसी तरह से सवर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिये । इसमें यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो वह भी करना चाहिये । मान्यवर, इसीलिये मुझे यह संशोधन लाना पड़ा । पुनः मैं एक बार फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करते हुये यह कहना चाहूंगा कि जब वह उत्तर भाषण दें तो जिन बिन्दुओं पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है, जो आरक्षण को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, उसे आरक्षण का लाभ देने का काम करेंगे । दूसरा यह कि जो आज बड़े पैमाने पर सरकार विभाग को निजीकरण की तरफ ले जा रही है तो क्या निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का लाभ देने का काम करेंगे । दूसरा यह इस तरह का संशोधन विधेयक में करेंगे या नहीं करेंगे ? जैसे बिजली विभाग वह निगम बन गया है और आप उसको निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में, स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण लागू होगा ? वहीं पर जो अति दलित, दलित, अति पिछड़े, पिछड़े समाज के लोग हैं इनका प्रतिनिधित्व हो पायेगा, क्या इसके लिये संशोधन करेंगे ? ताकि इनके लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके । क्योंकि यह नौकरी का सवाल नहीं है यह भागीदारी का सवाल है ।

मान्यवर, हर समाज के लोगों को लाभ हो, हर समाज की भागीदारी इसमें हो सके इस बात को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था करनी चाहिये थी । उसके अनुरूप यह सरकार जो विधेयक लायी थी वह संशोधन के लिये लाई थी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर कुछ संशोधनों के साथ अपने दल का पक्ष रखने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सिद्धान्ततः नीतिगत रूप से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम समाज के उस तबके को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण दिये जाने के पक्ष में हैं। यह सरकार शायद इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर दे इसलिये मैं अपने दल का पक्ष रखने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं अपने दल के पक्ष को साफ शब्दों में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं । हम समाज के पिछड़े दलित, कुचले हुए और जो लाभ से वंचित रहे हैं उसके पक्षधर हैं । मैं तीन संशोधन लाया हूं । पहला तो यह है कि पिछड़े वर्ग में जो मध्यम समुदाय की जातियां दी गई हैं उन्हें एक प्रतिशत का लाभ नहीं मिला है और पिछड़े और अतिपिछड़ों को जो लाभ मिला भी था अब वह बन्द हो जायेगा । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पीड़ा को समझते हुये यह पक्ष प्रस्तुत किया है । जब तक मुसलमानों को 27 प्रतिशत आरक्षण में से 9 प्रतिशत लागू नहीं किया जाता है तब तक उन्हें लाभ मिलने वाला नहीं है ।

दूसरा, मान्यवर, गरीब गरीब होता है चाहे वह जिस जाति का हो । सवर्णों में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं और आज जब नौकरियों में एक बड़ा प्रतिशत आरक्षण से चला जाता है तो वह वर्ग उपेक्षित रह जाता है । जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो सामाजिक रूप से मजबूत हैं उन्हें इस चुनौती का सामना करना चाहिये । लेकिन जो कमजोर वर्ग हैं वह भी सवर्णों में उसके लिये भी 15 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिये और उसमें वृद्धि की जानी चाहिये । लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह सरकार शायद उनके इस दर्द को समझ नहीं रही है । उसे तो यही दर्द सता रही है कि कहीं उसकी पराजय न हो जाये इसलिये तीर चल रहे हैं हवा में । मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि लोकतंत्र में परिपाटी यह है कि राजनीतिक दल निर्णय लेता है और जब उस राजनीतिक दल की सरकार बन जाती है तो उस निर्णय को लागू करती है । लेकिन, यह जो निर्णय इस सरकार ने लिया है वह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्णय है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह का निर्णय है न कि भारतीय जनता पाटी का । अगर भारतीय जनता पार्टी का यह एजेण्डा होता तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी केन्द्र में इसे लागू करते । प्रदेश का एजेण्डा होता तो हिमांचल में लागू करते, गुजरात में लागू करते, उत्तराखण्ड में लागू करते और अब तो वैसे भी उनकी अब सरकारें कहां हैं, सिर्फ उत्तरांचल में हैं ।

जहां चुनाव, मान्यवर, नहीं हो रहा है वहां इसकी चर्चा नहीं है क्योंकि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है । जहां चुनाव हो रहा है वहां इसकी चर्चा है । यह मान्यवर, इनका व्यक्तिगत कार्यक्रम हैं । प्रस्तुत तो कर दिया तकनीकी खामियां छोड़ दी ताकि स्थगन आदेश न्यायालय से हो जाये । इसे ला भी इसीलिये रहे हैं और स्थगनादेश लाने की तैयारी भी इन्होंने कर दी है ताकि मुद्दा एक उछल जाये । माना मान्यवर, कि कम्प्यूटर का युग है लेकिन हुकुम सिंह जी कम्प्यूटर हैं नहीं रोबोट नहीं हैं । काका कालेलकर जी योग्य थे, छेदा लाल साथी जी योग्य रहे होंगे तभी बहुगुणा जी जैसे मुख्य मंत्री ने उन्हें चुना था और कई वर्ष लगे । हुकुम सिंह जी ने कौन सा घी, च्यवनप्रास खा रखा है कि फैसला कर दिया 2 महीने के अन्दर प्रदेश का । लखनऊ में ही बैठे रहे ए०सी० कमरे में वहां से न्याय देते रहे । मान्यवर, बुन्देलखण्ड की परिस्थितियों में फर्क है, रुहेलखण्ड की परिस्थितियों में फर्क है, पूर्वांचल और पश्चिमांचल की परिस्थितियों में फर्क है । यह तो हरियाणा की सीमा में रहने वाले हैं । बिहार और नेपाल की सीमाओं की परिस्थितियां क्या हैं । यह जाते गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया । मुख्य मंत्री जी का आदेश था कि 15 अगस्त तक दे दें यह तिथि क्यों थी मैं नहीं जानता । अगर नीयत ठीक थी तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाते ।

(इस समय 6 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री केशो मेहरा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, अगर यह गम्भीर थे तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज के सुपर सोनिक स्टेज में आपने मुख्य मंत्री जी की इच्छा पूरी कर दी, दे दी रिपोर्ट 31 अगस्त तक, लेकिन न्याय नहीं कर पाये आप न्याय कर भी नहीं सकते थे । अगर आप कहते हैं कि न्याय कर दिया है तो यह आपका दंभ है । आपका त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष है । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इनकी नीयत साफ थी तो मेरे दल का यह मानना है कि इसे सौंप दिया जाता कार्यरत न्यायाधीश को या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को, उनको समय देते न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय कर देते । न्यायाधीश की नजर में चुनाव नहीं होता, उनकी नजर में भाजपा नहीं होती । न्यायाधीश की नजर में पिछड़े वर्ग का कल्याण, अति पिछड़े वर्ग का कल्याण होता । इनकी नजर में तो चुनाव है । इनकी नजर में पार्टी है । यह तो वही करेंगे जो इनके मुख्य मंत्री चाहते हैं इन पर न जनता का विश्वास है न विपक्ष का विश्वास है यह नौकरी बचाने के लिये वही कर रहे हैं जो मुख्य मंत्री ने चाहा है । यह इनका पूरी तरह से राजनीतिक निष्कर्ष है । इनके निष्कर्ष पर किसी को विश्वास नहीं है । पूरा व्यक्तिगत एजेण्डा है, यह इनकी पार्टी का एजेण्डा नहीं है । मुझे दिखायें केन्द्रीय समिति का निर्णय कहां है ? यह एक सदस्य हैं मेहरा जी, जब वे यहां आकर बैठेंगे

तो वे बतायेंगे कि कहां निर्णय है वे तो केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं । वह निर्णय वहां कब लिया गया । मान्यवर, जब पार्टी ने निर्णय नहीं लिया और आप निर्णय ले रहे हैं और निर्णय इसलिये ले रहे हैं कि आपको इसको लागू नहीं करना है क्योंकि इसे लेकर बाद में न्यायालय जाओगे और न्यायालय स्थगन आदेश दे देगा और कहेंगे कि हमने प्रयास किया । मैं कहनाा चाहता हूं कि अगर करना था तो कर्नाटक का पैटर्न देख लेते, तमिलनाडु का पैटर्न देख लेते, वहां लागू हुआ है और वहां पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कौन पिछड़ा है और कौन अति पिछड़ा है, कौन अभी तक वंचित रहा है, किसको आवश्यकता है । मैं अपनी तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह आश्वासन देता हूं हमारे यहां वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है व विधान मंडल की वर्किंग कमेटी की तरफ से फैसला हुआ है आप गरीब सवर्णों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण ले आये हम करते हैं वायदा कि दो तिहाई बहुमत लोकसभा में कांग्रेस पार्टी उसके लिए जुटायेगी, आवश्यकता पड़ी । मुस्लिम समुदाय के लिये प्रतिशत कम ज्यादा होगा । 27 प्रतिशत का 9 प्रतिशत किया है, अगर उसके लिए जरूरत होगी तो हम समर्थन देंगे । अनुसूचित जनजाति का अगर उनकी जाति के अनुपात को बढ़ाया जायेगा उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे । हमारे राजनीतिक दल का निर्णय है जो एक नेता के रूप में विधान मंडल में है, कह रहा हूं । इनके दल का निर्णय नहीं है । अभी स्वीकार किया है इन्होंने कि हमने रेन्डम सर्वे करा लिया ।

श्री हुकुम सिंह–

हमने नहीं कराया, कराया गया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जिनको 3 साल में करना पड़ा उन्होंने कराया और दो माह में नहीं कराया ।

श्री हुकुम सिंह–

दो जगह मान्यवर, हमने हंड्रेड परसेन्ट कराया तीसरे में 10 परसेंट कराया यह हमने कहा था अब इसको रेन्डम कह लें या अटेन्डम कह लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जैसे चुनाव के पहले सर्वे रिपोर्ट आती है उसी प्रकार इन्होंने सर्वे कराया है । हम कहते हैं कि रेन्डम सर्वे उसी तरह से उत्तर प्रदेश का करवाकर रखिये इसके आधार पर ढाई महीने में यह निर्णय मत लीजिए ।

(टोकाटाकी से व्यवधान)

आपका सर्वे गलत, आपका निर्णय गलत और आपने जो निर्णय लिया है सब गलत, आपका इरादा गलत, आपकी नीयत गलत, सब गलत ।

मान्यव र, अगर यही बात है तो मैं जानना चाहता हूं आपकी नीयत ठीक है तो इसे आप अपने संगठन में लागू कर लीजिए कहां है 27 प्रतिशत, कहां है 21 प्रतिशत, वहां न अनुसूचित जाति के लोग याद आते हैं न पिछड़े वर्ग के लोग याद आते हैं । एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था उनका भी हश्र क्या हुआ था सबको मालुम है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपको हिन्दुस्तान में कोई नहीं मिला तो बाहर से ले आये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

कम से कम सुप्रीमकोर्ट के जजमेन्ट के बाद यह मत कहिये कम से कम इस तरह की भाषा मत बोलें [xxx] तो दिक्कत होगी इसलिये सीमा तक रहें ।

मान्यवर, मैं आपसे कह रहा था मान्यवर, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो आपकी पार्टी ने यहीं बैठकर कल्याण सिंह जी ने विरोध किया था तत्कालीन आपके विधान मंडल दल के नेता ने । आपने 1989 में विरोध किया जब यह 90 में लागू हुआ तो जब शुरू से विरोधी रहे हैं तो अब आपकी नीयत बदल नहीं सकती । अगर बदलती है तो राजनीतिक रूप में बदलती सरकार के रूप में नहीं बदल सकती । मान्यवर, हमें गर्व है, अनुसूचित जाति को पहली बार कांग्रेस ने ही आरक्षण दिया था और केवल नौकरियों में ही आरक्षण नहीं दिया, बल्कि विधान सभा और लोक सभा में जो यह सदस्य बैठे हैं, हमारी पार्टी ने ही आरक्षण दिया । मंडल आयोग में पहली नियुक्ति-पत्र हमारी कांग्रेस सरकार के कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी ने दिया था । हमारी तो नीयत भी साफ है और नीति भी साफ है और हमने उसका क्रियान्वयन भी किया है । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, आप इस उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को और अत्यधिक पिछड़ी जातियों को खिलौने के रूप में न खेले । जैसे चुनाव के समय गाय आपकी माता हो जाती है और वैसे नहीं ।

जो 2-3 बातें मैने रखी हैं, उनको गौर किया जाय, 27 प्रतिशत मुसलमानों का 9 प्रतिशत आरक्षण किया जाय, 15 प्रतिशत सवर्णों के लिये किया जाय और उसके लिये भले ही इसे आप लोक सभा भेजें और तीसरा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिये आबादी के अनुसार आरंक्षण किया जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, अति पिछड़े और अति दलितों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन और स्वागत करती है । यद्यपि बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ों तथा अति दलितों को उनकी बढ़ी हुई आबादी के मुताबिक आरक्षण की मांग करती है । लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों और अति दलितों के लिये जो आरक्षण देने जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं । स्वागत इसलिये करते हैं कि यह आरक्षण का मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा रहा है । समय-समय पर बहुजन समाज पार्टी ने इसके लिये प्रदेश और देश स्तर पर तमाम आन्दोलन किये हैं और इन्हीं आन्दोलनों के माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन हुआ था । जिस समय मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन हुआ था, पूरे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग विरोधी अभियान चलाये थे और उन्होंने इसका विरोध करने के लिये कमंडल अभियान छेड़ा था । जगह-जगह पर कार्यालय फूंके थे, बसें फूंकी थीं और ट्रेने फूंकी थी, तमाम आत्मदाह तक करवाये थे । चूंकि आरक्षण विरोधी चरित्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह अगर आरक्षण का क्रियान्वयन करने के लिये मन बनाये हुये हैं तो यह चमत्कारिक परिवर्तन जो हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही चुनावी लाभ लेने के लिये यह अति पिछड़ों और अति दलितों को आरक्षण दिया है, हम उसका स्वागत और समर्थन इसलिये भी करते हैं, कि इसके बाद हम माननीय मुख्य मंत्री और

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भाजपा सरकार की नीयत को परखना चाहते हैं कि क्या वास्तव में अति पिछड़ों और अति दलितों को यह आरक्षण देना चाहते हैं ? या केवल चुनावी स्टंट के रूप में सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं । यूं तो जो भारतीय जनता पार्टी का व्यवहारिक स्वरूप है, प्रदेश के मुखिया माननीय राजनाथ सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कलराज मिश्रा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय वर्मा जी और ए०पी०सी०, डी०जी०पी० इनमें से एक भी अति पिछड़ा और अति दलित नहीं है और यहां तक कि अति पिछड़ों और अति दलितों की बात जाने दीजिए, पिछड़ा और दलित में इन पांचों में जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पद होते हैं उनमें से एक भी दूर-दूर तक इन वर्गों से दिखायी नहीं पड़ रहा है । यही हालत दिल्ली की देखें, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी हों, गृह मंत्री आडवानी हों या संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी हां । इनमें से एक भी न अति दलित हैं या अति पिछड़े हैं और जो एक दलित आये थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में [xxx] यह जगजाहिर है । इनके एक मुख्य मंत्री अति पिछड़ी जाति से आये भी थे कल्याण सिंह जिस तरीके से उन्हें बाहर किया गया यह इनके अति पिछड़े मुखौटे को ही जाहिर करता है ।

(कई सदस्य के एक साथ बोलने लगे)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अपनी पार्टी में ले लें, प्रदेश का बड़ा कल्याण हो जायेगा ।

(कई सदस्य जोर-जोर से बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के रुप में भी एक दलित समाज के साथी यहां पर आए थे, चूंकि वह समय-समय पर कमजोर लोगों की बात उठाया करते थे । इस प्रदेश के जो दबे-कुचले, शोषित-पीड़ित लोग थे उनकी बात कभी कदार वह सुन लिया करते थे । [xxx] मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए और यदि आरक्षण के मुद्दे पर लड़ना है तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी से हटकर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए । माननीय अधिष्ठाता जी भारतीय जनता पार्टी यथास्थिति वादी, अर्थवादी सोच की पार्टी है । मान्यवर, इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कभी किसी कमजोर तपके के नवजवान शम्बूक ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा तो उसका सिर उड़ा दिया गया । वही लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं शम्बूक का सिर काटा था, वह भी अति दलित वर्ग के थे, अति पिछड़ा वर्ग के थे । इसी अति दलित में वे वीर एकलब्य भी थे, जिसको मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इसलिए शिक्षा नहीं दिया था कि वह उनकी व्यवस्था के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी का था । लेकिन जब अपनी तरफ से उसने शिक्षा लिया तो इन ठगियों ने दान और दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा कटवा लिया । इन सबके बावजूद हम यह जानते हैं कि इनके मन में पाप है, हम यह भी जानते हैं कि यह ठगिये हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पिछड़े वर्गों के आरक्षण का समर्थन करते हैं यह जानने के लिए यह वास्तव में आरक्षण

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करना चाहते हैं या नहीं ? इसी के साथ इस मामले में हम यह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि थ्योरी आसान होती है और प्रैक्टिकल उसका कठिन होता है । आपने लिख दिया, पढ़ दिया, कह दिया और व्यवहारिक रूप से उसको आप करेंगे मैं इसकी उम्मीद करता हूं । यदि आपने इस ओर कदम बढ़ाया है, तो पिछले सालों का इतिहास गवाह है, पिछले समय की तरह आप फिर से ठगिया साबित न होइयेगा, इसकी गम्भीरता को आप लीजिए । लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो उसके बावजूद हम स्वागत करते हैं, जो कुछ भी आप देते हैं, "भागते भूत की लंगोटी ही सही" । जो भी आप देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे जब मान्नीय बहिन मायावती जी मुख्य मंत्री थीं और यह भी उस समय साझे सरकार में शामिल दल थे । उन्होंने पिछड़ों और दलितों को आरक्षण देने की पहल की थी लेकिन साझा सरकार में शामिल हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने उसका विरोध किया था लेकिन इसके बावजूद, यह नाराज न हों फिर भी तत्कालीन मुख्य मंत्री बहिन मायावती जी, थानाध्यक्ष पद से लेकर डी०एम०, एस०पी० तक इन सभी पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यक के लिए 8 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था की थी लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई उस पर पानी फेर दिया हमारे तमाम जो पिछड़े और दलित समाज के अधिकारी उस पर पदस्थ हुये थे, देखा नहीं गया । इन्होंने यह सोचा कि ये महत्वपूर्ण पद पर कैसे बैठे हैं और एक-एक करके साफ कर दिया । मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनकी नीयत ठीक नहीं थी तो वह वही कार्य कर रहे थे जो आज आप करने जा रहे हैं । लेकिन उस समय उसको मिटाने का, खत्म करने का काम किया ।

मान्यवर, इसी के साथ जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, अभी तक जो पूर्व में सरकारें रहीं, कोई 40 साल, कोई दो-दो बार सरकार बनाया और आज भी दो-दो बार सरकार मैं बैठा है । आरक्षण की जो जगहें थीं, वह आज तक क्लास–1,2,3, और 4 में किसी वर्ग की रिक्तियों की आरक्षित सीटें पूरी नहीं हुईं । इसके लिए वह सभी जिम्मेदार हैं । चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो । इसलिए हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि जो अति पिछड़ों और अति दलितों को आरक्षण देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आरक्षित पदों पर जो रिक्त स्थान हैं उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलायेंगे ? बहिन मायावती जी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में अति पिछड़े समाज में आने वाले प्रजापति समाज को तालाबों का पट्टा किया था तथा मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद को नदियों के किनारे घाट और बालू खोदने का ठेका दिया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही आयी आज पिछड़ों के लिए आंसू बहाने का क़ाम कर रहे हैं, उस नियम और कानून को बलाये ताक करते हुए रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया । इसी प्रकार से जो कमजोर तबके के लोग हैं, अति पिछड़े अति दलित समाज के लोग जिनको ऊंची सेवाओं में आई० ए०एस०, आई०पी०एस०, इन्जीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु तैयारी करने के लिए शाहू जी महाराज के नाम पर निर्मित भागीदारी भवन में कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था की थी आज उसको भी सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया है । इसी तरह से अति दलित समाज जिसमें भंगी, मेहतर आदि जातियां आती हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिये जो उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम शुरू किया गया था और आश्रम पद्धति के विद्यालय शुरू किये गये थे उनको निष्प्रभावी कर दिया गया । 2 करोड़ रुपये से शुरूआत करके जो आश्रम पद्धति विद्यालय चालू किये गये थे उनको समाप्त कर दिया गया ।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

जब मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने अपने विवेकाधीन कोष से जो पैसा दिया है, किसको दिया है, उसको देख लें, कलई खुल जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह लोग बड़े बहाने करते हैं कि हमने दो-दो बार दलित महिला सुश्री मायावती को मुख्य मंत्री बनाया [x x x] बहन मायावती को मुख्य मंत्री स्वीकार किया था ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

[x x x] मैं प्रत्यक्षदर्शी था मैं वहां गया था बचाने के लिये । हमने खुद बचाया था ।

(व्यवधान होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करने का काम आपका है । अगर सदन बाधित करते रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा । आज जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठते थे । समाजवादी पार्टी का भी काला मुखौटा उजागर नहीं हो पाया था । उसका आरक्षण विरोधी चेहरा नहीं जान पाये इसलिये आज जब अति पिछड़े लोगों के लिये आरक्षण विधेयक सदन में प्रस्तुत हो रहा है तो वह जानबचाकर भाग निकले जिससे हमारी कलई न खुलने पाये । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम तो जानते हैं कि भा०ज०पा० और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

आप हममें और उनमें कुछ तो अंतर रखिये क्योंकि हमने आपको बचाया है और वह आपको ढूंढ रहे थे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

समाजवादी पार्टी ने जो अति पिछड़ों, अति दलितों के हितों के खिलाफ यह गैर प्रजातांत्रिक कदम उठाया है उत्तर प्रदेश का पूरा दलित समाज, अति पिछड़ी समाज उसकी इस चालाकी को समझ चुका है वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा । यह हमारी अच्छी बात पर मेजें थपथपा रहे हैं लेकिन हम हमेशा अच्छी बात करते हैं कभी इनकी समझ में आती है कभी नहीं आती है । इस समय एम०बी०बी०एस० में कांउसिलिंग चल रही है प्रवेश के लिए संसदीय कार्य-मंत्री जी यदि आपकी नीयत साफ है तो एम०बी०बी० एस० प्रवेश में जो काउंसिलिंग चल रही है उसे तत्काल रोककर अति पिछड़ों व अति दलितों को आरक्षण देने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें । यह अति दलितों व अति पिछड़ों को चपरासी व बाबू बनाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं तो बहन मायावती व मान्यवर, कांशीराम ने सबको जगा दिया है आपकी अब नहीं चलेगी ।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

कांशीराम तो गायब हो गए ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर सरकार की नीयत साफ है तो निगमों में व अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों में आरक्षण देने का काम करे । इसी तरह से जो मेडिकल कालेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें । पिछली बार जब सत्र चल रहा था तो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक दलित समाज का व्यक्ति योग्य होते हुए भी उसको रीडर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और एक अयोग्य व्यक्ति को जो आर०एस०एस० संगठन से जुड़ा हुआ था उसकी नियुक्ति हो गई थी । जब मैंने प्रश्न किया था तो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा था कि चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है । यह कहकर यह सरकार कन्नी काटती है । इसका मतलब यह जाहिर होता है कि उसकी नीयत में कहीं न कहीं खोट है । इसी तरीके से जितने भी सेवा के आयोग हैं वह चाहे लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का या अन्य किसी भी प्रकार के ऐसे भर्ती वाले आयोग हैं उनके जो मेम्बर होते हैं उसमें इनको भी रखा जाय । अति पिछड़े और दलितों समाज के लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए । जो आरक्षण चल रहा है, इसमें भी लागू होना चाहिए । न्यायपालिका में भी होना चाहिए । जहां से पूरे प्रदेश में लोग दिन को रात कह देते हैं और रात को दिन कह देते हैं । यदि आप वहां पर अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों को चिराग लेकर ढूंढने जायं तो एक भी व्यक्ति दलित समाज का नहीं मिलेगा । आज उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में मात्र दो दलित समाज के डी० एम०, एस०पी० हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, बिल्कुल [x x x] बोल रहे हैं । दो नहीं, कई हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर भाषण के समय आप लोग अपनी बात कह लीजियेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है । शास्त्रों में लिखा है कि ''अज्ञानियों पर तरस खाओ, नाराज मत होओ''

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा नेता विपक्ष से अनुरोध है कि कृपया इसको समाप्त करें । काफी बातें आ चुकी हैं ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

नेता विपक्ष खड़े हैं तो यह आपको शोभा नहीं देता । आप कृपा करके बैठ जायं ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, आपकी अनुमति के बगैर माननीय मंत्री जी नेता विरोधी दल के भाषण पर यह कह रहे हैं कि ये [x x x] बोल रहे हैं । मान्यवर, इस शब्द के साथ-साथ [x x x] को भी बाहर निकालिये ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही से यह शब्द निकाल देंगे ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं इसको साबित कर दूंगा कि इन्होंने जो बोला है, [x x x] बोला है और इसके साथ ही साथ [x x x] बनाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में संवाद न करें । मौर्य जी कृपया समाप्त करें और लोगों को बोलने का मौका दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं समाप्त करने वाला हूं । यही लोग बीच-बीच में कह रहे हैं कि और बोलें । माननीय अधिष्ठाता जी, आरक्षण मुद्दे पर यद्यपि सभी के मुखौटे उजागर हुए हैं । कांग्रेस भी उसमें रही है और स०पा० भी रही है । बी०जे०पी० को सद्बुद्धि आई है, थोड़ा कुछ करने जा रहे हैं । यह जो कुछ थोड़ा करने जा रहे हैं यद्यपि हम आबादी के मुताबिक मांग करते हैं लेकिन फिर भी जो यह थोड़ा कुछ करने जा रही है, उसका स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि इसको क्रियान्वित करने में पारदर्शिता रखते हुए जिन-जिन बातों की मांग की गई है । न्यायपालिका, निगम, सभी प्रकार के आयोग, स्वायत्तशासी संस्थान, निजी संस्थान, विधान परिषद् और राज्य सभा, इन सब में आप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ईमानदारी से । चुनावी लाभ लेने के लिये केवल शिगूफे की तरह नहीं छोड़ेगें जिस तरह से प्रदेश सरकार की सारी घोषणाएं निष्प्रभावी हुई हैं उस तरीके से यह भी न हो । अन्यथा आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे । वैसे भी [x x x] उसके नाते दिन में बाहर देखने की रोक अभी नहीं है लेकिन रात में छिपकर जो जाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि बी०जे०पी० के लोग इस संशोधन विधेयक को लागू करने में हीला-हवाली करें, अगर इसको लागू करने में हीला-हवाली की गई तो रात में जो उल्लू की तरह जागते हैं वह नहीं जाग पायेंगे ।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

दलित समाज के लोग इनको खदेड़ने का काम करेंगे, भाजपा द्वारा जो अध्यादेश लागू किया जा रहा है उसका बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थन करती है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, मैं दूरदर्शन समाचार देख रहा था भारत के संविधान में एक संवैधानिक पद है, ''मुख्य निर्वाचन आयुक्त,'' इनकी ओर से पूरे देश के सामने पत्रकारों को उत्तर देते हुए कहा गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा का कार्यकाल हमारे हिसाब से 27 मार्च, 2002 है । दूसरे दिन समाचार-पत्र में पढ़ा एक राजनैतिक दल के विधायकों ने एक साथ विधान सभा से इस्तीफा दे दिया, मैं आश्चर्य में पड़ गया–''या इलाही ये माज़रा क्या है ?'' एक तरफ देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, 27 मार्च, 2002 तक अपने हिसाब से विधान सभा का कार्यकाल ठीक मान [illegible]ं, दूसरी ओर त्याग-पत्र । जब इस पर विचार

किया तो कुछ तथ्य उभरकर सामने आए, एक तथ्य था आंज जिस अधिनियम पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसके द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के साथ न्याय करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाने हैं उस दल के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया –''है गति सांप छछूंदर केरी'' यदि इसका समर्थन किया तो जिस जातिवाद के आधार पर सत्ता के निकट पहुंचते रहे वह जातिवादी आधार कट जाता है इसका विरोध करते हैं तो जिन अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया वह नाराज हो जाते । तो इनके पास दूसरा चारा नहीं था और विधान सभा की सदस्यता को छोड़कर चले गए ।

श्रीमन्, वह इस बहस में हिस्सा लेने से बचना चाहते थें । मैं बहुजन समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं लेकिन इससे पहले मैंने कभी मौर्य जी का इतना नीरस भाषण नहीं सुना । यह तो 9 एम०एम० को गोली की तरह थे । आज छूटे हुए कारतूस लग रहे हैं आज हर बात को रुक-रुक कर बोल रहे हैं यह इस अधिनियम का समर्थन इसलिए कर रहे हैं जिन जातियों ने 79 प्रतिशत लाभ उठाया, जिनके कारण ये राजनीति में उठे थे वह नाराज नहीं होंगी और वह भी नाराज नहीं होंगे जिनके साथ अन्याय किया । मैं कल्पना करता हूं, दो-दो बार जो इस प्रदेश के मुखिया रहे एक जाति समूह, तीन-चार जातियां यादव, अहीर, घोसी, ग्वाल, लाभ इसने उठाया, 19 परसेन्ट लोगों ने लाभ उठाया दूसरी बार एक दूसरे वर्ग की मुख्य मंत्री रहीं उनकी जाति में तीन जातियां थीं जाटव, धूसिया, चमार, टैक्निकल एजूकेशन में 70 प्रतिशत हायर एजुकेशन में 50 प्रतिशत प्रथम श्रेणी की नियुक्ति में 70 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में 70 प्रतिशत उन्होंने लाभ उठाया । मैं कल्पना करता हूं अगर मायावती की जगह माया प्रसाद हो जाती तो उस जाति के लोग नौकरियों में होते । मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है । हमारे मुख्य मंत्री भी पिछड़े नहीं हैं और न ही संसदीय कार्य-मंत्री पिछड़े हैं लेकिन इसके बावजूद भी यह काम किया । पहले तो यही हुआ कि ''अंधा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को देय'' । हम न्याय करने को बैठे हैं और न्याय करके दिखाया है । उत्तर प्रदेश की जनता इसे देख रही है । माननीय बी०आर० वर्मा जी ने भी इसका समर्थन किया और समर्थन करते-करते कुछ संशोधन भी रखे । उन संशोधनों की मंशा भी ठीक रही होगी । मगर यह संशोधन, बुद्धि तब जागृत हुई जब अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया । मान्यवर, चौधरी साहब क्यों नहीं मुख्य मंत्री बन सकते, लालजी वर्मा क्यों नहीं मुख्य मंत्री बन सकते, बुनियाद हुसैन साहब क्यों नहीं मुख्य मंत्री बन सकते ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे मित्र मुझे योग्य समझते हैं । जब इसी पार्टी की सरकार थी तो डेढ़ वर्ष मुझे मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था । मेरा उपयोग पार्टी जहां उचित होता है वह कर रही है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पांच साल तक इन्हें मंत्री नहीं बनने दिया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

आज यह लोग पिछड़ों का दर्द समझ रहे हैं....

नई मदें सम्मलित किये जाने पर संशोधित एजेन्डा की मांग विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । विधान परिषद् से पारित होकर दो विधेयक आये हैं । मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे उसको प्रस्तुत कर दें । इसकी प्रतियां पिजन होल में रखवा दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी बात हो, कोई नयी चीज हो वह सदन के पटल पर अगर रखी जायेगी तो उसके लिए एजेन्डे में संशोधन होना चाहिए। संशोधित एजेन्डा तो आया नहीं, कैसे इस मद को सदन के पटल पर रख रहे हैं ? ऐसे आप अपने अधिकारों का उपयोग न करें। जो नियमावली में है कि संशोधन एजेन्डा आ जाय तो उसके तहत करें। एक विषय चल रहा है जब तक यह मद खत्म नहीं हो जाती तब तक दूसरी मद को कैसे लिया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुमति दे दी है। सचिव महोदय आप पढ़ दें।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

सचिव, विधान सभा–

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन), विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ० प्र० अनु० जातियों, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमागत)

डा० सरजीत सिंह डंग–

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मौर्य जी आफ द कलर बोल रहे थे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुमति दे दी है। इसके बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। मैंने आपकी व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया था। आपने कहा कि विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने अनुमति दे दी है।

श्री लालजी वर्मा–

बिना किसी मद के आप नहीं ले सकते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

तो मैं यह कह रहा था कि जानबूझकर वह ऐसा बोले क्योंकि बी०एस०पी० में जो बहुत योग्य होता है उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है । सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं । इनके पहले अध्यक्ष श्री राज बहादुर जी को पार्टी से निकाल दिया । श्री भागवत पाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया । आज कोई योग्य अध्यक्ष है नहीं । आर० के० चौधरी जी और बी०आर० वर्मा जी को भी पार्टी से निकाल दिया ।

मान्यवर, जब इन्हें यही जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधिकारी हैं तो आप क्या बात करते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं डंग जी का दुख समझ रहा हूं । वह मंत्रि-मण्डल से निकाल दिये गये । लेकिन अगर वह यही बात 12 बजे कह दें तो मैं उनकी बात मान लूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, तिवारी जी ने भी संशोधनों की झड़ी लगा दी । वैसे कांग्रेस वालों की आदत यह है कि वे अपनी बात कह लेते हैं और उसके बाद खिसक लेते हैं । आग लगाकर जमालो दूर खड़ी हैं । मान्यवर, संविधान में आरक्षण का प्राविधान इसलिए किया गया ताकि भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग रूढ़ियों के कारण, अशिक्षा के कारण, आर्थिक क्षेत्र में, नौकिरियों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है । लगभग 45 से लेकर 48 वर्षों तक केन्द्र और प्रदेशों में कांग्रेस का आबाध शासन था । उसने कितने प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरा किया ? मान्यवर, उनको मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था जब प्रदेशों और केन्द्र में उनकी ही सरकारें थीं तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया और आज जब सत्ता से हट गये हैं तो सत्ताहीन अन्तरात्मा जागृत हो गयी है । एक बात यह भी कि कांग्रेस के एक सदस्य जब तक कांग्रेस में थे तब-तब तो वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाये लेकिन कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ही उन्होंने मण्डल आयोग तत्काल लागू कर दिया । वैसे भी कांग्रेस किसी भी प्रकार के आरक्षण के कभी पक्षधर नहीं थी । आज जब उनकी सरकारें मध्य प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, केरल में सहयोगी के रूप में है तो वे जो संशोधन यहां लेकर आये हैं जहां उनकी सरकारें हैं वहां वे पिछड़ों को नीतिगत रूप से आरक्षण लागू करायें ।

मान्यवर, व्यक्ति के तीन चेहरे होते हैं –एक जैसा वह अपने आपको समझता है, दूसरा चेहरा वह है जैसा उसको लोग देखते हैं और तीसरा चेहरा वह है जो वास्तव में है । उसी तरह कांग्रेस के लोग जैसा अपना चेहरा समझते हैं जनता उनके चेहरे को वैसा नहीं समझती है । अगर समझती होती तो 1989 से आज तक सत्ता में दोबारा जरूर लाई होती । लेकिन जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया है इसलिए 1989 से उनकी संख्या घटती ही चली जा रही है । इस बार तो कुछ बसपा के सहयोग के कारण आ गये लेकिन अगली बार कितने लोग आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है ।

श्रीमन्, एक बात पर बल दिया गया कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं । जल्दी-जल्दी में अधिनियम ले आये । प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग संत हैं यह चुनाव नहीं लड़ते हैं इनसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है । यह पिछड़ों को लेकर दुखी हैं । इनको नींद नहीं आती है भोजन अच्छा नहीं लगता है यह अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे । केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो आपको राजनीति को छोड़कर भाग जाना चाहिये । मगर हम राजनीति कर रहे हैं, कुटिल नीति नहीं

कर रहे हैं । जनता की आंख में धूल नहीं झोंक रहे हैं हम अति पिछड़े दलितों को धोखा नहीं दे रहे हैं । आपको साधुवाद देना चाहिये माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा काम अल्प समय में किया गया । मैं इस कार्य का बीच-बीच में अपने अग्रज से बैठकर बात करता था, इट इज ए थारो वर्क । एक-एक दिन उसकी चिन्ता की गयी । किस जाति के लोग प्रथम श्रेणी में कितने प्रतिशत हैं उनकी जनसंख्या कितनी है किस जाति के लोग द्वितीय श्रेणी में हैं क्या उनको पूरा आरक्षण मिल पाया ? कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला है ? एक-एक बात की चिन्ता की गयी है । मान्यवर, मुझे प्रसन्नता होती, मुझे लगता कि यह जो बैठे हुए हैं, यह राजनीति कर रहे हैं, हम अगले चुनाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं हम अगली पीढ़ी के भविष्य की राजनीति कर रहे हैं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग आगे आकर खड़ा हो जाये इसकी बात हम कर रहे हैं आपको तो इसकी खुले दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिये । शब्द थोड़ा अटपटा है बड़ी बेशर्मी के साथ वह भी कह रहे हैं कि यह नहीं किया गया वह नहीं किया गया, 15 प्रतिशत उनको दे दिया जाये, 5 प्रतिशत इसमें बढ़ा दिया जाये, 7 प्रतिशत बढ़ा दिया जाये कुछ अल्पसंख्यकों की चिन्ता की गयी । शायद इन्होंने अधिनियम पढ़ा नहीं पिछड़ी जातियों में 22 मुस्लिम जातियां हैं । भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों की भी चिन्ता की है किसी के साथ अन्याय करने की चेष्टा नहीं की गयी है । चाहे उनके साथ बी०एस०पी० ने इतने वर्षों तक अन्याय किया । धन्यवाद दूंगा माननीय मौर्य जी को जो आपने कहा और इस अधिनियम का स्वागत किया बधाई दी । मैं तो आपके प्रति कृतज्ञ हूं । आप भले ही कृतज्ञ न हो । दो-दो बार बहन जी का सम्मान भी बचाया और सम्मान भी दिया हमने । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मगर हर बार यही भाषा बोलते रहेंगे तो उससे क्या होगा ? (व्यवधान) कांग्रेस वाले भी जो हैं अपना असली चेहरा तो दिखा दिया है । कृपा करके इतिहास का स्मरण किया करें । कुछ सबक सीखिये जब सबक सीखेंगे तो सत्य बोलने की आदत पड़ जायेगी और जब सत्य बोलेंगे तो सही राजनीति करेंगे । इसी के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को जो इस समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो युगान्तकारी कदम उठाया है, इसके लिये वे साधुवाद के पात्र हैं । इस अधिनियम और इस अध्यादेश का जो अननुमोदन किया है उसका विरोध करता हूं । इस अध्यादेश, इस अधिनियम का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, संशोधन आप कैसे रख रहे हैं आप अपनी बात कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल अपनी बात कहें ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, जो संशोधन दिया गया है उसके दो बिन्दु पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वास्तव में लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 जो 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ और उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का काम हुआ उसका लगातार 8 वर्षों में जो सर्वेक्षण कराया गया उसका हाल जो सरकारी सेवाओं में और उन तमाम शैक्षणिक सेवाओं में लाभ जिन जातियों को मिलना चाहिए जिनको आरक्षण उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा करने का प्राविधान किया गया और जिसके अन्तर्गत 79 जातियों को रखा गया उस आरक्षण का लाभ का परसेन्टेज निकालने का विश्लेषण करने पर यह हुआ कि कुछ भू-स्वामियों, जातियों को ही इसका लाभ हुआ । इस संबंध में 27 प्रतिशत आरक्षण में विभिन्न जातियों की जनसंख्या के हिसाब से उसके अनुपात में अलग स्लैब बना दिया जाय । मेरे द्वारा 1997 से लेकर 2001 तक नियम 311, 56 और 51 में इसको विभिन्न नियमों में उठाने की बात की गयी परन्तु अचानक पिछले 2 माह में सर्वेक्षण करके सामाजिक न्याय समिति ने इसे यहां लाकर जल्दबाजी दिखाने का काम किया है इससे निश्चित रूप से यह प्रदर्शित होता है कि न्याय जिन जातियों को मिलना चाहिए था उस ढंग का न्याय दिलाने में यह समिति नाकाम रही है । 53 हजार ग्राम पंचायतों और 16 करोड़ की आबादी का मात्र 60 दिन के इस कार्य में केवल 3233 ज्ञापन इन्हें प्राप्त हुए और इसमें रेन्डम सर्वे के आधार पर जो तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा व चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में मात्र 138 शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का सर्वेक्षण कराया गया जो अपने आप में नाकाफी था । अगर वास्तव में सरकार की नीयत साफ थी तो अच्छा होता कि 2001 में जब जनगणना मर्दुमसुमारी हो रही थी तो जाति के आधार पर मर्दुमसुमारी की जाती । 1931 में पहली एवं आखिरी बार पूरे भारत में जातीय आधार पर जनसंख्या की जनगणना ब्रिटिश विशेषज्ञ ए०सी० टर्नर ने की थी । आज इधर उधर से आंकड़ों को इकट्ठा करके मात्र 60 दिनों के अन्दर इस अधिनियम को लाकर पेश करने की बात की गयी है । मान्यवर, मैं कुछ संशोधन रखना चाहता हूं–धारा 3 की उपधारा 1 (च) में अत्यधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) और जोड़ दी जाये तथा

(छ) में अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) को 9% उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूची एक के भाग घ में इस प्रकार रख दी जाय–

भाग–ख के जाट मुस्लिम, गूजर मुस्लिम, कम्बोज मुस्लिम को तथा भाग–ग के मुस्लिम केवट, मल्लाह, निषाद, कसगर, कुजड़ा या राईन, गद्दी, घोसी, चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक, जोगी, झोजा, डपाली, तमोली, बरई, चौरसिया, तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक, दर्जी, इदरीसी, काकुत्थ, फकीर, बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी, बढ़ई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल रमगढ़िया, जागिड़, बारी, भर्जी, भड़भूजा, भंज, कांदू, कशोधन, भठियारा, लोहार, लोहार-सैफी, रंगरेज, रंगवा, हलवाई, मोदनवाल, हज्जाम नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास, सक्का–भिश्ती, भिश्ती अब्बासी, धोबी, कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार, नानवाई, शेख, सरवरी (पिराई) पीराही, मेव, मेवाती, खुमरा, संगतराश, हंसीरी, मोची, गांडा, कलाल, कलवार, कलार, मनिहार, कचेर, लखेरा, मोमिन (अंसार), मुस्लिम कायस्थ, मिरासी, नद्दाफ (धुनिया) मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे करण (कर्ण)

इन तमाम बिरादरियों में जो मुस्लिम जातियां हैं, उनकी जनसंख्या का जो रेशियो है, उस अनुपात में उनको लाभ नहीं मिल पाया है, इसलिये इन्हें पिछड़ी जातियों की कैटेगरी से हटाकर, अनुसूची श्रेणी घ बना दी जाती और उन्हें 9 प्रतिशत आरक्षण देने की सुविधा प्रदान की जाती तो निश्चित रूप से उन

लोगों में एक विश्वास जागृत होता और न्याय के पहलू को रखते हुए शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक समानता की दृष्टि से, संविधान की भावना के अनुरूप मैं इसे मानता । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से जो सवर्ण अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा करने की बात इस अधिनियम में की जानी चाहिये थी, हम संविधान की मूल भावना का पालन कर सकते थे और उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे, जो आर्टीकिल 15(4), 16(4) और 135 के अन्तर्गत संविधान में किया गया है ।

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस तरह से जल्दबाजी में 50 दिन के अन्दर सर्वेक्षण करके अधिनियम को लाने की बात की गई है, वह इस बात को प्रदर्शित करती है कि अभी तक आरक्षण के जरिये विभिन्न सेवाओं में कोटे को भरने का जो काम किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया । इसके लिये विशेष भर्ती अभियान चलाकर कोटा पूरा किया जाना चाहिये, ताकि उन वंचित लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले । मान्यवर, इसके अलावा क्रीमीलेयर को लागू करने की बात सख्ती से लागू की जाय । समूह ''क'' और ''ख'' की नौकरियों का लाभ जिनको एक बार मिल चुका है, उनके परिवारों को दुबारा यह सुविधा न मिले और दूसरे जो दबे-कुचले, वंचित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के साथ-साथ समतावादी समाज का निर्माण की दिशा में हम अपने कदम उठा सकें, इसके लिये प्रयास किया जाना चाहिये । यदि यह निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कल्याण करना चाहते हैं तो उसके लिये एक आयोग गठित करके, किसी रिटायर्ड न्यायाधीश के माध्यम से सर्वेक्षण कराने की बात कही जाती और आज भी जिस तरह से एक ही दिन में अध्यादेश और अधिनियम प्रतिस्थापित करके, नियमावली के सभी नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह पास कराने की जल्दी करने का काम किया है, वह निश्चित रूप से खामियों पर पर्दा डालने का काम करेगा । जो किसी भी रूप में स्थगन प्रस्ताव लाकर इन सुविधाओं के ऊपर गहरी चोट देने का काम करेगी । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह चुनावी लाभ लेने की नीयत से अधिनियम लाया गया है और निश्चित रूप से इसमें संशोधन की आवश्यकता है । पुनः विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने इस अध्यादेश और माननीय हुकुम सिंह, नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं को बड़े ध्यान से सुना । सभी ने अध्यादेश के पहलू पर कम और एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप की ज्यादा चर्चा की, इसकी गंभीरता और गहनता की ओर नजर डालने की कोशिश कम की गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सामने 3-4 सवाल रखना चाहता हूं । पहला प्रश्न मेरा यह है कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण की जो नीति है, वह तब लागू होगी, जब सरकारी पद होंगे । जितने भी पद रिक्त हैं, अब तक उनको तो समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा हो चुकी है ।

माननीय वित्त मंत्री जी का कई बार अखबारों में बयान आया कि इतने पद समाप्त कर दिए गये, इतने राजस्व की बचत हो गयी । एक तरफ पदों की समाप्ति, 2 प्रतिशत की छंटनी लागू और दूसरी तरफ भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था । जब कहीं पद चलेंगे तभी तो उन्हें भरने और उन पर आरक्षण की व्यवस्था । जब कहीं पद बचेंगे तभी तो उन्हें भरने और उन पर आरक्षण देने की नौबत आयेगी । मेरा अगला प्रश्न है जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति के अन्तर्गत उनका निजीकरण किया जा रहा है, राष्ट्र के पैमाने पर और प्रदेश के पैमाने पर । जितनी तेजी के साथ सार्वजनिक उपक्रम निजी क्षेत्र में जा रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ लाभान्वित होने वालों का हिस्सा घटता जा रहा है । जब पद चलेंगे ही नहीं तो आरक्षण बस एक शिगूफा रह जायेगा । एक बात और

जानना चाहता हूं यह जो आरक्षण की नीति है, आप जो नीति बनाकर लाये हैं तो फिर सरकारी पदों को समाप्त करना, छंटनी को लागू करना और जो सरकारी निगम हैं उन्हें निजी हाथों में देना, ये दोनों काम नीति विरुद्ध हैं । मैं अगली बात कहना चाहता हूं, देश में बड़ा भारी वायु मण्डल आरक्षण के विरोध में खड़ा हुआ है । इस वायु मण्डल के बारे में एक सवाल मैं करना चाहता हूं, 50 प्रतिशत आरक्षण एक और 50 प्रतिशत आरक्षण एक । दो आरक्षण के पहलू हैं । एक पहलू जो है उसमें आपने कई वर्गों में बांटकर आरक्षण की नीति बना दी कि इसमें अमुक-अमुक हैं लेकिन जो दूसरा आरक्षण है उसमें आपने आज तक यह बताने की कोशिश नहीं की कि जातिवार किसका कितना-कितना कब्जा है ? जो आरक्षण सवर्ण जाति का कहा जाता है और जो आरक्षण पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति का कहा जाता है उसमें मौलिक अन्तर क्या है ? मैं जानना चाहता हूं । आप पूरे प्रदेश के सभी पदों का श्वेत पत्र जारी करें कि सरकारी पदों पर किस जाति का कितना कब्जा है, यह सामने आना चाहिए ताकि आरक्षण के सम्बन्ध में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है वह समाप्त हो और सही तस्वीर आए कि आबादी कितनी और पदों पर आरक्षण कितना ? कौन कितना हावी है यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । यह बात मैं इसलिए कहा रहा हूं कि आपने अपनी नीति में तय किया है कि जाति आबादी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जायेगा । जब जाति/आबादी के अनुरूप आरक्षण की नीति बन रही है तो क्यों इस स्थिति को साफ कर दिया जाए कि किसकी कितनी आबादी है और कितना कब्जा कर रखा है और इस कब्जा को कैसे हटाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने आरक्षण का कोटा 45 परसेंट किया है, इसे और बढ़ाना चाहिए । अगर नहीं बढ़ायेंगे तो लोग इसे अच्छा उदाहरण नहीं मानेंगे । 70 जातियां हैं अत्यधिक पिछड़े वर्ग की । 61 प्वाइंट कुछ प्रतिशत आबादी है, तो जिनकी बड़ी आबादी, जातियां ज्यादा, वहां आरक्षण कम । लेकिन आप भी क्या करते ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इतिहास बनेगा । इतिहास में जब इसे समझा जायेगा तब आपका भी नाम आयेगा कि आपने अपनी आत्मा के विपरीत काम किया । जिनकी आबादी ज्यादा थी, जिनका आरक्षण का कोटा अधिक होना चाहिए था, तो आपकी संस्तुति होनी चाहिए थी जिनको अत्यन्त पिछड़े वर्ग, में रखा है, 70 जातियां हैं आबादी उतनी तो उसका कोटा भी बड़ा होना चाहिए । आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए । उस स्थिति में जब आयेंगे तो सारी तस्वीर सामने होगी । आज जो लोग आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं । डंग साहब बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं, यह विशुद्ध रूप से राजनैतिक मामला है । यदि राजनैतिक मामला नहीं होता तो जाट को अति पिछड़े वर्ग में डालने की कौन सी परिभाषा थी ? कल तक वह सर्वण थे, फिर पिछड़े वर्ग में रखा और अब अति पिछड़े में हैं, इसमें कौन सा पैमाना था ? यह सारी बातें एक राजनैतिक चक्रव्यूह के रूप में है । संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत सामाजिक न्याय समिति ने जो संस्तुति की है उसकी प्रशंसा करूंगा लेकिन जो अन्तर्विरोध पैदा हो रहा है उसको आपके सामने रखा है । आपने अपना काम अच्छी तरह से किया है लेकिन जो परिस्थितियां आरक्षण के विरोध में पैदा हो रही हैं, मण्डल और कमण्डल दोनों को आरक्षण की श्रेणी में देखेंगे । सबसे ज्यादा भयानक स्थिति किनकी है आप अपनी आत्मा को अच्छी तरह से समझ करके कहिये कि कुछ गलतियां हुई हैं, उससे सबक सीखना चाहिए । इसलिए कह रहा हूं कि सरदार जी, जो 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा सर्वण जाति का है उसका भी जातिवार और पैदावार श्वेत-पत्र जारी करे, स्थिति साफ हो जायेगी । फिर पूरे प्रदेश में आवाज उठेगी । जितनी जिसकी आबादी उतना ही उसका आरक्षण इसी के साथ मैं यह कहूंगा कि माननीय हुकुम सिंह जी का प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी द्वारा प्रसतुत उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन इस विधेयक, 2001 के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस पर-अपना विचार रखने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। मान्यबर, भारत के संविधान में, संविधान निर्माताओं ने इस देश के सामाजिक विसंगतियों को दृष्टिगत में रखते हुये संविधान में सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर अन्य अति पिछड़ी जातियों के लिए, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्राविधान किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदियों से हमारे समाज में शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित लोग हैं उन्हें विशेष अवसर देने की बात संविधान बनाने वाले महापुरुषों ने की है मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति के, जनजाति के उन पिछड़े लोगों को जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा था उनको आरक्षण का न्यायोचित लाभ सुनिश्चित कराने हेतु जो विधेयक सदन में प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1977 में जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान की इस भावना को अमली जामा देने के लिये वी०पी० मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और जब पुनः केन्द्र में जनता दल की सरकार बनी तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा माननीय श्री यादव ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू किया। आज इस प्रदेश की सरकार अति पिछड़ी तथा सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ के लिये जो विधेयक लायी है इससे, उन लोगों को जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल सका था उनको अब आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह जो विधेयक रखा है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं आज कि इस कदम से लोगों के मन में एक आशा जागी है कि जो सदियों से वंचित हैं। आजादी के उन 54 वर्षों बाद जो आरक्षण के लाभ से वंचित थे उनको अब आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसके लिये मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रदेश सरकार को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में उसने यह जटिल कार्य सम्पन्न किया है। सामाजिक न्याय के प्रति माननीय मुख्य मंत्री के मजबूत संकल्प की मैं सराहना करता हूं।

मान्यवर, अनुसूचित जाति के भीतर या पिछड़ी जाति के भीतर जो अति दलित और अति पिछड़े लोग थे जिनको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल सका था प्रदेश सरकार ने इस विधेयक के जरिये आज उन तक यह एक संदेश पहुंचाने का काम किया है कि अब उन्हें भी सामाजिक न्याय का लाभ मिलेगा जो आज तक इससे वंचित थे। लेकिन इस विधेयक के समर्थन में एक सुझाव भी प्रदेश सरकार को देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप पिछड़ों, दलितों को इस सुविधा का लाभ अधिकाधिक मिले सके तो इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बड़े पैमाने पर सृजित किए जायं। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा ? आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सबसे ज्यादा आघात सार्वजनिक क्षेत्र को पहुंच रहा है, आज रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में सेवा के अवसर निरन्तर कम होते जा रहे हैं। सरकार ने आरक्षण कोटा का जो न्यायोचित बंटवारा किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है लेकिन मैं प्रदेश सरकार से कहना

चाहता हू कि सार्वजनिक क्षेत्र में और सरकार क्षेत्र में आज सर्वाधिक रोजगार की गुंजाइश हो वहां-वहां नौकरियां सृजित की जायं और सेवाओं के अवसर बढ़ाये जायं । सरकारी क्षेत्र में आरक्षण की तरह निजी क्षेत्र में भी जो कल कारखाने हैं या निगम हैं या दूसरे प्रतिष्ठान हैं आने वाले दिनों में वहां पर भी आरक्षण का प्राविधान किया जाय । सरकारी सेवाओं में सेवा के अवसर कम हो रहे हैं इसलिये निजी क्षेत्र के कल कारखानों और उद्यमों में भी पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की जाय । सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए महान समाजवादी नेता, महान चिंतक डा० राम मनोहर लोहिया ने विशेष अवसर के सिद्धान्त का प्रतिपादित करते हुये पिछड़ों को 60 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने हेतु आजीवन संघर्ष किया ।

देश भर में डा० लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों के विचार ने समाज के पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष किया । जनता दल गांधी लोहिया जय प्रकाश के विचारों के प्रति संकल्पित है । जनता दल ने पिछड़ों के आरक्षण के लिए सतत् संघर्ष किया तथा उसे लागू भी किया । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक, 2001 पर विचार व्यक्त करने की मुझे अनुज्ञा प्रदान की । अभी सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों ने इस पर अपने विचार रखे हैं । हमारे दल की तरफ से नेता प्रमोद कुमार जी ने संशोधनों के साथ कुछ प्रस्ताव रखे हैं मैं उस संशोधन पर बल देता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार की इस विधेयक को पारित करने के पीछे मंशा और नीयत यह भी है कि अति पिछड़े और अति दलित वर्ग के लोग जो काफी दिनों से आरक्षण का लाभ होने के बवजूद वंचित रह रहे थे पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों में कुछ ही वर्गों के लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ इसी प्रकार अनुसूचित जातियों में कुछ ही वर्गों के लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ । आज यह सरकार जिस मतदाताओं की बदौलत उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में सत्तारूढ़ है उनकी भी चिन्ता करनी चाहिए । पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को और अनुसूचित वर्ग की कुछ जातियों की चिन्ता है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उसके लिए शीघ्र ही पिछले दो माह में सर्वेक्षण कराकर विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया और वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं । सिद्धान्तः सबकी इस पर सहमति है लेकिन यदि सरकार की मंशा वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ देने की है तो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों में जो क्रीमीलेयर लोग हैं जो समाज में अभिजात्य वर्ग में आ गए हैं व सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नहीं रह गए जैसे उनके परिवार का कोई व्यक्ति अधिकारी हो जाता है शासकीय सेवाओं में हो जाता है तो यह परिवार संतृप्त हो जाता है और यह परिवार वंचित वर्ग से अलग हो जाता है । फिर से उस परिवार को अगर आरक्षण की श्रेणी में रखें तो कदाचित् यह न्याय नहीं है । श्रीमन्, निश्चित तौर से एक नीति बनानी होगी । अगर इस सरकार को अपनी नीयत और नीति स्पष्ट करनी है । क्रीमीलेयर की बता हो रही थी इसको आप अनुसूचित जाति में क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं ? अगर किसी को उस आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो उसको उससे अलग करके दूसरे लोगों को जो समाज के उस खेत, खलिहान, चौपाल में बैठकर उस आरक्षण के लाभ की प्रतिक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिले ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सम्पन्न हो सकें । इसको आपको लागू करना होगा अन्यथा जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है उसको लगातार आगे भी मिलता रहेगा । एक बार अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति आई० ए० एस०

या पी० सी० एस० में आ गया है तो उसी के बच्चे भी आगे उसका लाभ पाकर आई०ए०एस०, आई०पी०एस० बन रहे हैं और गांव में आज भी अनुसूचित जाति के परिवारों में बच्चे आज भी बेरोजगार पड़े हैं।

मान्यवर, आप भी जानते होंगे कि गांव में बेकारी की स्थिति कैसी है ? जो अनुसूचित जाति के गरीब लोग गांव में हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वाभाविक है कि जब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनको किसी कम्पटीशन के लिये अवसर कैसे मिलेगा ? जो कोचिंग और शैक्षिक चीजें हैं उसमें इनको लाभ मिलना चाहिए यह आरक्षण का। इनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में जिनके लिये यह आरक्षण की व्यवस्था बनी है उनको उसका लाभ मिल सके। इसी नाते अनुसूचित जाति को दो श्रेणी में या पिछड़े वर्ग को तीन श्रेणी में बांटा गया है। बहुत विस्तार से कई वक्ताओं ने इस पर बात कही हैं। मैं क्रीमीलेयर की बात यहां पर कर रहा हूं कि यह दोनों वर्गों में लागू होना चाहिए। मैं आज बी०जे०पी० की सरकार से स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आरक्षण समाज के सवर्णों पर भी लागू होना चाहिए। आज आप जब गांवों में जायेंगे तो हर व्यक्ति आपसे पूछेगा, बी०जे०पी० के सदस्य चुनाव लड़ने जायेंगे तो निश्चित रूप से यही प्रश्न होगा कि आप सरकार में थे। हमारी वजह से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी और केन्द्र में अटल बिहारी जी की सरकार बनी। जिन मतदाताओं के बल पर सरकार बनी उनकी चिन्ता नहीं है आपको। सर्वणों में आर्थक रूप से विपन्नता है। गांव में उनके घरों में बेरोजगारी है। वे भी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। केवल जातियों के आधार पर कि ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों में पैदा हो जाने से ही आरक्षण के लाभ से वह वंचित हो जाय, यह विडम्बना होगी, न्याय नहीं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सवर्णों में भी क्रीमीलेयर की बात होनी चाहिए। यह भी कहना चाहते हैं कि सवर्णों के लिये भी 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय। इसके लिये यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो करें। संविधान में 50 प्रतिशत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। आप संविधान में संशोधन करके इसको 65–70 प्रतिशत करें। आज जवाबदेही ठाकुर राजनाथ सिंह जी की और पंडित अटल बिहारी बाजपेयी जी की है। आज सवर्णों में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं बेरोजगारी का शिकार होकर गांवों में बैठे हैं आरक्षण की इस प्रक्रिया से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है वे आर्थिक विपन्नता के दौर से गुजर रहे हैं।

सरकार को इस पर सोचना होगा। इसी तरह से प्रदेश में एक तबका अल्पसंख्यक वर्ग का है। जो इसी धरती पर पैदा हुआ है, इसकी सीमाओं की हिफाजत में उसकी भागीदारी है। उसमें पिछड़े हुए मुस्लिम या क्रिश्चियन हों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ज्यादा नौकरियों में नहीं हैं। नौकरियों में उनकी संख्या घटते-घटते एक दो प्रतिशत रह गई उनके लिये विचार करें। सरकार किसी एक जाति की नहीं होती। शासन सत्ता में बैठ कर किसी खास जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। सरकार से सभी को अपेक्षा होती है और सरकार सबकी होती है। आज उत्तर प्रदेश के उन अल्पसंख्यकों को जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी दशा देखिये और उसके हिसाब से आरक्षण देने की बात करें। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति में उन वर्गों की भी आबादी देखिये। सभी सहमत होंगे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी इस तरह से सहमत हैं तो मैं चाहूंगा हमारे उन अल्पसंख्यक भाईयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसका दलगत भावना से ऊपर उठकर केन्द्र में भी और यहां पर भी कोई संशोधन लाने की बात होगी तो उसका समर्थन करेंगे ? तो ऐसा एक विधेयक आना चाहिए जिसमें सभी वर्गों को लगे कि यह विधेयक सबके लिए है सरकार ने सब वर्गों को देखकर इस दिशा में विचार किया है।

(संसदीय कार्य-मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

मेरा संकल्प है मैं बोल लूं । मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर मान्यवर नौ सदस्यों ने विचार रखे हैं श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री संजय गर्ग, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल आदि । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने इस बात की जिज्ञासा प्रकट की कि अब तक कितने पद हैं कितनी आबादी किसकी है कितना आरक्षण मिल चुका है, तो माननीय हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनी थी उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए सवर्ण समाज का 20.95 प्रतिशत है इस समिति के अनुसार 'क' श्रेणी की नियुक्ति में 76.9 प्रतिशत हासिल किया है 'ख' श्रेणी में 67.77 प्रतिशत हासिल किया है ''ग'' श्रेणी की नियुक्ति में 55.68 प्रतिशत हासिल किया है । जो ओ०बी०सी० के लोग हैं जिनकी आबादी 55.05 प्रतिशत है ''क'' श्रेणी में इनकी नियुक्ति का प्रतिशत 6.2 प्रतिशत है ''ख'' श्रेणी में 15.23 प्रतिशत है ''ग'' श्रेणी में 27.1 प्रतिशत है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनकी आबादी का प्रतिशत .06 प्रतिशत है इन्होंने ''क'' श्रेणी में नियुक्ति का प्रतिशत दशमलव 43 प्रतिशत हासिल किया है । ''ख'' श्रेणी में दशमलव 44 प्रतिशत और ''ग'' श्रेणी में दशमलव 19 प्रतिशत हासिल किया है । अनुसूचित जाति के जो लोग हैं 24.94 प्रतिशत जिनकी आबादी है इन्होंने नियुक्तियों में ''क'' श्रेणी में 16.29 प्रतिशत ''ख'' श्रेणी में 16.56 प्रतिशत ''ग'' श्रेणी में 16.97 प्रतिशत हासिल किया है इस तरह से असमानता पैदा हो चुकी है इसको कैसे समाप्त किया जाएगा । इसमें सामाजिक न्याय समिति को विचार करना चाहिए था और इसमें कोई न कोई परिवर्तन करना चाहिए था । दूसरी बात तीन लाख रुपया क्रीमीलेयर के लिए इसमें रखा है इसको बढ़ाकर पांच लाख करना चाहिए था 1994 में एक लाख रुपया निर्धारित किया गया था 1994 के बाद मान्यवर, अगर 2001 में देखेंगे तो रुपये का मूल्य और महंगाई के हिसाब से पांच लाख से ज्यादा आता है इसलिए पांच लाख रुपया रखना चाहिए । इस प्रकार सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, इनकी जो कमियां इस अधिनियम में नजर आई हैं उसके बारे में लोगों ने चिन्ता जाहिर की है इन पर विचार करके आप अच्छा विधेयक अभी बना सकते हैं मैं चाहूंगा कि एक चीज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कही जिस समय भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार में मुखिया मायावती थीं उन्हें अति पिछड़े दलितों को आरक्षण लागू करना चाहिए था भाजपा ने विरोध किया इसलिए लागू नहीं किया ।

मैं भी उस मंत्रि-परिषद् का सदस्य रहा हूं । बहुत करीब और वरिष्ठ सदस्य रहा हूं इस तरह का कोई प्रस्ताव न तो कैबिनेट में आया था । इस तरह से अति दलित और अति पिछड़े स्तर का कोई प्रस्ताव नहीं आया था । इस तरह की गलतबयानी, मैं समझता हूं कि इस सदन में करेंगे तो एक अच्छी परम्परा नहीं होगी । अभी 29 जून को प्रेस कान्फ्रेंस करके एक लिखित प्रेस नोट जारी किया । उसमें अति दलित और अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध किया गया । यह कह देना कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनके मंत्री थे, विरोध किया, इसलिए नहीं ला पाये । बल्कि श्री चौधरी और हमने इस तरह का सुझाव देने की कोशिश की थी कि अति दलित और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए । यह 22 प्रतिशत और 27 प्रतिशत का बंटवारा किया जाना चाहिए परन्तु मायावती जी इससे सहमत नहीं थी ।

माननीय हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में जो सामाजिक न्याय समिति थी अगर उसकी दृष्टि ऐसे स्थान पर पहुंच पाती जहां पर जन्मना व्यवस्था लागू है, जिस पर विवाद हुआ और मैं एक उदाहरण दूंगा । आपका संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें किसी विशेष जाति के लिए काशी विश्वविद्यालय की पांच संकाय हैं जिसके लिए महादेवी वर्मा जी ने एडमिशन के लिए कोशिश की थी, वह महिला थी, एडमिशन नहीं हो पाया । जिसको लेकर एक लम्बा विवाद चला था, उस समय के विद्वान कानूनविद् श्री भगवानदास जी और शिव प्रसाद जी जैसे लोगों ने बहस की थी और उस संकाय में 60 वर्षों तक केवल जन्मना से उस संकाय के सदस्य हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी दृष्टि जानी चाहिए थी और प्राविधान करना चाहिए था । आजकल फलित ज्योतिष के बारे में चर्चा हो रही है । इस ज्योतिष जैसे विभाग में कैसे नौकरी देंगे, कैसे आरक्षण होगा, कौन लोग जायेंगे इस पर दृष्टिपात होना चाहिए था ? मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ सभी सदस्यों ने जो तमाम त्रुटियों की ओर इंगित किया है, मैं समझता हूं कि उन त्रुटियों को दूर करके एक अच्छा विधेयक लाया जा सकता है । अति पिछड़ों को भी लाभान्वित करना चाहिए । उसमें वैश्य समाज, शहर में रहने वाली पिछड़ी जातियों को अत्यधिक पिछड़ी जाति में रखा है । साहू, तलवाड़ जैसी जातियों को केवट, बिन्द निषाद जैसी जातियों से मुकाबला कराने जा रहे हैं । ऐसी जातियां जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से आगे है उनको पिछड़े वर्ग में रखकर जो 14 प्रतिशत से इनके हवाले करने का काम कर रहे हैं । इस तरह से जो मैंने 7 बिन्दु संशोधन में रखे हैं, आवश्यकता है । लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इसको हम नियोजित तरीके से लागू कर रहे हैं । इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं और आज इस 13वीं विधान सभा का ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आपने अनुसूचित जाति, अति अनुसूचित जाति, अति दलित, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाया है, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

मान्यवर, मैंने जो अपना संशोधन रखा था उसका समावेश करके आप उनका भला कर सकते हैं । 70 जातियां जिनकी आबादी 61.98 प्रतिशत है अत्यधिक पिछड़े वर्ग में रखा है उन्हें आप उनकी आबादी का 1/5वां भाग दे रहे हैं और जिनको सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ों में रखा है । उनकी आबादी 19.4 है उन्हें 5 प्रतिशत दे रहे हैं । श्री प्रमोद कुमार और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि जो मुस्लिम समाज के भाई हैं उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से जो हिस्सा बनता है उनको मिलना चाहिए और यह हिस्सा 9 प्रतिशत बनता है । यह जो संशोधन विधेयक रखा है, और 1 (ग) 2 देना चाहिए अन्यथा उनका भला नहीं होगा । जो लोग शहरों में रहते हैं जिनके बच्चे कान्वेन्ट स्कूलों में पढ़ते हैं इससे उन्हें ही लाभ होने जा रहा है । अतः जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन सुझावों का समावेश करके आप अपने संगठन और अपनी सत्ता से इसकी शुरूआत करें । इसमें आप दलितों, अतिदलितों, पिछड़ों को लाभ देकर इनका भला कर सकते हैं । इससे आपके प्रशासन में भी पारदर्शिता देखने को मिलेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने दो संशोधन विधेयक रखे हैं । मुसलमानों को 27 प्रतिशत में से 9 प्रतिशत दिया जाना चाहिए । आरक्षण पूरे देश की आबादी को ध्यान में रखकर देना चाहिए । जो गरीब तबका है उन्हें 15 प्रतिशत दिया जाना चाहिए और इसके लिए जो आवश्यक संशोधन करना पड़ेगा उसमें उसका कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी । इसी तरीके से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण पर बल देता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आज की चर्चा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज चर्चा में अच्छे सुझाव भी हैं, चर्चा भी हुई है लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि चेहरे से नकाब हट गये हैं । मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है और विधेयक जिस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है उसमें यह कहा गया कि जल्दी रिपोर्ट दे दी और इसमें न्याय नहीं किया गया है । इसमें नौकरियों के जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे सही नहीं है ।

मान्यवर, मैं परफेक्शन के लिये बात नहीं कहना चाहता हूं पूरी रिपोर्ट परफेक्ट है यह मैं नहीं कहना चाहता हूं । आज भी मैं कोई भी किसी भी रिपोर्ट को परफेक्ट नहीं मानता हूं । लेकिन हां एक ईमानदारी के साथ प्रयास किया है । सारी चीजों को करने का प्रयास किया गया आधार रखा गया है वैज्ञानिक आधार रखा गया है केवल अनुमान या आंकलन नहीं रखा गया है । आज से 20-25 साल पहले कोई आयोग गठित हुआ होता तो वर्षों लगते । लेकिन आज इलेक्ट्रानिक का युग है, कम्प्यूटर का युग है प्रदेश के 57 जिले कम्प्यूटर के नेट वर्क से जुड़े हुए हैं । आज हमें गर्व होना चाहिए । 53 हजार ग्राम पंचायतों की जनसंख्या आज उपलब्ध है हर जिले में हम प्रयास करेंगे हर जिले की गांव वाईज जनसंख्या जाति के आधार पर कम्प्यूटर में फीड कर दी जाये उनकी सहायता लेनी हो तो 1 मिनट में वह जानकारी प्राप्त हो सकती है । नहीं रखेंगे तो हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी ।

आज हमने उसका फायदा उठाया है । 57 जिलों से आधे घण्टे में मुख्यालय पर आंकड़े प्राप्त हो गये । सीधा नेटवर्क जुड़ा हुआ था । सारे कम्प्यूटर लगे हुए थे । सहारनपुर से जानकारी प्राप्त करनी है तो 15 आदमी वहां से 15 पल्लेदार चलते पोटली बांधकर के दो दिन में यहां पहुंचते दफ्तरों के चक्कर काटते जो काम दो महीनों में नहीं होने वाला था कुछ ही घंटों में हो गया । मैं कोई अकलमंदी की बात नहीं कर रहा हूं । व्यवस्थायें जो उपलब्ध हैं उसका सदुपयोग करने में हम कामयाब हो गये । एक मानसिकता होती है काम करने की जितनी प्रेरणा दी जा सकती है अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को, आप लोग कल्पना करते, 85 हजार अधिकारी कर्मचारी एक सप्ताह तक इस काम पर लगे रहेंगे, ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, ईमानदारी के साथ लगे । यह मैं जानकारी के आधार पर कह सकता हूं । इन 53 हजार ग्राम्य पंचायतों में आप एक प्रतिशत ग्राम पंचायतों के भी आंकड़ों की तुलना करके बता दें कि गलत है तो मैं अपनी गल्ती मान लूंगा क्योंकि हमने तुलना करायी है । जिले के जब आंकड़े आये हैं यह भी अवसर प्राप्त हुआ कि तुलना करें और तुलना की है । ईमानदारी के साथ प्रयास किया गया और सफल हुए हैं । हमें अपेक्षा थी कि आलोचना और समालोचना के साथ आप दो शब्द यह भी कहते कि अच्छा प्रयास सरकार ने किया है । एक सवाल आपने उठाया है सरकारी नौकरियों में सेवायोजन के आंकड़े किस बात पर निर्भर करते हैं आपने निकायों को नहीं लिया है आपने जो दूसरे कारपोरेशन हैं उनको नहीं लिया है । जितने स्थानीय निकाय निगम हैं, नगरपालिकायें हैं टाउन एरिया हैं वहां पर कौन कर्मचारी हैं सारे सेन्ट्रलाईज सर्विसेज के कर्मचारी हैं केवल सफाई कर्मचारियों को छोड़कर । वह भी सूचना भी कि अमुक नगरपालिका में अमुक टाउन एरिया में अमुक निकाय में कितने सफाई कर्मचारी हैं । जो फिफ्थ श्रेणी है उसका आधार लिया ही नहीं और लेना भी नहीं चाहिये । आधार तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का लिया है । पांचवीं श्रेणी को जानबूझकर छोड़ा है । उनकी सेवायोजन की हिस्सेदारी करके बाकी सुविधाओं से वंचित नहीं किया ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी, कालेज, स्वायत्तशासी संस्थाएं है क्या उनके भी कर्मचारियों को आपने समाहित किया उनका क्या परसेन्टेज है, इसको समाहित किया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक बात देखी जाती है । यह शत-प्रतिशत आंकड़े प्राप्त करने की बात है तो ट्रेन्ड देखा जाता है कि स्थिति क्या है ? 100 परसेन्ट आप कहेंगे मिले तो यह स्थिति बदलती रहती है हो सकता है कि आज की स्थिति कुछ हो और कल की स्थिति यह न हो यह तो हमेशा होता रहेगा । अगर किसी स्कूल में कोई अध्यापक हैं तो कल वह बदल सकते हैं उस आधार पर नहीं चला जाता है चला जाता है एक सिद्धान्त पर, नीति के आधार पर ।

एक बात आपने कही और माननीय जगदम्बिका पाल ने भी बहुत जोर लगाया कि अनुसूचित जाति में क्रीमीलेयर लाने का साहस नहीं कर सके । आपकी भी सरकार होगी । कहीं इस देश में अनुसूचित जाति में किसी राज्य में क्रीमीलेयर लागू हो गयी । पहली बार इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक आया है क्रीमीलेयर की सिफारिश की है और अकेली यह सिफारिश है जो प्रदेश सरकार ने स्वीकार नहीं की । मैं मानता हूं कि एक आधार है स्वीकार न करने का, इसलिये स्वीकार नहीं की गयी कि एक संवैधानिक बिन्दु उसमें है वह यह है कि कहीं यह लागू नहीं है । जो कानूनी राय आई थी, इसमें पार्लियामेन्ट ही कानून बना सकता है हम लोग कानून नहीं बना पायेंगे । इसलिये अगर कहीं इसमें न्यायालय से स्टे हो गया होता तो जो नीति की बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे तो कल वही कहते कि जानबूझकर यह लगाया था और इसीलिये लगाया कि स्टे हो जाय । हम लोगों को भी लगा कि यह पहली सरकार है आप भी देखेंगे कि जिसने दो माह में रिपोर्ट दे दी, लागू भी कर दी और आज 27 तारीख में हम खड़े हैं यह पारित भी होने जा रहा है इससे ज्यादा क्या नीयत देखेंगे ? हमने जो कहा करके दिखाया । इसलिये करके दिखाया क्योंकि उस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे, उसको पूरा करके दिखाया हमने किसी पर एहसान नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे विद्वान सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी को आपत्ति थी कि किसी जज को बैठना चाहिये था बाकी तो किसी पर विश्वास है नहीं इनको ये सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले तो हैं नहीं । जो व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में काम करता है वही इस पीड़ा को समझ सकता है । काका कालेलकर कौन से हाईकोर्ट के जज थे जो पहले अध्यक्ष बने, राष्ट्रपति ने बनाया, राष्ट्रीय आयोग था वह कौन से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जज थे । मुंगेरी लाल कौन जज थे, छेदी लाल साथी कौन जज थे और मण्डल कौन से हाईकोर्ट के जज थे । हाईकोर्ट से कोर्ट से बाहर निकलकर कभी देखा नहीं, सामाजिक क्षेत्र में राजनीति में कुछ काम करेंगे नहीं इसलिये 24 घण्टे वही नजर आता है । सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों पर भी विश्वास करके चलें, वह भी सही काम कर सकते हैं । मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता । दूसरी बात जो आपने विशेष रूप से कही है कि कहां-कहां आप गये हैं, आपने तो यहां एयर कंडीशन कमरे में बैठकर सारी बात कर दी तो एयरकंडीशन में बैठकर आप चर्चा भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती लेकिन जहां तक पूरे प्रदेश का प्रश्न है ।

मान्यवर, रूहेलखण्ड में समिति गई, बुन्देलखण्ड में समिति गई, पूर्वांचल में गई और पश्चिमांचल में यह समिति गई, कुल मिला कर इस समिति ने 11 मंडलों का भ्रमण किया और भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि वहां के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, जो

विशेष रूप से उन वर्गों से संबंधित थे, उन सबको आमंत्रित किया और 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में वह आये । मुझे खुशी है कि आज यह वर्ग जमा है, इस वर्ग में चेतना आई है । अपने अधिकारों के लिये यह आगे बढ़ रहा है, देखने लायक वह बात थी । यह सारे लोग हमारे सामने आये और उन्हीं के सामने बैठकर संवाद हुआ, जानकारी प्राप्त की, इससे ज्यादा अच्छा फोरम और क्या हो सकता था, इससे ज्यादा जानकारी और कहां से हो सकती थी ? आपने कह दिया, यहां बैठकर काम कर दिया, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट कैसे दे दी, इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि कैसे रिपोर्ट दे दी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ।

हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने कृपापूर्वक समर्थन किया है इसका, मैं नहीं जानता, किस विवशता के कारण किया या किस वजह से किया, लेकिन हां इसका समर्थन उन्होंने किया । सदैव की भांति नीयत पर शंका उनको रहती है । कभी मनुवादी कहेंगे, कभी कहेंगे आपकी नीयत लागू करने की नहीं थी, मैंने आपको बता दिया कि हमने तो कानून भी बना दिया, समय के अन्दर और इसे लागू भी कर दिया, विधेयक भी आ गया यदि आप किसी काम को इतने कम समय में करने का ब्योरा दे सकते हों तो मैं स्वागत करूंगा । आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिये थी । आप उसी को मनुवादी कहते हो, जिसने एक दलित की बेटी को इस सर्वोच्च आसन पर दो बार बिठाया है और बैठाया ही नहीं, जब जान के लाले पड़ रहे थे, कमरे में बन्द थीं, तब यहां के लोगों ने जाकर जान बचायी थी, इसके बाद भी आप आरोप लगाते हैं । बिना इस पार्टी के जीवन में आपको यहां बैठने का अवसर नहीं मिलने वाला है, यह मैं आपको बता रहा हूं । आपकी नीयत तो यह थी कि 6 महीने का वायदा करके आये थे और जब हमारा समय आया तो साथ छोड़कर चले गये । आपने तो इतिहास बना दिया, जब भी आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी, तो भूलेगी नहीं कि आपको लोकतंत्र में कितना विश्वास है । हमारे मित्र डंग साहब चले गये, बड़ी विद्वता से उन्होंने अपने बिन्दु रखे । भाई संजय गर्ग एक ही बात कहते रहे कि बहुत जल्दबाजी में काम कर दिया अरे काम करा तो । 6-6 साल तक बैठे रहते तो कहते, कुछ करते ही नहीं । काम करने के लिये समय नहीं होता, उसके लिये इच्छाशक्ति होती है, साधन होते हैं । प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, जिन्होंने इसके लिये सारे साधन उपलब्ध कराये, लेकिन उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट ईमानदारी से आनी है, नेकनीयती से आनी है, इसलिये यह रिपोर्ट आयी । आप लोग तो आडिट आब्जेक्शन में ही पड़े रहते, लेकिन हम समय के अन्दर रिपोर्ट लाये । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी बहुत पुराने सदस्य हैं, उनका इतिहास रहा है, कभी समाजवादी रहा, इस क्षेत्र के लिये कुछ करने वाला रहा । कहते हैं कि जब सरकारी नौकरियों में पद ही नहीं है तो आरक्षण का लाभ क्या ? मैं बताना चाहता हूं कि 45 हजार लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है । कभी लाभ पहुंचाया होता तो पता होता । आज जो हम पारित करने जा रहे हैं, उसी के अन्तर्गत सेवायोजन होने जा रहा है, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए ?

मान्यवर, दूसरा सवाल आपका, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण । सार्वजनिक उपक्रम रोजगार के धन्धे नहीं हैं, सार्वजनिक उपक्रम का उद्देश्य, उनकी संस्कृति दूसरी है । सारे विश्व का एक कार्यक्रम चल रहा है, हमें कम्पीट करना है, चाहे सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से कर लें या निजी क्षेत्र के माध्यम से कर लें, कोई बाध्यता नहीं है । चाहे नौकरी की बात हो या निगमों की बात, आज हम शुरुआत सरकारी सेवायोजन के माध्यम से कर रहे हैं । मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपका सहयोग बना रहे तो एक दिन ऐसा भी आयेगा जब निजी क्षेत्र में भी स्थान प्राप्त करेंगे । हमें शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी थी । सुभाष श्रीवास्तव जी यहां हैं नहीं, उन्होंने बड़ी विद्वता के साथ इस बात का समर्थन किया । मान्यवर, हमने एक सीमा के अन्दर काम किया, आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है

उससे आगे बढ़ नहीं सकती । प्रमोद जी का कहना यह था और जगदम्बिका पाल जी ने भी कहा कि सवर्णों में भी ऐसे वर्ग हैं । आप देखेंगे मैंने उनके लिए भी 5 प्रतिशत की व्यवस्था की है । वह अधिकार मिलेगा कैसे ? मै तरीका बता रहा हूं । पूरे देश में एक राज्य ऐसा है जहां 69 प्रतिशत आरक्षण है, वह राज्य है तमिलनाडु, वह इसलिए है कि इस राज्य ने इस आरक्षण के मुद्दे को संविधान के शिड्यूल–9 में डलवाने में 1994 में व्यवस्था कर ली थी । कर्नाटक की बात कही गयी । कर्नाटक में आरक्षण केवल 50 प्रतिशत है । उन्होंने आरक्षण ज्यादा किया था लेकिन उसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था । इतनी बात जरूर है कर्नाटक की 96 प्रतिशत जनसंख्या आरक्षण की परिधि में है । केवल 4 प्रतिशत जनसंख्या आरक्षण की परिधि से बाहर है ।

मान्यवर, इसलिए जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में किसी में तीन ग्रुप हैं । किसी में 2 ग्रुप हैं, किसी में 6 ग्रुप हैं लेकिन हमारे यहां एक अनुभव यह है और कई कठिनाइयों की बात कही गयी, उसका सारे का सारा चार्ट हमने बना लिया है जैसे ही यह पारित हो जायेगा, उसका भी नोटीफिकेशन साथ-साथ हो जायेगा । जब बाकी राज्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ? आप विद्वान हैं और हम आपसे सीखते भी हैं लेकिन इस आरक्षण की परिधि में काम करने की ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो बिन्दु रखे थे, जैसे आबादी के अनुपात में आरक्षण, मुस्लिम आबादी के अनुसार आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण और गरीब सवर्ण को आरक्षण आदि, इनमें संसदीय कार्य मंत्री ने एक बिन्दु को भी शामिल करने का विचार नहीं किया, इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं चर्चा बढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरी ओर इंगित करते हुए कहा कि सरकार की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए । मैं तो अपेक्षा यही करता हूं कि सरकार की नीयत साफ होगी इस मामले में, लेकिन संदेह तो इसलिए किया जाता है कि आपका पिछला जो आरक्षण विरोधी आचरण रहा है, उसके लिए मुझे मजबूर होकर सोचना पड़ता है । मान्यवर, साढ़े चार साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद यह कार्य नहीं हुआ अब जब विधान सभा चुनाव होने पर हैं ऐसे वक्त पर इनको इसकी याद आई, इसलिए मैंने विधेयक का समर्थन किया और स्वागत किया और इस पर ज्यादा जोर इसलिए दिया कि जिससे आप इसको अम्लीजामा दें और इसको अम्लीजामा पहनायें । हमारा यह मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी । हम इस समय सरकार में नहीं हैं । हम विपक्ष में हैं । अधिष्ठाता जी, हमारे बी० आर० वर्मा ने जो थोड़ा सा इशारा किया कि ऐसा कुछ नहीं था । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सब समाजवादी पार्टी की कठपुतली बनकर नाचने का ही परिणाम है । हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं । सरोज जी वह अतिदलित समाज के हैं,मैं नेता विधान मण्डल दल अति पिछड़े समाज का हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड (ख–2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे दिये जायेंगे अर्थात :–खण्ड–2 (1) नागरिकों के अन्य अत्यधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) का तात्पर्य अनुसूची एक के भाग–ग–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ।

खण्ड–ख–2 (II) नागरिकों के अन्य अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) का तात्पर्य अनुसूची एक के भाग–ग–2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ।

2—खण्ड (ख–3) में "अत्यधिक पिछड़े वर्गों" के स्थान पर अत्यधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) रख दिये जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की धारा–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा–2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(ख) "नागरिकों के पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक के भाग–क में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख–1) "नागरिकों के अति-पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट के पिछड़े वर्गों से है;

(ख–2) "नागरिकों के अत्यधिक-पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक के भाग–ग में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख–3) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों, नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों और नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से है;"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 मूल रूप से विधेयक का अंग माना जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–3

श्री अधिष्ठाता–

धारा–3 (1)(च) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :–

(च) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों (गैर मुस्लिम) के मामले में छः प्रतिशत,

(छ) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) के मामले में आठ प्रतिशत् । परन्तुक में च के आगे (छ) बढ़ा दिया जायेगा ।

धारा (3-क) में जहां-जहां अत्यधिक पिछड़े वर्गों शब्द आया है इसके स्थान पर ''अत्यधिक पिछड़े वर्गों'' (गैर मुस्लिम) अत्यधिक पिछड़े वर्गों (मुस्लिम) शब्द रख दिया जायेगा ।

मूल अधिनियम की धारा–3 (1)–एक या एकल पद पर भी रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

खण्ड–3 के उपखण्ड (1) में नया उप खण्ड–(6) बढ़ा दिया जाय जिसमें मुसलमानों को अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में उनकी आबादी के अनुपात में 9 प्रतिशत अलग से आरक्षण हो ।

आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों को उनकी आबादी के अनुसार 15 प्रतिशत का आरक्षण हो ।

अनुसूचित जाति तथा जन जातियां के लिए उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

धारा–3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–3 में, उपधारा (1), (2), (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएगी, अर्थात्:–

''(1) लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा :–

(क) अनुसूची तीन के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के मामले में	दस प्रतिशत
(ख) (क) अनुसूची तीन के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के मामले में	ग्यारह प्रतिशत
(ग) अनुसूची जन-जातियों के मामले में	एक प्रतिशत
(घ) नागरिकों के पिछड़े वर्गों के मामले में	पांच प्रतिशत
(ङ) नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों के मामले में	नौ प्रतिशत
(च) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों वर्गों के मामले में	चौदह प्रतिशत

परन्तु खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा ।

(2) (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तयों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिये भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

"(3) यदि किसी 'भर्ती का वर्ष' में,–

(क) अनुसूची–तीन के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग–ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा;

(ख) उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा ।

(ग) अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा और यदि ऐसी अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा ।

(3-क) यदि किसी 'भर्ती का वर्ष' में –

(क) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा और यदि नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा ।

(ख) नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरकिों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा ।

(ग) नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा ।

(3–ख) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति, उपधारा (3) या उपधारा (3-क) के अधीन की गई भर्ती के पश्चात् भी, बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती उतनी बार की जा सकती है जैसी आवश्यक समझी जाय ।

(4) जहां किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति, उपधारा (3) या उपधारा (3-क) के अधीन की गई भर्ती के पश्चात् या उपधारा (3-ख) के अधीन की गई विशेष भर्ती के पश्चात भी बिना भरे रह जाय तो ऐसी बिना भरी हुई रिक्ति को किसी उत्तरवर्ती भर्ती के वर्ष या वर्षों में एक पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है और ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना, भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ, नहीं की जायेगी ।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायेगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिये आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जाएगा । तत्पश्चात जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायेगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो ।''

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 मूल रूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–4

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुसूची–एक के भाग ''क'' में ''2''–जाट शब्द रख दिया जाय तथा भाग ''ख'' में से ''2''–जाट शब्द हटा दिया जाय तथा भाग ''ग'' को दो श्रेणी में बांट दिया जाय । ''ग''–क के अन्तर्गत (गैर मुस्लिम) जातियां तथा ''ग–2'' के अन्तर्गत मुस्लिम जातियां रख दी जायं, तथा अनुसूची–दो में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :–

''पांच सम्पत्ति स्वामी'' खण्ड को निकाल दिया जाय तथा (छः) आय या सम्पत्ति मानदण्ड के (क) खण्ड में ''तीन लाख रुपये'' की जगह पर पांच लाख रुपये रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अनुसूची-एक और अनुसूची-दो का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:–

''अनुसूची–एक

[धारा–2 (ख), (ख–1), (ख–2) देखिये]

भाग–क

1–अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय

भाग–ख

1–सोनार, सुनार, स्वर्णकार

2–जाट

3–कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैथवार

4–गिरि

5–गूजर

6–गोसाई

7–लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत

8–कम्बोज

भाग

1–अरख, अर्कबंशीय

2–काछी, काछी-कुशवाह क्य

3–कहार, कश्यप

4–केवट, मल्लाह षाद्

5–किसान

6–कोइरी

7–कुम्हार, प्रजापति

8–कसगर

9–कुजड़ा या राईन

10–गड़ेरिया, पाल, बघेल

11–गद्दी, घोसी

12–चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक

13–छीपी, छीपा

14–जोगी

15–झोजा

16–डफाली

17–तमोली, बरई, चौरसिया

18–तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक

19–दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ

20–धीवर

21–नक्काल

22–नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)

23–नायक

24–फकीर

25–बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी

–बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, गढ़िया, जागिड़, धीमान

2 री

28 गी

2 द

–बेयार

31–भर, राजभर

32–भुर्जी, भड़भूजा, भूंज, कांदू, कशोधन

33–भठियारा

34–माली, सैनी

35–स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर

36–लोहार, लोहार-सैफी

37–लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान

38–रंगरेज, रगंवा

39–मारछा

40–हलवाई, मोदनवाल

41–हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास

42–राय सिक्ख

43–सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी

44–धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

45–कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार

46–नानबाई

47–मीरशिकार

48–शेख, सरवरी (पिराई), पीराही

49–मेव, मेवाती

50–कोष्टा/कोष्टी

51–रोड़

52–खुमरा, संगतराश, हंसीरी

53–मोची

54–खागी

55–तंवर, सिंघाड़िया

56–कतुआ

57–माहीगीर

58–दांगी

59–धाकड़

60–गाडा

61–तंतवा

62–जोरिया

63–पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी

64–कलाल, कलवार, कलार

65–मनिहार, कचेर, लखेरा

66–मुराव, मुराई, मौर्य

67–मोमिन (अंसार)

68–मुस्लिम कायस्थ

69–मिरासी

70–नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे करण (कर्ण)''

''अनुसूची–दो

[धारा–3 (1) देखिए]

एक–संवैधानिक पद

ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो,

(क) भारत का राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ख) भारत का उप राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक हो या रहा हो;

(ङ) इसी प्रकार के किसी अन्य संवैधानिक पद पर आसीन हो या रहा हो ।

दो–सेवा श्रेणी

(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित जो जाय,

(घ) जिनके माता-पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता-पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यु या अक्षमता

के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ङ) जिनके माता-पिता दोनों तमूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे अस्थायी अक्षमता-से ग्रसित हो जायं और दोनों की ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता-पिता में से केवल पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क या श्रेणी एक में आ जाय,

(ग) जिनके माता-पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों, और उनमें से एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(घ) जिनके माता-पिता में से पिता समूह क या श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख या श्रेणी दो की अधिकारी हों और माता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और

(ङ) जिनके माता-पिता में से माता समूह क या श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूहं ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय ।

स्पष्टीकरण–इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद ''स्थायी अक्षमता का'' तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा से बाहर हो जाय ।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी–

ऊपर उप श्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों । इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा ।

तीन–अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)

ऐसे माता-पिता, जिनमें से कोई या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ-सेना, वायु-सेना और अर्द्धसैनिक बलों में उसके समकक्ष कोई पर हों, के पुत्र या पुत्री ।

स्पष्टीकरण–इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जायेगा ।

चार–व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड निम्नलिखत पर लागू होंगे

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद्, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और

(ख) धन्धे व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण–(एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जायेगी ।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी ।

पांच–सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत–

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी/पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री–

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो ।

स्पष्टीकरण–पद ''कानूनी अधिकतम जोत सीमा'' और ''परिवर्तन फार्मूला'' का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जायेगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो ।

(ख) पौधा रोपण–

(एक) काफी, चाय, रबर आदि–

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम, निबूवंश, सेव आदि–

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जायेगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन–

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

स्पष्टीकरण–इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ।

छः–आय या सम्पत्ति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो ।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो ।

स्पष्टीकरण– इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि–

(एक) वेतन या कृषि से आय को मिलाया नहीं जाएगा,

(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा । परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो अन्तराल कम भी हो सकता है ।''

''अनुसूची–तीन

[धारा–3 (3) देखिये]

भाग–क

1–चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव

भाग–ख

1–अगरिया

2–बधिक

3–बादी

4–बरेदा

5–बैगा

6–बैसवार

7–बजनिया

8–बाजगी

9–बलहर

10–बलायी

11–बाल्मीकी

12–बंगाली

13–बनमानुष

14–बांसफोड़

15–बरबार

16–बसोड़

17–बावरिया

18–बेलदार

19–बेड़िया

20–भाण्टू

21–भुइया

22–भुइयार

23–बोड़िया

24–चेरो

25–दवगर

26–धांगर

27–धानुक

28–धरकार

29–धोबी

30–डोम

31–डोमर

32–दुसाध

33–धरमी

34–घसिया

35–गोंड

36–ग्वाल

37–हबुड़ा

38–हरी

39–हेला

40–कलाबाज

41–कंजड़

42–कपड़िया

43–करवल

44–खैराहा

45–खरवार (बेनवंसी को छोड़कर)

46–खटिक

47–खोरोट

48–कोल

49–कोरी

50–कोर्वा

51–लालबेगी

52–मझवार

53–मजहबी

54–मुसहर

55–नट

56–पंखा

57–परहिया

58–पासी, तरमाली

59–पाटरी

60–रावत

61–सहरया

62–सनौढ़िया

63–सासिया

64–शिल्पकार

65–तुरैहा''

उत्तर प्रदेश पत्रिका

लम्बित भर्तियों के लिये विशेष उपबन्ध

5—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवाओं और पदों पर ऐसी भर्ती के संबंध में भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हैं ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये–

(क) कोई भर्ती लम्बित समझी जायेगी यदि उस भर्ती के अनुसरण में ऐसे प्रारम्भ के पूर्व कोई भी नियुक्ति न की गई हो ;

(ख) पद "लोक सेवाओं और पदों" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये मूल अधिनियम में समनुदेशित हैं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2001

निरसन और अपवाद

6—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 मूलरूप में इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के लिये बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा ।

(2) यह 15 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित ज़नजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

लखनऊ में कतिपय व्यक्तियों की गोली लगने से हुई मृत्यु की सूचना (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब इस पीठ पर अध्यक्ष जी थे उस समय एक निर्देश था आज जो लखनऊ में हादसा हुआ है उसके संबंध में सूचना देने की बात थी ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

भारत सरकार द्वारा अपने फैक्स संदेश दिनांक 27-9-2001 द्वारा यह सूचना दी गई है कि स्टूडेन्ट इस्लामिक मूवमेंट आफ इण्डिया (सिमी) को द अनलाफुल एक्टीविटीज (प्रीवेशन) एक्ट, 1967 की धारा 3(1) के अन. लाफुल एसोशियेशन घोषित किया गया है । इस निर्णय के परिपेक्ष्य में लखनऊ जनपद की पुलिस सिमी के प्रान्तीय अध्यक्ष श्री हमाम अहमद तथा दो अन्य पदाधिकारियों अशफाक अहमद तथा आरिफ महफूज को गिरफ्तार करने खजूर वाली मस्जिद में आज दोपहर गई थी । इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुचलके पर छोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी । इसी बीच में लगभग 1.15 बजे अकबरी गेट होते हुये विक्टोरिया स्ट्रीट पर लगभग 1500–2000 मुस्लिम नवयुवकों की भीड़ एकत्र हो गई और उनके द्वारा हिंसात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गईं । भीड़ द्वारा पथराव तथा आगजनी की गई जिससे अनेक व्यक्तियों को चोटें आयी । मौके पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिये पहुंचे जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पथराव से चोटें आयीं । तत्पश्चात् पुलिस ने एकत्र भीड़ पर गैर कानूनी घोषित हो जाने पर आंसू गैस छोड़ी परन्तु इससे स्थिति पर असर न पड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी जिसमें अभी तक 3 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 2 के गम्भीर रूप से घायल होने की सूचना है ।

उपरोक्त घटना के फलस्वरूप लखनऊ जनपद के 4 थाना क्षेत्रों चौक, वजीरगंज, बाजारखाला तथा सहादतगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस फोर्स के साथ निरन्तर गश्त करके स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है । वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण किन्तु नियंत्रण में है ।

प्रदेश के अन्य जनपदों से अभी तक 67 अन्य सिमी पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी की सूचना है । किसी अन्य जनपद से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं है ।

(संसदीय कार्य मंत्री के कथन से असंतुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री संकल्प प्रस्तुत करें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 भारत का संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन जो अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (घ) के अन्तर्गत आता है का अनुसमर्थन करता है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 'यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा' 'भारत का संविधान' में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन, जो अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (घ) के अन्तर्गत आता है का अनुसमर्थन करता है ।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम–51 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के रूप में चयनित सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–पहली श्री रामवीर उपाध्याय की है । (नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और श्री रनधीर सिंह की है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैंने जो यह सूचना दी है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना किये जाने के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव डाला जाय ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27-9-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो देश में बिजली विभाग द्वारा नियमित उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री रामपाल की है जो जनपद जालौन में पुलिस की सांठ-गांठ से विद्युत तारों की निरन्तर हो रही चोरी व कटिंग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । तीसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है जो सहारनपुर नगर पालिका परिषद् को नगर निगम न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । चौथी सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है जो जनपद संत रविदास नगर भदोही गंगाघाट, बनतुलसी, डेंगुरपुर में पीपे के पुल के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । पांचवीं कौकब हमीद की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली की ग्रामसभा कुम्हरौआ के प्रधान द्वारा जे०आर०वाई० दशम् वित्त राज्य वित्त की धनराशि की खुली लूट के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । छठीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की है जो जनपद बांदा के अन्तर्गत नरैनी विधान सभा में बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि 2000–2001 के प्रस्तावित कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के

संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । सातवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की है जो वर्ष 1996 एवं 1999 में प्रदेश के मैदानी जिलों के अनुदान सूची पर लिये गये मान्यता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के वर्ष 2000–2001 के अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । आठवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में आरक्षित महिला अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की तरह आयु सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । नवीं सूचना श्री कोबिद कुमार सिंह की है जो प्रदेश के ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता एवं मनमानी में लिप्त भ्रष्ट अभियन्ताओं को उच्च अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । दसवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है जो जनपद मथुरा के नगर पंचायत गोवर्धन में प्रवेश एवं गुजरने पर आम जनता से अड्डा पड़ाव के नाम से अवैध धन की वसूली के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की है जो जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट ग्राम धनौली खास की निवासी बेवा रामावती देवी के आवास की आम दरफत में बाधित बांसकोठी को हटवाने तथा रास्ते को पक्का कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । बारहवीं सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है जो जनपद आगरा की तहसील वाह के ग्राम धन्नपुरा अंगदपुर पुराभौरिया के कतिपय थानाध्यक्षों द्वारा पुलिस बल के साथ धावा बोलकर अकारण ग्रामीणों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । तेरहवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है जो जनपद चित्रकूट के ग्राम भनगवां ब्लाक मानिकपुर में "मवैया" अनुसूचित जाति के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है जो जनपद इलाहाबाद के थानाध्यक्ष मेजा, चौकी इन्चार्ज सिरसा द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की है जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग में वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों/चिकित्साधिकारी, स्टोरकीपर, लिपिक एवं फार्मासिस्टों के वेतन निर्धारण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । सोलहवीं सूचना श्री रणधीर सिंह की है जो उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव संवर्ग में आरक्षण में रोस्टर प्रणाली को यथाविधि लागू करने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । सत्रहवीं सूचना श्री आर्य राम शरन सिंह की है जो जनपद फिरोजाबाद ग्राम नगला विशुन सिंह निवासी सम्प्रति एटा में क्रमशः पुलिस रेडियो विभाग तथा फायर सर्विस में संदेशवाहक एवं कान्स्टेबिल के पद पर तैनात कर्मियों द्वारा ग्रामवासियों के विरुद्ध फर्जी अभियोग पंजीकृत कराये जाने तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न करने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल दिनांक 28 सितम्बर को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

27 सितम्बर, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता०प्र०सं०–58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

1––आयोजनागत–

अ. जिला योजना ।

(रुपये लाख में)

वर्ष	मद	आवंटित धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अभ्युक्ति	अवमुक्त धनराशि		
					मद	संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर
1	2	3	4	5	6	7	8
1997–98	ग्रामसभा के तालाबों के सुधार व निजी भूमि पर तालाबों के निर्माण पर अनुदान मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण आदि पर व्यय	1.56	4.28	आवंटन से अधिक विगत वर्ष की अवशेष धनराशि से किया गया है ।	1–तालाबों हेतु स्वीकृत ऋण प्रस्ताव	75	99.83
					2 – तालाब सुधार कार्यपूर्ण	106	98.24
					3–मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	105	—
1998–99	–तदैव–	—	4.06	–तदैव–	1–तालाबों हेतु स्वीकृत ऋण प्रस्ताव	83	85.81
					2 – तालाब सुधार कार्यपूर्ण	57	102.48
					3–मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	85	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1999–2000	–तदैव–	3.13	3.73	–तदैव–	1–तालाबों हेतु स्वीकृत ऋण प्रस्ताव	56	68.05
					2–तालाब सुधार कार्यपूर्ण	62	75.96
					3–मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	70	—
2000–2001	–तदैव–	3.17	3.33	–तदैव–	1–तालाबों हेतु स्वीकृत ऋण प्रस्ताव	58	83.93
					2–तालाब सुधार कार्यपूर्ण	62	79.71
					3–मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	95	—
योग–	जिला योजना	7.86	15.40				
ब–राज्य सेक्टर–मछुआ आवास योजना							
1997–98	मछुआ आवासों का निर्माण	—	—	—	—	—	—
1998–99	–तदैव–	—	—	—	—	—	—
1999–2000	–तदैव–	2.15	2.15	—	10 मछुआ आवासों व हैण्डपम्प का निर्माण ग्राम सुढ़िया कुर्मी मारा में कराया गया ।		
2000–2001	–तदैव–	4.15	3.85	—	ग्राम पराय में 10 व बुढ़नापुर में आठ आवास का निर्माण कराया जा चुका है । 2 आवास एवं एक हैण्डपम्प निर्माणाधीन है ।		
योग–	राज्य सेक्टर	6.30	6.00				
महायोग–	आयोजनागत जिला योजना + राज्य सेक्टर	14.16	21.40	—			

2–मछलीपालन आयोजनेत्तर

(रुपये लाख में)

मद	वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय की गई धनराशि
अनुसंधान सामान्य योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्तों कार्यालयों व्यय आदि मदों के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 97 से 31 मार्च, 2001 तक आवंटित व व्यय की गई धनराशि का विवरण	1997–98	11.757	11.756
	1998–99	10.254	10.253
	1999–2000	11.703	11.651
	2000–2001	13.796	13.796
योग–		47.510	47.456

पी०एस०यू०पी०–एल० 03 विधान सभा (04)–2002–813 (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा